खण्ड-103, अंक-5
शुक्रवार, 20 आषाढ़, शक संवत् 1874
(11 जुलाई, 1952 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 103 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

---

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## शुक्रवार, ११ जुलाई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

—:o:—

## उपस्थित सदस्यों की सूची (३७६)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख़याली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगत नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डलनाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तारचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंग लाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री

प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मन्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री

रामचन्द्र शिकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर विवासी श्री
रामसनेही भारतीय श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग शर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र शिशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतीफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह काश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री

बंशनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ट नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री

श्रीपति सहाय, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम, खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हर खयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

विधान भवन

# प्रश्नोत्तर

## तारांकित प्रश्न

### शुगर मिल मुण्डरवा, ज़िला बस्ती, में चोरी के संबंध में पुलिस में रिपोर्ट

*१—श्री धनुषधारी पांडेय (ज़िला बस्ती)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तारीख ८ फरवरी, सन् १६५२ ई० को श्री हरिहर प्रसाद, डायरेक्टर, शुगर मिल मुण्डरवा, ज़िला बस्ती, ने थाना मुण्डरवा ज़िला बस्ती में एक बड़ी चोरी की रिपोर्ट लिखायी थी ? यदि हां, तो उस पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां। पुलिस की जांच से यह मालूम हुआ है कि मामला दिवानी अदालत का है इसलिये पुलिस ने कोई कार्यवाही न की और प्रत्यर्थियों को सूचना दे दी कि यदि वे चाहें तो इस मामले का निर्णय न्यायालय से करा सकते हैं। श्री हरिहर प्रसाद ने मुकदमा अदालत में दायर कर दिया है।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लाल गिरजेश बहादुर पाल गिरफ्तार किये गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं ठीक नहीं कह सकता।

*२—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—[देखिये पृष्ठ ३१० पर]

### टनकपुर-पिथौरागढ़ मार्ग पर पुलिस लारी की दुर्घटना

*३—श्री खुशी राम (ज़िला अल्मोड़ा)—क्या यह सच है कि टनकपुर-पिथौरागढ़ रोड के ३३ वें मील में हाल ही में टनकपुर आने में एक पुलिस वालों की भरी गाड़ी सड़क से नीचे गिरी, कई पुलिस वाले मर गये और कई घायल हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*४—श्री खुशी राम—यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने पुलिस वाले मरे और कितने घायल हुए ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आठ पुलिस वाले मरे तथा दस घायल हुए।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो गरीब सिपाही एक्सिडेंट (दुर्घटना) में मर गये उनके बच्चों का और उनके घर वालों का कोई प्रबन्ध किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, पुलिस विभाग में नियम है कि जो लोग ड्यूटी पर रहते हैं वे यदि मारे जाते हैं या अंग भंग होता है तो कुछ खास तरीके हैं, नियम हैं, जिनके अनुसार उनके घर वालों को मदद दी जाती है। उनके घर वालों को भी दी गयी होगी।

*५—श्री खुशीराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह दुर्घटना किस कारण से हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उतराई पर गाड़ी ड्राइवर के काबू के बाहर हो जाने के कारण सड़क के नीचे खड में जा गिरी।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री म्होदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मोटर चलाने वाला जो ड्राइवर था वह मर गया या जीवित है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वह तो नहीं मरा।

श्री खुशीराम---इस घटना की जांच किसके जरिये कराई गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उस रेंज के जो डिप्टी इंस्पेक्टर जेनरल हैं, उन्होंने जांच की है।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोटर गिरने के जो कारण बताये गये हैं, उन कारणों में सड़क का छोटी, तंग होना भी कोई कारण हो सकता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, एक कारण यह भी हो सकता है।

श्री खुशीराम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन जगहों पर सड़क में ऐसे मोड़ हैं वहां वह उस सड़क को चौड़ा बनाने की कोशिश उचित समझती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, सड़क जितनी चौड़ी हो सके उतना ही अच्छा है।

## ग्राम जमडीह, जिला बस्ती, की एक हरिजन महिला के गोली लगना

*६---श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)---क्या गृह मंत्री कृपा करके बतायेगें कि बस्ती जिला के अन्तर्गत ग्राम जमडीह, थाना कोतवाली, बस्ती, में रहने वाली एक हरिजन महिला के पैर में तारीख ११ मई, सन् १९५२ ई० को खेत में काम करते समय गोली लगी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, श्रीमती कसमतिया, धर्मपत्नी सुधई हरिजन, निवासी ग्राम जमडीह सुकुल, थाना कोतवाली, जिला बस्ती, के पैर में ११ मई, सन् १९५२ को लगभग साढ़े छः बजे प्रातःकाल जबकि वह अपने गांव के समीप ईंटा ढो रही थी एक गोली अकस्मात् लग गयी।

*७---श्री प्रभुदयाल---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह गोली कैसे लगी और किसकी बन्दूक या पिस्तौल से यह घटना हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कोतवाली में रिपोर्ट होते ही पुलिस ने जांच आरम्भ की। अभी तक यह पता नहीं चल सका कि किसकी बन्दूक से यह गोली लगी। जांच जारी है।

श्री प्रभुदयाल---क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह गोली शोहरत-गढ़ हाउस से चली थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर इस बात का निश्चय हो जाता है कि शोहरतगढ़ हाउस से गोली चली थी तब तो जो उत्तर प्रश्न नम्बर ७ का दिया गया है वह न दिया जाता। यह तो निश्चय ही नहीं हो सका कि गोली कहां से आयी।

*८---श्री प्रभुदयाल---क्या यह सही है कि पहले उस महिला को सदर अस्पताल बस्ती में भर्ती करने से केवल इसलिये इन्कार कर दिया गया कि पुलिस का कोई आदेश इस संबंध में नहीं

था ? क्या पुलिस का आदेश मिलने पर भी दो दिन के बाद उसे निकाल दिया गया और पैर से गोली नहीं निकाली गई और न एक्सरे लिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, वह महिला ११ मई को ही प्रातःकाल अस्पताल में भरती की गई, परन्तु १३ मई को वह अपनी मर्जी से अस्पताल छोड़ कर चली गयी।

उस समय एक्सरे मशीन ठीक नहीं थी। बिना एक्सरे लिये हुये गोली का निकालना डाक्टर ने ठीक नहीं समझा। १७ मई को मशीन ठीक होने पर महिला को बुलाया गया परन्तु वह नहीं आई।

श्री प्रभुदयाल—क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब उस स्त्री की चिकित्सा अस्पताल में ठीक नहीं हुई तभी वह वहां से चली आई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, ऐसा मानने का तो कोई कारण नहीं है। अस्पताल में उसकी चिकित्सा का बहुत अच्छा प्रबन्ध था।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतायेंगे कि उस गोली को पुलिस ने अपने क़ब्जे में लिया या नहीं ? यदि लिया, तो क्या इस बात को जानने की कोशिश की गयी कि वह गोली पुलिस के रिवाल्वर की थी या किसी प्राइवेट व्यक्ति की बन्दूक की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह गोली तो कोई थी नहीं जो उसके शरीर में से निकली। वह गोली का एक टुकड़ा हो सकता है या एक धातु का टुकड़ा कहा जा सकता है। तो वह धातु का टुकड़ा भी लिया गया और जो रिवाल्वर या बन्दूक आस-पास हो सकते थे वे भी लिये गये और जिस शोहरतगढ़ हाउस का प्रश्नकर्त्ता ने सवाल किया उसमें जो बन्दूक थी वह भी ली गयी और यहां लखनऊ में एक सरकारी दफ्तर है जिसके अन्दर सब चीजों की जांच होती है उसमें धातु का टुकड़ा और वे सब रिवाल्वर और बन्दूक भी भेजी गयीं। मगर ठीक ठीक यह पता नहीं चला कि वह किस रिवाल्वर या बन्दूक में से निकली थी। रिवाल्वर में से तो निकली ही नहीं और जहां तक बन्दूक की बात है, यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वह बन्दूक की ही गोली थी।

*९—१०—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—[ ८ अगस्त, १९५२ के लिये स्थगित किये गये। ]

## लखनऊ आदर्श जेल के क़ैदियों की मजदूरी अथवा वेतन

११—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ आदर्श जेल में कैदियों को वेतन या मजदूरी दी जाती है ? यदि हां, तो कितना वेतन या मजदूरी औसतन मासिक होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, सन् १९४९ के अन्त में सरकार ने आदर्श जेल, लखनऊ, में कैदियों को मजदूरी देने की योजना चालू की थी। योजना में सम्मिलित होने वालों को यथासम्भव उनकी इच्छानुसार काम दिया जाता है। अधिकांश कैदी जेल के कारखानों और खेतीबारी में लगे हुये हैं। कारखानों में काम करने वालों की मजदूरी उनके उत्पादन पर निर्भर रहती है। वे महीने में औसतन २७ रुपये से लेकर ३१ रुपये तक की ग्रौस (कुल) मजदूरी कमा लेते हैं। खेतीबारी में काम करने वाले कैदी फसल की पैदावार के हिसाब से कमाते हैं। उनकी ग्रौस मासिक आय औसतन ३० रुपये से लेकर ६२ रुपये तक होती है। कुछ कैदी जेल में तेल के कोल्हू में काम करते हैं। उनको ४० रूपये मासिक वेतन दिया जाता है।

कुछ कैदी जेल के बाहर भदरुक डेरी फार्म, सरकारी वैजिटेबिल फार्म और एक निकटवर्ती ईंट के भट्टे में काम करने जाया करते हैं। उनकी ग्रास दैनिक मजदूरी करीब डेढ़ रुपये होती है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कारखाने में काम करने वाले और खेतीबारी में काम करने वालों का क्या प्रतिशत है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त ८०-९० के करीब कारखाने में काम करते हैं और १०० के ऊपर खेती-बारी में काम करते हैं।

*१२—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मजदूरी में से कैदियों के भोजन और वस्त्र का खर्च काट लिया जाता है ? यदि हां, तो हर महीने वास्तव में एक कैदी को कितना रुपया मिलता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अपनी कमाई में से प्रत्येक कैदी को लगभग २५ रुपये मासिक जो उसके भरण-पोषण पर खर्च होता है सरकार को दे देना पड़ता है। इस प्रकार विभिन्न उद्योगों में लगे हुये कैदियों की वास्तविक आय यों होती है —

| | | |
|---|---|---|
| कारखानों में काम करने वालों की मासिक आय | .. | २ रुपये से लेकर ६ रुपये तक |
| खेती बारी में | .. .. | ५ रुपये से लेकर ३७ रुपये तक |
| तेल के कोल्हू में | .. .. | १५ रुपये |
| जेल के बाहर | .. .. | २० रुपये |

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन कैदियों को जो भोजन दिया जाता है वह वही भोजन दिया जाता है जो अन्य जेलों के कैदियों को दिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—भोजन तो एक ही प्रकार का दिया जाता है।

## आदर्श जेल लखनऊ की औद्योगिक उत्पत्ति तथा उसकी बिक्री

*१३—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माडल जेल, लखनऊ में सन् १९४८ ई० से सन् १९५१ ई० के बीच में कुल कितने रुपये मूल्य की औद्योगिक उत्पत्ति हुई और कुल कितने रुपये मूल्य की बिक्री हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आदर्श जेल में औद्योगिक उत्पत्ति और बिक्री इस प्रकार थी —

| | | उत्पत्ति रुपये | बिक्री रुपये |
|---|---|---|---|
| १९४८-४९ | .. | २,१०,२४२-०-३ | १,९५,९४४ |
| १९४९-५० | .. | २,०६,९५२-१२-१ | २,१०,२९७ |
| १९५०-५१ | .. | २,२१,५७२-०-१० | २,३३,२०८ |
| १९५१-५२ | .. | ३,२१,५०९-२-११ | ३,४०,६५९ |

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस उत्पत्ति में खेती से उत्पत्ति भी शामिल है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सुधार व्यवस्था जो यहां के जेल में की गई है वह प्रदेश के अन्य जेलों में लागू करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, जरूर है। कब तक का प्रश्न कई बातों पर निर्भर है। जितनी सुविधा हो सकेगी, वह जरूर की जायगी।

## प्रारम्भिक-शिक्षा की नई योजना के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का उत्तरदायित्व

*१४---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रारम्भिक शिक्षा की नयी योजना के अन्तर्गत प्राइमरी शिक्षा का सारा दायित्व डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के ऊपर सौंपा गया है? यदि हां, तो यह योजना कब से कार्यान्वित की जा रही है?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)---जी हां, १ नवम्बर, १९५० से।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नयी योजना के अनुसार डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को प्रारम्भिक शिक्षा का दायित्व उठाने में सरकार उनको कोई नयी आर्थिक सहायता देगी?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---हां, माननीय सदस्य को शायद मालूम होगा कि प्राइमरी स्कूल्स जो खुले थे वह डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अधीन कर दिये गये हैं और उनका कुल खर्चा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को गवर्नमेंट देती है।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी---सरकार ने यह क्यों उचित समझा कि प्राइमरी शिक्षा का समस्त भार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर डाल दिया जाय?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसलिये कि पहले से ही प्राइमरी शिक्षा का भार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर था। इसलिये सरकार ने जो स्कूल खोले उनका भार भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया गया।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी---क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि प्रारम्भिक शिक्षा का समस्त भार सरकार के ऊपर हो?

श्री हरगोविन्द सिंह---डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इसके लिये ग्रांट दी जाती है और सरकार ने जो स्कूल खुद खोले हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सुपुर्द कर दिये हैं उनका समस्त भार खुद उठा रही है।

राजा वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार को यह मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिये से जो प्रबन्ध प्राइमरी स्कूलों का हो रहा है वह संतोषजनक नहीं है?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह तो अपने अपने विचारों की बात है।

*१५---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत पाठशालाओं का निरीक्षण सरकारी सहायक निरीक्षकों तथा उप-सहायक निरीक्षकों द्वारा किया जायगा? यदि हां, तो उनके क्या-क्या अधिकार होंगे?

डाक्टर सीताराम---जी हां, सहायक निरीक्षक तथा उप सहायक निरीक्षक जिला विद्यालय निरीक्षक की देख रेख में स्कूलों का निरीक्षण, शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, पठनेतर-कार्य, वहां की परीक्षा तथा पढ़ाई के तरीके इत्यादि निरीक्षण करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी सहायक निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों के क्या क्या अधिकार होंगे? यह मैंने अपने प्रश्न में रखा था लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया।

श्री हरगोविन्द सिंह---प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक की देख-रेख में स्कूलों का निरीक्षण शारीरिक शिक्षण इत्यादि-इत्यदि इसी में जबाब दे दिया गया है।

*१६-१८---श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)---[२४ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

## बस्ती जिले के खलीलाबाद के उत्तरी क्षेत्र में बदमाशों द्वारा खड़ी फस्ल का चरा लेना

*१९---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या गृह मंत्री को यह मालूम है कि बस्ती जिला के खलीलाबाद के उत्तरी क्षेत्र में वखिरा झील के आस-पास बदमाश लोग गोल बनाकर किसानों की खड़ी फस्ल चरा भी लेते हैं और मना करने पर उन्हें पीटते भी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---खड़ी फस्ल के चराने की कुछ सूचनायें जिले के पुलिस अधिकारियों को मिली थीं।

*२०---श्री राजाराम शर्मा---यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर हां में है, तो क्या इस अन्न संकट के समय में किसानों को हानि से बचाने के हेतु सरकार की तरफ से कोई क़दम उठाया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पुलिस कप्तान बस्ती ने संबंधित पुलिस थानेदार को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिये आज्ञा दी जिसके फलस्वरूप भारतीय दंड विधि संग्रह की धारा १०७/११७ के अन्तर्गत चार मुकदमे दायर किये गये। इसका असर बहुत अच्छा हुआ और लगभग तीन चार महीने से इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं आई। थानेदारों को ताकीद कर दी गई है कि वे इस संबंध में सतर्क रहें।

श्री राजाराम शर्मा---क्या सरकार इस प्रकार के जुर्म को रोकने के लिये केटिल ट्रेस-पास ऐक्ट को संशोधन करने का विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बगैर संशोधन के ही काम चल रहा है बड़ी खूबसूरती के साथ, इसलिये संशोधन पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है ?

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)---क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अलावा अन्य जिलों से भी इस किस्म की सूचनायें सरकार के पास आई हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सवाल तो बस्ती जिले का बाबत था। अन्य जिलों की बाबत इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता।

## जौनपुर जिलें के हरिजन छात्रों को पुस्तकों तथा छात्रवृत्तियों का दिया जाना

*२१---श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के हरिजन छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्तियां तथा पुस्तकें ठीक समय पर दी गईं या नहीं ? यदि नहीं दी गयीं, तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम---जौनपुर जिले के हरिजन छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्तियां तथा पुस्तकें ठीक समय पर दी गईं।

श्री बालनन्दन---क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में हरिजनों को मिलने वाली छात्रवृत्ति और पाठ्य पुस्तकें सन् १९५१ के अन्दर किस तारीख और किस महीने में दी गई ?

डाक्टर सीताराम---ये छात्रवृत्तियां २३ अक्टूबर सन् १९५१ को बैकवर्ड क्लासेज (पिछड़ी जातियों) और हरिजनों को दी गई और किताबें इत्यादि भी २३ अक्टूबर सन् १९५१ को दी गई।

श्री बालनन्दन---क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो छात्रवृत्ति और पुस्तकें दी गई हैं वे गरीब हरिजनों को दी गई हैं या औरों को भी दी गई हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---गरीब और पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को दी गई।

श्री भगवानदीन मिश्र---क्या शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब जुलाई मास में सब पाठशालायें खुल जाती हैं तो अक्टूबर तक विद्यार्थी किन पुस्तकों से पाठ पढ़ते रहे ?

डाक्टर सीताराम---यह हो सकता है कि अक्टूबर के महीने में विद्यार्थियों को मदद दी गई होगी। लेकिन यह देखा जाता है कि विद्यार्थी और विद्यार्थियों से पुस्तक या पैसा लेकर अपना कार्य चलाते हैं और फिर बाद में जब उन विद्यार्थियों को रुपया मिल जाता है तो वे उनको लौटा देते हैं।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)---क्या माननीय मंत्री जी यह उचित समझते हैं कि पाठ्य-पुस्तकें पाठशाला के खुलने पर ही विद्यार्थियों को दी जांय ?

श्री हरगोविन्द सिंह---हां, ऐसा करने का हमेशा प्रयत्न किया जाता है लेकिन पड़ताल में कुछ देर हो ही जाती है।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ये पाठ्य-पुस्तकें जो गरीब छात्रों को दी जाती हैं वे इसलिये दी जाती हैं कि वे अपनी स्टडी (अध्ययन) ठीक तरह से कर सकें ?

श्री हरगोविन्द सिंह---लेकिन स्कूल के खुलने के पहले ही इस बात की कोई जांच नहीं हो सकती कि कौन लड़का स्कूल में आयेगा और किसको पुस्तकों की आवश्यकता होगी। स्कूल खुलने के बाद ही यह संभव हो सकता है।

श्री राम लाल (जिला बस्ती)---क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सामग्री हरिजन छात्रों को दी जाती है चूंकि वह देर में मिलती है इसलिये उसके उपलक्ष्य में उनको समय पर कुछ नकदी के रूप में दिया जा सकता है, या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह तो एक लम्बा सा प्रश्न है। लेकिन हमेशा इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके छात्रवृत्ति जिसको मिलनी चाहिये उसको मिल जाय।

## बस्ती जिले में अंग्रेजी स्कूलों के हरिजन विद्यार्थियों को सरकारी सहायता

*२२---श्री सुदनराम (जिला बस्ती)---क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में कितने हरिजन छात्र सन् १९५०-१९५१ ई० में अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पा रहे थे, और उन्हें सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई ?

डाक्टर सीताराम---(अ) संख्या निम्न प्रकार है ---

| कक्षा | हरिजन छात्र संख्या | छात्रवृत्तियों की संख्या तथा दर | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १२ | २ | .. | .. | | |
| ११ | २ | १ | दर | २० रुपये | माहवार |
| १० | ४५ | ६ | दर | १२ रुपये | माहवार |
| ९ | ४० | ८ | दर | १२ रुपये | माहवार |
| ८ | ८२ | १२ | दर | ८ रुपये | माहवार |
| ७ | ५१ | ६ | दर | ८ रुपये | माहवार |
| ६ | १५ | ८ | दर | ६ रुपये | माहवार |

(ब) इन मासिक छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त ३०० रुपये की सहायता पुस्तकें खरीदने के लिए वितरित की गई।

*२३---श्री पुद्दनराम---सन् १९५१-५२ ई० में कितने हरिजन छात्र अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं और उन्हें कितनी सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है ?

डाक्टर सीताराम---

(अ)

| कक्षा | हरिजन छात्र संख्या | छात्रवृत्तियों की संख्या व दर | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १२ | १ | .. | .. | | |
| ११ | १३ | ४ | दर | २० रुपये | माहवार |
| १० | ३६ | १२ | दर | १२ रुपये | माहवार |
| ९ | १०८ | १८ | दर | १२ रुपये | माहवार |
| ८ | ९५ | १४ | दर | ८ रुपये | माहवार |
| ७ | २९ | १४ | दर | ८ रुपये | माहवार |
| ६ | २८ | ११ | दर | ६ रुपये | माहवार |

(ब) उक्त छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त ३००रुपये पुस्तकें खरीदने के लिये वितरित किये गये।

श्री पुद्दन राम---क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह छात्रवृत्तियां वितरित करते समय किस अनुपात से दी जाती हैं, यानी जिलेवार कोटा के हिसाब से दी जाती हैं या छात्रों की संख्या के हिसाब से दी जाती हैं ?

डाक्टर सीताराम---छात्रों की संख्या के हिसाब से।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि स्कालरशिप (छात्रवृत्ति) देने के लिये जिलों में कमेटियां मुकर्रर की गयी हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसके लिये कोई कमेटियां नहीं हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि हरिजन विद्यार्थियों के लिये हर जिले में कितना कितना कोटा मुकर्रर है ?

डाक्टर सीताराम---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री केशव गुप्त (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)---क्या शिक्षा मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन छात्रों पर सरकारी व्यय किया जाता है उनमें से पढ़ने के बाद कितने विद्यार्थी देश के उत्पादन में लगते हैं और कितने मजबूरन बेकार रहते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---ऐसा कोई सर्वे अभी नहीं हुआ है ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिये ये स्कालरशिप देकर अंग्रेजी को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---वे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अगर उसमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो अंग्रेजी पढ़ते है और हिन्दी पढ़ाई जाती है तो हिन्दी भी पढ़ते है ।

*२४-२५---श्री ताराचन्द महेश्वरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित) ---[देखिये पृष्ठ---३१०---३११ पर]

*२६-२८---श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)---[२४ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये । ]

## हाथरस में कपड़े और सूत की मिल बन्द होने के कारण मजदूरों में बेकारी

*२९---श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार को विदित है कि हाथरस में कपड़े और सूत के दो मिल दो माह से बन्द हो गये हैं जिसके फलस्वरूप हजारों मजदूर बेकारी के शिकार हो रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---(क) हाथरस की रामचन्द्र स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स तारीख २६-४-५२ से बन्द हो गई थी जिसके फलस्वरूप १,१८० मजदूर बेकार हो गये थे मिल तारीख २-७-५२ से फिर चालू हो गयी है और सभी मजदूर पुनः काम पर वापिस बुला लिये गये हैं ।

(ख) लक्ष्मीमल हरदेव दास काटन स्पिनिंग मिल्स कम्पनी ने कोयले की कमी होने के कारण ४८५ मजदूरों को तारीख ५-५-५२ से अनिश्चित काल तक बैठकी के लिये भेजा । लेकिन यह मिल पुनः तारीख १९-५-५२ से चालू हो गयी और इसके समस्त मजदूर पूर्ववत् काम कर रहे हैं ।

श्री केदार गुप्त---कोयले की कमी के कारण जो मिल बन्द हुआ, तो क्या कोलियरीज़ में कोयला कम था या मिल के पास कोयला खरीदने के लिये रुपया कम था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ट्रांस्पोर्ट (परिवहन) की कमी की वजह से कोयला कोलियरीज़ के पास होते हुये भी नहीं पहुंच सका ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या यह सच है कि संभल की डिग्री के १८,००० रुपये भी अभी तक मजदूरों को नहीं दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्रीमान्, शायद यह सवाल इन सवालों से नहीं उठता है । परन्तु मेरे पास इस समय इसकी सूचना नहीं है ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या यह सच है कि रामचन्द्र काटन मिल के मालिकान ने १८,००० रुपये को छोड़ देने पर ही मिल चलाने के लिये और मिल में मजदूरों को भर्ती करने के लिये मजदूरों को मजबूर किया है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री सूरजप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २६-४-५२ से २-७-५२ तक रामचन्द्र काटन मिल क्यों बन्द रही ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—उनका कहना यह था कि जिस किस्म का माल वे तैयार करते हैं उस क़िस्म के माल की बाजार में खपत नहीं है।

**श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी**—क्या इस मिल में कुछ वेतन का झगड़ा चल रहा था?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—जी हां, वह तो मैं समझता हूं कि हाथरस की मिलों में एक क्रानिक (चिरकालिक) रोग है।

**श्री जगन्नाथमल्ल** (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जितने भी मजदूर कोयला न रहने की वजह से बेकार रहे उन्हें उन दिनों का वेतन मिलेगा?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि प्ले आफ (बैठकी) के संबंध में क्या नियम हैं और मंहगाई भत्ता तथा मजदूरी क्या मिलती है। वही नियम यहां भी बर्ते गये हैं।

**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या मजदूरों को पिछले तमाम केसेज को विथड्रा (वापस) करने के लिये मजबूर किया जा रहा है?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—ऐसी शिकायत मेरे पास तो नहीं आई।

**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या यह सच है कि अब भी उस मिल के कुछ मजदूरों को तीन महीने की तनख्वाह नहीं दी गई है?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन संभव है ऐसा हो।

**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या यह भी सच है कि मिल मालिकान कांग्रेस मजदूर संघ को छिन्न भिन्न करके मनमाना नया मजदूर संघ बना रहे हैं?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखने वाले संघ की बाबत सूचना नहीं दे सकता।

*३०—**श्री हरदयाल सिंह पिपल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह इन मिलों को चालू कराने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—अब यह प्रश्न नहीं उठता है। परन्तु सरकार ने मिलों को चालू कराने के लिये सभी संभव उपायों से काम लिया।

## हाथरस में मजदूरों के लिये मकान बनवाने की सरकारी योजना

*३१—**श्री हरदयाल सिंह पिपल**—क्या सरकार हाथरस में मजदूरों के रहने के लिये कुछ मकानात बनवाने की व्यवस्था कर रही है? अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—सरकार प्रदेश में मजदूरों के मकान बनवाने की योजना पर विचार कर रही है। यह मकान कब और कहां कहां बनेंगे यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

## थाना कोतवाली, आजमगढ़, की हवालात में एक कोठरी के अन्दर दस आदमियों का रखा जाना

*३२—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या यह सच है कि २७ मार्च, सन् १९५२ ई० से ३१ मार्च, सन् १९५२ ई० तक थाना कोतवाली (आजमगढ़) की हवालात

में और केवल एक ही कोठरी में १० आदमी जिला जेल से लाकर रखे गये थे ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। ये दस व्यक्ति एक हत्या के मामले में अभियुक्त थे तथा मैजिस्ट्रेट की आज्ञा से जांच के लिये पुलिस की हिरासत में दिये गये थे। जांच के लिये उन्हे एक ही स्थान पर इस कारण रक्खा गया था ताकि दौरान जांच मालूम हुई नई बातों की पूछ-तछ उनमे से किसी भी व्यक्ति से तुरन्त हो सके।

*३२---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या यह सच है कि २९ मार्च की रात को ४ आदमी और कहीं से लाकर उसी कोठरी में रखे गये थे ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एक ही कोठरी में एक साथ कितने आदमी रखने का नियम है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, ये चार आदमी रात को ऐसे समय लाये गये थे कि उस समय उन्हें जेल पहुंचाना संभव नहीं था। वे केवल उसी रात उस कोठरी में रहे थे। साधारणतः एक व्यक्ति को ३६ वर्ग फीट जगह दी जाती है। इस हिसाब से उस कमरे में ५ व्यक्ति रह सकते थे। उपरोक्त मामले में प्रश्न ३२ के उत्तर में दिये कारणों से इस नियम का पालन न हो सका, इसका मुझे दुख है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सच है कि आजमगढ़ कोतवाली में उनको इसलिये भेजा गया था कि वहां उनको मारा जाय, जुर्म स्वीकार करा लिया जाय और भोवर नामक व्यक्ति को मारा भी गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरे पास इस बात को मानने के लिये कोई कारण नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार ऐसे कामों को रोकने के लिये कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है आजमगढ़ के इतिहास में यह एक ही मिसाल है। दूसरी बार ऐसी कोई बात उसके बाद नहीं हुई, इसलिये माननीय सदस्य को ऐसी आशा करनी चाहिये कि ऐसी दुर्घटना फिर न होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---यह जांच किस के द्वारा कराई गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वहां के अधिकारियों का कहना है कि दूसरी बार नहीं रखे गये।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---क्या गृह मंत्री यह बतलाएंगे कि उत्तर प्रदेश में अदालतों की हवालातों में जिन कोठरियों में हवालाती रखे जाते हैं उन्हीं में पेशाबखाने भी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मैं इसको समझ पाया इसका ताल्लुक सारे उत्तर प्रदेश से है। उसमें बहुत सी हवालातें हैं इसलिये यह सूचना मैं तत्काल नहीं दे सकता।

श्री कमला सिंह---क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की अदालतों में कितनी ही हवालातें ऐसी हैं जिनमें खिड़कियां नहीं हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मूल प्रश्न का संबंध आजमगढ़ से था और पुलिस की हवालात से, लेकिन इस प्रश्न का संबंध अदालती हवालातों से है इसलिये जाहिर है कि मैं इस वक्त इसका जवाब नहीं दे सकता।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ कोतवाली में एक ही हवालात की कोठरी है या उससे अधिक हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तक जो मेरे पास सूचना है उससे तो यही मालूम होता है कि एक ही है ।

## धर्मपुर तथा मोलानापुर देवारे के तीन आदमियों का थाना मधुबन, जिला आजमगढ़, में लाकर पीटा जाना

*३४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सच है कि ३० अप्रैल, सन् १९५२ ई० की शाम को धर्मपुर और मोलानापुर देवारे के ३ आदमी पकड़कर थाना मधुबन (आजमगढ़) लाये गये और उन्हें रात को बुरी तरह से मारा गया और उस दिन थाने के रजिस्टर में "आमद" उन तीन आदमियों की नहीं लिखी गयी ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जिन आदमियों के लिये शिकायतें की गयी हैं, वे क्या आजमगढ़ के थाने में हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आजमगढ़ थाने के बारे में मैं नहीं कह सकता लेकिन मधुबन के थाने में वे नहीं लाये गये। जो पूछा गया है उसका जवाब मैंने दे दिया है।

## समाचार पत्रों के मालिकों और कर्मचारियों के औद्योगिक विवाद को ऐडजुडिकेटर को सौंपना

*३५—श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के कुछ समाचार पत्रों के मालिकों और कर्मचारियों का औद्योगिक विवाद ऐडजुडिकेटर के सुपुर्द किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—क्या यह सही है कि ऐडजुडिकेशन के समय कर्मचारियों को निकाला जाना कानून के खिलाफ है और यदि है तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यदि यह बात कानून के खिलाफ न होती तो यह मामला संराधन अधिकारी के सामने पेश ही नहीं होता ।

*३६—श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—क्या यह सही है कि लीडर और भारत के कुछ कर्मचारियों को विवाद विचाराधीन होने के समय ही नौकरी से अलग कर दिया गया था तथा कुछ लोगों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुछ कर्मचारी विवाद ऐडजुडिकेशन में दिये जाने के बाद निकाले गये हैं। उनका मामला संराधन अधिकारी, इलाहाबाद के विचाराधीन है। कहा जाता है कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों से अपील की गई थी कि स्वतः त्यागपत्र दें। अधिकांश कर्मचारियों ने इस अपील के उपरांत स्वयं त्यागपत्र दे दिये। सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई कि किसी कर्मचारी को त्यागपत्र देने के लिये बाध्य किया गया ।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन किन समाचार पत्रों के मालिकों और कर्मचारियों के औद्योगिक विवाद ऐडजुडिकेटर के पास हैं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---इस समय जैसा कि मुझे मालूम है लीडर, पायनियर, नेशनल हेराल्ड, अमृत बाजार पत्रिका और आज इन पांच के मामले हैं।

**श्री कृष्णचन्द्र शर्मा**---क्या सरकार निकाले गये और त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों की संख्या अलग अलग बतलाने की कृपा करेगी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---इस वक्त यह संख्या मेरे पास नहीं है।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन्हीं समाचार पत्रों के मालिकों ने ऐडजुडिकेटर के यहां से मामला वापस लेने के लिये सरकार से निवेदन किया है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---जी हां, ऐसे मामले तो हुआ ही करते हैं और इस बार भी ऐसा हुआ है।

**श्री कृष्णचन्द्र शर्मा**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष श्री ज्वालासिंह ने सरकार को अधिकृत रूप से सूचित कर दिया था कि ये जो कर्मचारी निकाले गये हैं वे आर्थिक संकट के कारण नहीं, बल्कि ट्रेड यूनियन ऐक्टिविटीज (कार्य-कलाप) के कारण निकाले गये हैं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---हो सकता है कि इन सज्जन ने ऐसी सूचना दी हो लेकिन जब तक जिन कर्मचारियों का प्रश्न है वे स्वयं जो तरीका है उस तरीके से प्रश्न को नहीं उठायेंगे तब तक कोई खास कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

## हथियारों के लाइसेंस देने के नियमों में परिवर्तन

*३७---**श्री चिरंजीलाल पालीवाल** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार ने हथियारों के लाइसेंस देने सम्बन्धी नियमों में बदलाव करने की कोई योजना बनाई है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---जी नहीं।

*३८---**श्री चिरंजीलाल पालीवाल**---यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेटों को कोई नये आदेश जारी किये हैं और ये नये आदेश क्या हैं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---प्रश्न नहीं उठता।

**श्री चिरंजीलाल पालीवाल**---क्या सरकार को पता है कि माननीय मुख्य मंत्री ने २४ मई को बख्शी के तालाब के अपने भाषण में उदारतापूर्वक हथियारों के लाइसेंस देने की सलाह जिलाधीशों को दी थी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---अखबारों में ऐसी रिपोर्ट तो पढ़ने में आयी थी।

**श्री सुल्तान आलम खां**---(जिला फर्रुखाबाद) क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि असलहा के लाइसेंस देने के सिलसिले में उनकी क्या नीति है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---मेरी नीति तथा गवर्नमेंट की नीति वही है जो इस समय बर्ती जाती है।

**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लाइसेन्सेज की अधिक संख्या करने के साथ सरकार इस बात के लिये भी कोई व्यवस्था करेगी कि उसका दुरुपयोग न हो ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—मैं समझता हूं कि इस उत्तर प्रदेश के आदमी प्रायः समझदार आदमी हैं और दुरुपयोग तो नहीं करेंगे और हो भी नहीं रहा है।

**श्री सुल्तान आलम खां**—क्या मंत्री महोदय इसके लिये तैयार हैं कि वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को ऐसी हिदायतें दें कि जिन लोगों के चाल-चलन के मुताल्लिक शिकायत नहीं है और अगर वह चाहें तो उन्हें लाइसेंस मिल जाय ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—उसूलन तो यह बात अच्छी है लेकिन इस वक्त यह कहना मुश्किल है कि व्यावहारिक रूप से इसे करना मुमकिन भी होगा या नहीं ।

**श्री सुल्तान आलम खां**—क्या माननीय मंत्री इसके लिये तैयार हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से सिफारिश की जाय कि आजाद भारत के आजाद उत्तर प्रदेश से लाइसेंस असलहा के कानून को उठा लिया जाय ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—अगर पब्लिक की तरफ से ऐसी मांग गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास पेश की जाय तो इस प्रदेश की सरकार को कोई खास आपत्ति नहीं होगी।

**श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी** (जिला गोंडा)—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि वह इसके लिये तैयार है कि हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह हिदायत दे कि गल्ती से या किसी भी वजह से अगर किसी कौमी काम करने वालों का लाइसेंस ले लिया गया है तो दोबारा उसको दे दिया जाय ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—यह तो मैं नहीं कह सकता कि उसको दे दिया जाय मगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के पास आलरेडी (पहले ही) इस किस्म की हिदायतें हैं कि अगर कोई शरीफ आदमी है और लाइसेंस देने के जो कायदे हैं उनके अन्दर न भी आते हों और उसको लाइसेंस देने में कोई हर्ज न हो तो वह उनको दे सकते हैं। तो जिन कौमी काम करने वालों की तरफ इशारा माननीय प्रश्न करने वाले सज्जन ने किया है वह सब उसके अन्दर आ जाते हैं ।

**श्री केशव गुप्त**—क्या माननीय मंत्री जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को ऐसी हिदायतें दे रहे हैं कि जो हथियार अपने देश में बनते हैं उनके लाइसेंस वह सहूलियत से दें और जो देश में नहीं बनते हैं उनके लाइसेंस हर्गिज न दिये जायं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—अपने देश में इतने अच्छे हथियार बनते हैं कि वह किसी माने में बाहर के हथियारों स कम घातक नहीं हैं। इसलिये नियम एक से ही होने चाहियें।

**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार ने लाइसेंस जारी करने के लिये जिलवार निश्चित संख्या निर्धारित कर रखी है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—जी नहीं।

**राजा वीरेन्द्र शाह**—क्या सरकार को यह मालूम है कि निकट भविष्य में सरकार द्वारा बहुत से लाइसेंस कम किये जायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। हमारे बहुत से राजे महाराजे और ताल्लुकेदार थे उनके ऊपर खामख्वाह के लिये एक बोझा था। उस बोझ को सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है और वही संख्या लाइसेंस की कम हो गई है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार ने कोई ऐसा गुप्त आदेश दिया है कि हथियारों के लाइसेंस विशेषकर जमींदारों को ही दिये जायं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक तो मैं ने जो अभी इस प्रश्न से पहले के प्रश्न का उत्तर दिया है उससे मालूम होता है कि जमींदारों बेचारों के हथियार ले लिये गये हैं। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता और दूसरे जमींदारी अबालिशन (विनाश) के बाद अब जमींदार रहा ही कौन जिसको हथियार दिया जावेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी (जिला लखनऊ)—क्या यह सरकार आर्म्स ऐक्ट के रद्द किये जाने की पक्षपाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सिद्धान्तः यह चीज अच्छी है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि देश के प्रत्येक बालिग को जो वहां का नागरिक है, शस्त्र का लाइसेंस दिया जाना चाहिये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह तो मैंने अभी माननीय श्री बाजपेयी जी के प्रश्न के उत्तर में कह दिया।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार को यह मालूम है कि मौजूदा आर्म्स ऐक्ट में बगैर संशोधन हुए जिला मजिस्ट्रेटों को बंदूक या रिवाल्वर देने में कानूनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, मैं समझता हूं कि रिवाल्वर और कुछ खास खास बोरों की बंदूकों के मिलने में दिक्कत पड़ती है।

*३९-४१—श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)—[२४ जुलाई, १९५२ के लिए स्थगित किये गए।]

## हाई स्कूलों के विद्यार्थियों की कापियों के परीक्षकों की नियुक्ति

*४२—श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष हाई स्कूल के विद्यार्थियों की कापियां जांचने के लिये कितने परीक्षक नियुक्त किये गये थे ?

डाक्टर सीताराम—३,२३२।

*४३—श्री हरिप्रसाद—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन परीक्षकों को कौन नियुक्त करता है और परीक्षकों की योग्यता क्या होती है ?

डाक्टर सीताराम—परीक्षकों की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, तत्सम्बन्धी समितियों के सुझाव पर करता है।

बोर्ड के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जब तक कि वह तीन वर्ष तक अध्यापक न रहा हो परीक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता और इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति

जब तक कि उसे पांच वर्ष के अध्यापन कार्य और तीन वर्ष बोर्ड के परीक्षक के कार्य का अनुभव न हो प्रधान या उप-प्रधान परीक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता। जहां तक शिक्षा योग्यता का सम्बन्ध है इन व्यक्तियों के लिये विभिन्न विषयों में हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता रखना आवश्यक है।

**श्री पुत्तुलाल** (जिला आगरा)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इतने परीक्षकों में से हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों के कितने परीक्षक थे?

**श्री हरगोविन्द सिंह**—परीक्षकों के नियुक्त करने का जो नियम है वह इस आधार पर नहीं है। इसलिये इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता।

**श्री मदनमोहन उपाध्याय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो एग्जामिनर्स (परीक्षक) एक दफा मुकर्रर हो जाते हैं वे अपनी नौकरी भर तक बराबर एग्जामिनर रहते हैं?

**श्री हरगोविन्द सिंह**—सिर्फ चार साल तक रहते हैं।

**श्री शिवकुमार शर्मा**—क्या सरकार को यह मालूम है कि इधर कुछ वर्षों से विद्यार्थियों में यह कुप्रथा घर कर गयी है कि वे परीक्षकों का पता लगाकर, उनके घर पहुंच कर, फिर नम्बर बढ़वाने की कोशिश करते हैं? अगर सरकार को यह मालूम है, तो इसके लिये सरकार क्या करना चाहती है?

**श्री हरगोविन्द सिंह**—सरकार को इसका पता है और मैं आशा करता हूं कि जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें यह असम्भव हो जायगा।

**श्री व्रजविहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को मालूम है कि इधर प्रश्नों का आउट (पूर्व पता) हो जाना एक साधारण बात हो गयी है?

**श्री हरगोविन्द सिंह**—नहीं, यह गलत बात है। प्रश्न आउट नहीं हो पाते।

*४४—**श्री हरिप्रसाद**—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि परीक्षकों तथा प्रधान परीक्षकों की नियुक्ति तथा उनके कापियों को जांचने के सम्बन्ध में कोई नियम है? यदि हां, तो क्या वे उसकी एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

**डाक्टर सीताराम**—जी हां। परीक्षकों तथा प्रधान परीक्षकों की नियुक्ति के नियमों की एक प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर रखी है। कापियों के जांचने के नियमों की प्रतिलिपि मेज पर रखना सार्वजनिक हित में उचित नहीं है। यदि माननीय सदस्य उन्हें देखना ही चाहते हैं तो वे विभाग से उन्हें प्राप्त हो सकती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५८ पर)

*४५-४६—**श्री वीरेन्द्रपति यादव** (जिला मैनपुरी)—[१७ जुलाई, १९५२ के लिए संख्या ८-९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४७—**श्री देवकीनन्दन विभव**—[१५ जुलाई, १९५२ के लिये संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## हाई स्कूल की परिक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की कमी

*४८—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या सरकार को मालूम है कि हाई स्कूल की परीक्षा में इस वर्ष ५१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुये जब गत वर्ष ५७ प्रतिशत

उत्तीर्ण हुये थे? इस ह्रास का क्या कारण है और सरकार उसे दूर करने का क्या उपाय सोचती है?

डाक्टर सीताराम--जी हां। उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत संख्या में इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा कमी होने का कारण यह है कि व्यक्तिगत छात्रों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है जो कि परीक्षा के लिए यथोचित तैयारी नहीं कर पाते और अधिक संख्या में अनुत्तीर्ण होते हैं।

| | व्यक्तिगत विद्यार्थी संख्या | उत्तीर्ण प्रतिशत |
|---|---|---|
| १९५१ .. | ४६,३९६ | ४२.६ |
| १९५२ .. | ५८,५६७ | ३५.०२ |

परीक्षा संबंधी कार्य माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, के अधीन संचालित होते हैं। उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत संख्या में ह्रास को रोकने के उपाय परिषद् के विचाराधीन हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री वार्षिक परीक्षा के स्थान में छात्र के पीरियाडिकल टेस्ट (सार्वधिक जांच) और विकास की पद्धति पर विचार करेंगे?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह और इससे और सम्बन्धित प्रश्न सब एक कमेटी के विचाराधीन इस समय हैं और आशा है कि उस कमेटी की रिपोर्ट जल्दी ही सरकार को प्राप्त हो जायगी।

## पाठ्यक्रम में चरित्र-गठन विषयक पुस्तकों का रखा जाना

*९९--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या सरकार लड़के और लड़कियों के चरित्र गठन विषय की पुस्तकें उनके पाठ्य पुस्तकों में रक्खेगी?

डाक्टर सीताराम--पाठ्य पुस्तकों में ऐसे पाठ रहते ही हैं जिनका उद्देश्य चरित्र गठन है और नैतिक शिक्षा की पृथक् रूप से पढ़ाई का प्रश्न विचाराधीन है।

*१००-१०१--श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)--[२५ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

## रतिभानपुर, जिला अलीगढ़ में २५-२६ अप्रैल को की गयी डकैती के संबंध में रिपोर्ट

*२--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि रतिभानपुर, थाना सिकन्द्राराऊ, अलीगढ़ में २५/२६ अप्रैल को डकैती हुई पर उसकी डकैती रिकार्ड न करके चोरी दिखायी गयी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

## श्री दुखी हरिजन, साकिन अलाईपुर, जिला सीतापुर का बेगार के विरुद्ध पुलिस कप्तान को प्रार्थना-पत्र

*२४--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री दुखी हरिजन (चमार), साकिन अलाईपुर, थाना सिधौली ने

---

नोट--तारांकित प्रश्न २४ व २५ श्री सुरेश प्रकाश सिंह ने पूछे।

तारीख २० नवम्बर, सन् १९५१ ई० को एक प्रार्थना-पत्र पुलिस कप्तान के सामने इस आशय का प्रस्तुत किया था कि उससे बेगार ली गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां।

*२५—श्री ताराचन्द मोहश्वरी (अनुपस्थित)--यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मामले की जांच करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई है और अब यह मामला अदालत में विचाराधीन है ।

## अतारांकित प्रश्न

## निम्बकर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति

१--श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि निम्बकर कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार ने न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ता पर किये गये निर्णयों को, जो कि निम्बकर कमेटी की सिफारिशों पर २० नवम्बर, १९४८ ई० के प्रस्ताव द्वारा घोषित किये गये थे, यथासंभव लागू किया है। न्यूनतम वेतन पर बाद में मिनिमम वेजेज ऐक्ट भी पास हो गया। इस ऐक्ट के अन्तर्गत सरकार ने हाल ही में न्यूनतम वेतन की दरें निर्दिष्ट उद्योगों में निश्चत कर दी हैं। बोनस के बारे में निम्बकर कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं की गई क्योंकि यह सिफारिशें मजदूरों के हित के खिलाफ होतीं। बोनस मजदूरों को समय समय पर सरकारी आज्ञा द्वारा एडजुडीकेशन द्वारा मिलता रहता है।

## चीनी मिल मजदूरों के बारे में स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति

२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि चीनी मिल मजदूरों के हेतु स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी (सरूपीकरण समिति) की रिपोर्ट को लागू करने के बारे में सरकार की क्या आज्ञा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—स्टैन्डर्डाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

## रामनगर, जिला नैनीताल, में बरेली बैंक तथा नैनीताल बैंक में हुई डकैतियों के सम्बन्ध में कार्यवाही

३--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि रामनगर, जिला नैनीताल, में बरेली बैंक व नैनीताल बैंक में हुई डकैतियों के सम्बन्ध में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नैनीताल बैंक, रामनगर, की डकैती की जांच हो रही है और कुछ व्यक्ति संदेह में पकड़े भी गये हैं। जांच अभी जारी है।

बरेली बैंक की डकैती के सम्बन्ध में ४ व्यक्ति पकड़े गये थे, परन्तु सबूत की कमी की वजह से वह छोड़ दिये गये और मुकदमा अदालत में भेजा न जा सका।

४--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--[१४ जुलाई, १९५२ के लिए संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## महावीर शूगर मिल्स, सिसवा बाजार, के गन्दे पानी का खेखड़ा नदी में गिराया जाना

५--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री महावीर शूगर मिल्स, सिसवा बाजार का गन्दा पानी खेखड़ा नदी में गिराया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि खेखड़ा नदी का पानी गन्दा तथा विषाक्त हो गया है और उसका पानी पीकर जानवर मर जाते हैं और पानी से मछलियां तक जीवित नहीं रहतीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--(अ) जी हां।

(ब) जी हां, पानी गन्दा तथा विषाक्त होने की शिकायतें तो आई है, किन्तु जानवरों या मछलियों के मरने की कोई सूचना अभी तक नहीं आई।

६--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खेखड़ा नदी को विषाक्त होने से बचाने का क्या उपाय किया जा रहा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मिल मालिकों ने यह आश्वासन दिया है कि आगामी सीजन में इसका उचित प्रबन्ध करेंगे।

इसके अतिरिक्त सरकार ने इस प्रश्न के हल करने के लिये फ़ैक्टरी इफ़ेल्युएन्ट्स कमेटी नियुक्त की थी जिसकी रिपोर्ट अब निकलने ही वाली है।

---

## विभिन्न अनुदानों पर विचारार्थ समय-विभाजन

अध्यक्ष--आज वित्तीय वर्ष १९५२-५३ ई० के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव उपस्थित होंगे।

अभी तक इस सम्बन्ध में प्रथा यह रही है कि जो अनुदान किसी ग्रुप में होते हैं उनके लिये भवन यदि उचित समझे तो समय हर एक अनुदान के लिये नियत कर दे। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या भवन यह उचित समझता है कि इस के लिये समय इस वर्ष भी नियत कर दिया जाय। हर एक अनुदान के लिये उसकी मद को देखते हुए अगर भवन की इच्छा है तो हां कहे।

सदस्यगण--हां।

अध्यक्ष--तो मैं समझता हूं कि यह इच्छा है। इसलिये अब जो माननीय सदस्य इस विषय में सुझाव पेश करना चाहें कि किस अनुदान के लिये कितना समय दिया जाय वह पेश करें। आज ४ घंटे समय है और कल चूंकि शनिश्चर है, अधिवेशन नहीं किये जायंगे, इसलिये कल का ५ घंटे है। अब किस किस अनुदान के लिये कितना कितना समय लगेगा, उसके लिए आप कृपया सुझाव पेश करें।

**सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)**---मैं तजवीज करता हूं कि अनुदान संख्या २२ के लिये दो घंटे, अनुदान संख्या ३५ के लिये ४५ मिनट और अनुदान संख्या ४४ के लिये डेढ़ घंटे का समय रख दिया जाय।

**अध्यक्ष**---यह तो सवा चार घंटे हो गये।

**श्री मंगला प्रसाद**---तो अनुदान संख्या २२ के लिये पौने दो घंटे कर दिये जाँय।

**अध्यक्ष**---आप कल के लिये भी बता दीजिये।

**श्री मंगला प्रसाद**---कल अनुदान संख्या १३ के लिये तीन घंटे रख दिये जायं और बाकी के लिये एक घंटा।

**अध्यक्ष**---कल शनिश्चर है, प्रश्न नहीं लिये जायंगे, इसलिये पाँच घंटे हैं।

**श्री मंगला प्रसाद**---तो अनुदान संख्या १३ के लिये ३ घंटे कृषि सम्बन्धी विकास और खोज के लिये ३० मिनट पशु चिकित्सा के लिये ३० मिनट और बाकी के लिये जो समय बाकी बचे वह रहे।

**श्री राज नारायण** (जिला बनारस)--- आपके द्वारा मैं श्री मंगला प्रसाद जी से यह निवेदन करूंगा कि अनुदान संख्या ३५ के लिये डेढ़ घंटा समय कर दिया जाय।

**अध्यक्ष**---आप शुरू से बताइये।

**श्री राजनारायण**---अनुदान २२ का समय ठीक है। जो समय अनुदान ३५ के लिये रखा गया है वह अनुदान ४४ के लिये रख दिया जाय और जो समय अनुदान ४४ के लिये रखा गया है वह अनुदान ३५ के लिये रख दिया जाय।

**अध्यक्ष**---यानी अनुदान संख्या ३५ के लिये आप चाहते हैं डेढ़ घंटा और ४४ के लिये पौन घंटा।

**श्री केशव गुप्त** (जिला मुजफ्फरनगर)--- अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है--- अनुदान संख्या २२ अर्थात् "कृषि" के लिये डेढ़ घंटा, "दुर्भिक्ष सहायता" के लिये आध घंटा, "कृषि योजना पर पूंजी की लागत" के लिये डेढ़ घंटा, "गांव सभायें और पंचायतें" के लिये दो घंटा, "कृषि सम्बन्धी विकास और खोज" के लिये दो घंटा, "पशु चिकित्सा" लिये आध घंटा, और "नागरिक निर्माण कार्यों" के लिये सवा घंटा।

**राजा वीरेन्द्र शाह** (जिला जालौन)--- श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव यह है कि जो कृषि सम्बन्धी अनुदान हैं वे आज से कल १ बजे तक ले लिये जायं, उसके बाद दो तीन अनुदान रह जाते हैं वे ढाई घंटे में ले लिये जायं।

**अध्यक्ष**---इस प्रकार के सुझाव मैं स्वीकार नहीं करता।

**श्री रामजी सहाय** (जिला देवरिया)---मेरा यह सुझाव है कि स्वशासन मंत्रा का जो विभाग है उसके लिये पूरा दिन कल का दे दिया जाय। आज का क्रम यह हो। २२ के लिये डेढ़ घंटा, ३५ के लिये आध घंटा, ४४ के लिये आध घंटा, २१ के लिये आध घंटा और २४ के लिये आध घंटा।

अध्यक्ष---सब तरह के सुझावों पर विचार करके यह समय मैं नियुक्त करता हूं---

अनुदान संख्या २२ के लिये पौने दो घंटे।
" " ३५ " " एक घंटा।
" " ४४ " " सवा घंटा।
" " १३ " " ढाई घंटे।
" " २१ " " सवा घंटा।
" " २४ " " आधा घंटा।
" " ३४ " " पौन घंटा।

इस प्रकार यह समय का वितरण किया गया। अब माननीय सदस्य जिनका कटौती का प्रस्ताव होगा उनके लिये मैं १० मिनट दूंगा और उसके पश्चात् बाकी बोलने वाले जो किसी अनुदान के सम्बन्ध में होंगे उनके लिये ७ मिनट मिलेंगे। जिन मदों के लिये एक घंटे से ज्यादा समय दिया गया है उनमें कटौती के प्रस्ताव को पेश करने वाले महानुभाव अगर किसी पार्टी के हों और उस पार्टी के दूसरे सदस्य अधिक न बोलें और मुझे इस विषय में सूचना दें तो मैं कटौती के प्रस्ताव को पेश करने वालों के लिये ५ मिनट का समय और अधिक दे दूंगा, यानी १५ मिनट का समय उनको दे सकूंगा।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---मैं एक बात कहना चाहता था और माफी इस बात की चाहता हूं कि वह बात मुझको अब से पांच मिनट पहले कहनी चाहिये थी, जरा देर मुझे हो गयी।

अध्यक्ष---कहिये।

श्री चरण सिंह---यह जो अनुदान संख्या ४४ है इसमें आपने सवा घंटा रखा है। मैं समझता हूं इसमें १५ मिनट की जरूरत है क्योंकि वह एक टेक्निकल प्राविधिक सी बात है और उसमें मैं समझता हूं सदन का समय बेकार नष्ट होगा अगर सवा घंटे का समय उसके लिये हमने रखा। शायद उसके समझने में कुछ गलतफ़हमी हो गयी है जिसकी वजह से नेता विरोधी दल ने यह सुझाव दिया।

अध्यक्ष---विरोधी दल के नेता ने तो पौन घंटे से ज्यादा नहीं चाहा था। वह तो आपके चीफ विप, श्री मंगला प्रसाद साहब, ने डेढ़ घंटा उसके लिये नियुक्त किया था और मैं समझता हूं कि विरोधी दल के नेता का मत लेकर ही किया था। मैं समझा कि दोनों तरफ़ से यह बात है इसलिये मैंने सवा घंटा कर दिया। अगर विरोधी दल के नेता इसको कम करना चाहें और किसी दूसरे में बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं।

श्री चरण सिंह---अनुदान संख्या ३५ में बढ़ा दें। मैं तैयार हूं, दुर्भिक्ष के बारे में जितना बोलना चाहें बोल लें।

श्री राजनारायण---जी हां, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष---अच्छा तो उसमें एक घंटा रखा था अब डेढ़ घंटा कर देता हूं। तो इस प्रकार हो गया। अनुदान संख्या २२ में पौने दो घंटे, ३५ में डेढ़ घंटा और ४४ में पौन घंटा।

# वित्तीय वर्ष, १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (लेखा-शीर्षक ४०—कृषि) के अन्तर्गत २,०३,९४,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

यह मांग कृषि-विभाग के इंजीनियरिंग सेक्शन, कोलोनाइजेशन सेक्शन और फूड प्रोडक्शन इन तीन बड़ी मांगों से संबंध रखती है। अब तक जो इस विभाग ने काम किया है उसका मैं थोड़ा सा ब्यौरा सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो नई स्कीम इस साल के बजट में है, उसका मैं बाद में जिक्र करूंगा।

इस विभाग के अधीन अब तक ३०,३४१ मैसनरी वेल्स (पक्के कुवें) सूबे के एक कोने से दूसरे कोने तक सब जिलों में बनवाये जा चुके हैं। कहीं २,००० कहीं ४,००० और कहीं ५००। पूर्वी जिलों में अब तक जो कुवें बने हैं, कम बने हैं इसका हमें बड़ा अफसोस है जहां ज्यादा बनाये जाने की जरूरत थी वहां कम बने। कारण विशेष यह है कि इसमें किसानों को वक्त पर सामान नहीं पहुंच सका। सामान न पहुंचने का कारण यह है कि जो ओ० टी० रेलवे के वैगन्स थे वे वक्त पर बावजूद हमारी कोशिशों की मुहैया नहीं हो सके। इसी सिलसिले में आगे के लिये हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इसका मैं बाद में जिक्र करूंगा।

अब तक ३०,३४१ कुवें बन चुके हैं और १२,०८० कुवों का बोरिंग के जरिये सुधार किया जा चुका है। जो प्रायवेट कुवें हैं उनके लिये सबसीडी (राज सहायता) या कर्जे के तौर पर मदद करके उनका सुधार किया जा चुका है। जिन कुवों का सुधार हुआ है उनकी तादाद १२,०८० है। रेहट जो मुहैया किये गये हैं वे भी अनुदान देकर किये गये हैं या कर्जे के तौर पर किये गये हैं। अब तक १४,१०७ रेहट तक्सीम किये गये हैं। प्राइवेट ट्यूबवेल्स को भी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग ने ठीक करवाया है और इनकी तादाद ४३३ है। इनके अलावा पम्पिंग सैट्स फी एकड़ डेढ़ या दो रुपया सबसिडी देकर बनाये गये हैं। इस वक्त १५० पम्पिंग सैटस पूर्वी जिलों में काम कर रहे हैं।

गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बुंदेलखंड में बंधिया बनवाई हैं जो वहां की कृषि की हालत को सुधारती हैं और जिनसे आबपाशी का इन्तजाम होता है और इरोजन (कटाव) रुकता है। इससे १०,३०० एकड़ भूमि कवर की गई है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी मद है ड्रेनेज की। इसके जरिये से १,४०,००० एकड़ जमीन वाटर लोग्ड एरिया (जलावरुद्ध क्षेत्र) में से रिक्लेम (कृष्यकृत) की जा चुकी है। जहां पहले पानी भरा रहता था खेती के नाकाबिल जमीन रहती थी, वहां एग्रीकल्चर विभाग के जरिये से इस जमीन पर से पानी को हटाया गया और अब वह जमीन जेरेकाश्त है। इसमें ज्यादा खर्चा भी होता है। इसका खर्चा महज २० रुपये से लेकर २५ रुपये एकड़ पड़ता है। इस सिलसिले में मैंने गलत कहा कि केवल एक स्कीम है। एक नहीं बल्कि दो स्कीम्स हैं। एक यह है कि पूर्व के आठ जिलों में कुवें खोले जायेंगे। मेसनरी वेल्स (पक्के कुवें) की स्कीम सूबे के दूसरे जिलों के लिये नहीं है। केवल पूर्व के इन ८ जिलों के लिये है। जो दिक्कत अब तक हमें किसानों के लिये सामान मुहय्या करने में रही है उसका मुकाबला करने की कोशिश की है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (प्रशासनाधिकारी) खास तौर से इस काम के लिये

[ श्री चरण सिंह ]

मुकर्रर किया गया है ताकि रेलवे अथारिटीज (प्राधिकारियों) से, कलकत्ता आदि के कारखानों के मैनेजरों से, जहां से सामान आता है वहां के विभिन्न जिलों के आफिसरों से, मिलने जुलने का काम और गवर्नमेंट आफ इंडिया से अगर आवश्यक हो तो उनसे सम्पर्क करने के लिये, ये सारे काम यह एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर करेगा और अब तक जो नतायज काम करने से निकले हैं उनसे यह कहा जा सकता है कि यह योजना सफल होगी। ६ हजार मेसनरी वेल्स इस साल तक बन जायंगे।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)—आठ जिले कौन कौन होंगे ?

श्री चरण सिंह—गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया ये आठ जिले हैं।

दूसरी स्कीम दूसरे जिलों के लिये जहां कि मेसनरी वेल्स नहीं हैं वहां ३०० कोआपरेटिव टयूबवेल्स की है। कोआपरेटिव टयूबवेल्स बनाने के लिये १० किसान से अधिक मिल कर एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनायेंगे। जहां बिजली नहीं मिलती है वहां डिजेल इंजिन से काम लिया जायगा। एक टयूबवेल के बनने में १५ हजार रुपये के करीब कीमत आयेगी। मेरठ, इटावा आदि में ऐसे टयूबवेल्स बन चुके हैं। किसानों को यह स्कीम पसन्द है। १५ हजार में से ५ हजार तो किसान जमा करेंगे कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर, बाकी १० हजार में से ५ हजार गवर्नमेंट सबसीडी (राज सहायता) के रूप में देगी जो सामान की शक्ल में होगी, नकदी की शक्ल में नहीं, और बाकी ५ हजार रुपया गवर्नमेंट कर्जे के रूप में तकाबी के तौर पर देगी जो बाद में किसानों से वसूल कर लिया जायगा। इस तरह ये टयूबवेल्स बनेंगे। एक टयूबवेल एक घंटे में १० हजार गैलन पानी देता है जो आबपाशी के लिये काफी है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भी इस सिलसिले में सरकार को लिखा है और जगहों से भी मांग आई थी। ये दो स्कीमें अब के बजट में नई हैं।

इसके अलावा इसी विभाग के अन्तर्गत तराई, काशीपुर, मनुनगर, अफजलगढ़, गंगा खादर की कालोनाइजेशन स्कीम्स (उपनिवेशन योजनाएं) हैं। झांसी की कांस इरेडिकेशन स्कीम (कांस उत्पाटन योजना) और मेकेनाइज्ड फार्मिंग (यंत्रीकृत कृषि) की भी स्कीम्स हैं। अब तक २ लाख ६ हजार एकड़ जमीन गवर्नमेंट ट्रैक्टरों के जरिये से तोड़ी जा चुकी है। १० लाख ८० हजार एकड़ जमीन प्राइवेट कल्टीवेटर्स के जरिये से जिसमें इस विभाग ने मदद पहुंचाई है, तोड़ी जा चुकी है। बरेली में एक सेंट्रल वर्कशाप भी खुला हुआ है और तीन छोटे वर्कशाप्स झांसी, मेरठ और लखनऊ में खुले हैं। ४९२ ट्रैक्टर्स गवर्नमेंट के पास मेकेनाइज्ड फार्मिंग के लिये हैं। मुझे तसलीम है कि अब तक जो काम हुआ वह संतोषजनक नहीं रहा। उसके दो कारण थे। एक तो हमें काम बढ़ाना पड़ा, मशीनें काफी खरीदनी पड़ीं, लेकिन ट्रेण्ड पर्सनल (प्रशिक्षित कर्मचारि वर्ग) उसके लिये नहीं थे। दूसरे स्पेयर पार्ट्स (अतिरिक्त पुर्जों की कमी थी। अगर कोई इंजिन खराब हो जाय तो उसका कोई हिस्सा रिप्लेस (प्रतिस्थापित) करने के लिये वह पार्ट हिन्दुस्तान में मुहय्या नहीं होता था, बरसों उसमें लग जाते थे। अब स्पेयर पार्ट्स पहले से बहुत ज्यादा तादाद में अवेलेबिल (उपलब्ध) हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि जितनी जरूरत है उस सबको मीट (पूरा) किया जा सकता है लेकिन काफी तादाद में हैं। ट्रेंड पर्सनल की भी उतनी कमी नहीं है जो साल दो साल पहले थी। नतीजा यह है कि ४९२ गवर्नमेंट ट्रैक्टर्स में से ६० फीसदी हर वक्त काम करने के लायक अवेलेबिल (उपलब्ध) होते हैं। ४० फीसदी ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से, स्पेयर पार्ट्स न होने की वजह से फील्ड (खेत) में नहीं होते। बाकी ६० फीसदी से हर वक्त काम होता है। पहले इनकी तादाद जो जेरे काम रहते थे, कम थी। यह हालत तो मैंने मशीनों और वर्कशाप्स के बाबत बतलाई।

मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारे पास तीन चार स्कीम्स हैं, गंगा खादर, तराई काशीपुर। ये तीनों कालोनाइजेशन (उपनिवशन) की स्कीम्स हैं। ये करीब करीब मुकम्मल हो चुकी हैं। मनुनगर की भी स्कीम करीब करीब पूरी हो चुकी है क्योंकि सेटलर्स (बसने वाले) आ चुके हैं। अफजलगढ़ की स्कीम शुरू हो गई है। तीन स्कीम जो मुकम्मल हो चुकी हैं उनका मैं जरा सा ब्यौरा, माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये सदन के सदस्यों को बतलाना चाहता हूं। ७३ हजार एकड़ जमीन रिक्लेम (कृष्यकरण) की गई है इन तीनों जगहों पर, तराई में ३५ हजार, काशीपुर में १८ हजार और गंगा खादर में २० हजार। सेटलर्स की तादाद ५,३४७ है। ३,०१० डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (विस्थापित व्यक्ति), ८६२ रिटायर्ड मिलीट्री पर्सनल्स; ७७१ राजनीतिक पीड़ित, लैंडलेस ६६३ (भूमिहीन) और बाकी ४१ हैं। ७० कोआपरेटिव सोसाइटीज इन सेटलर्स की हैं जो कि एक्चुअल कल्टीवेशन (वास्तविक कृषि) में तो कोआपरेट (सहयोग) नहीं करती यद्यपि शुरू में उद्देश्य यहीं था कि वे कोआपरेटिव प्रोडक्शन सोसाइटीज (सहकारी उत्पादन समितियां) हों, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। ज्वाइंट फार्मिंग (संयुक्त कृषि) नहीं होती, लेकिन दूसरी जो किसानों की आवश्यकतायें हैं उनके खरीदने पैदावार को बेचने, आबपाशी के औजार वगैरह प्राप्त करने, ये सारे काम कोआपरेटिव तरीके से होते हैं। ५ कंज्यूमर स्टोर्स (उपभोक्ता भंडार) हैं। उनको २३ लाख, ७ हजार कर्जा दिया गया है। ६९ मील पुख्ता सड़क बन चुकी है। ९७ टयूबवेल्स बन चुके हैं ४२ तराई में, ३० काशीपुर में और २५ गंगा खादर में। तीन पावर हाउस (बिजलीघर) बन गये हैं। हर जगह एक एक पावर हाउस है। यह पावर हाउस टयूबवेल्स के लिये बिजली मुहय्या करते हैं। छोटी मोटी इण्डस्ट्रीज़ भी जो वहां के सेटलर्स लगाने चाहे उनके लिये भी बिजली मिल सकेगी। १२० मील से ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन लग चुकी है। एक टाउनशिप भी हुई है। पहले वह जंगल था। दिन में शेर दहाड़ा करते थे। अगर कोई माननीय सदस्य वहां जाना पसन्द करें तो वहां अब उनको चहल पहल देखने को मिलेगी। कई कई मील तक उनको बिजली देखने को मिलेगी जिसका मतलब यह है कि उनमें अब जीवन है। एक हाई स्कूल वहां बन रहा है। नई नई इमारतें वहां बन रही हैं। वहां एक बहुत अच्छा अस्पताल भी है। इन सबको बतलाने के लिये अगर्चे बहुत ज्यादा मौका नहीं है लेकिन जो काम उस जगह पर हुआ है और जिन लोगों ने वहां पर काम किया है मैं उनको शाबाशी दिये बिना नहीं रह सकता।

एण्टी मलेरिया यूनिट के एक डाक्टर अपने बाल बच्चों को लेकर वहां पर पहुंचे। लोगों ने उनको मशविरा दिया कि वह वहां पर अकेले ही रहें, लेकिन इस तरह की स्पिरिट (भावना) के काम करने वाले डाक्टर वहां पर हैं जो वहां दूर तक की जरूरियात को पूरा करते हैं। एन्टी-मलेरिया का जो वहां पर काम हुआ है वह मैं समझता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों से किसी तरह से छिपा हुआ नहीं है। वहां पर वह जमीन खाली पड़ी हुई थी। लोगों ने बड़े बड़े फार्म वहां पर खोले लेकिन चूंकि जंगली पशु और पक्षियों के कारण बहुत नुकसान वहां पर होता था और मलेरिया बहुत ज्यादा होता था तो जो लोग बड़े बड़े इरादे करके वहां पर गये थे उनका इरादा पस्त हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात की कोशिश की कि वहां पर स्वास्थ्य का सुधार किया जाय तो वहां पर मलेरिया को नष्ट किया गया। मैं इसकी तफसील में जाना नहीं चाहता कि किस प्रकार से वहां पर काम किया गया लेकिन उसका नतीजा यह है कि आज मलेरिया लखनऊ में हो सकता है लेकिन रुद्रपुर में नहीं। आज आप को लखनऊ में मसहरी की जरूरत हो सकती है लेकिन रुद्रपुर में मसहरी की जरूरत नहीं। वहां पर आज यह कहा जाता है कि अगर कोई एक मच्छर मार कर लावेगा तो उसको इनाम दिया जायगा। जहां तक कि स्वास्थ्य सुधार का सम्बन्ध है उसके लिये हमारी सरकार ने यह काम वहां पर किया है।

[श्री चरण सिंह]

हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने तराई में १५७ लाख रुपया खर्च किया है। उसमें से ५८ लाख रुपया तो अब तक हमें वसूल हो चुका है और ९९ लाख का बैलेन्स (शेष) अभी बाकी है। उस ९९ लाख के बैलेन्स में से जो सालाना आमदनी पिछले साल हुई उससे वहां पर जो सरकारी फार्म है, उसमें एक बगीचा लगाया गया है और एक बहुत बड़ी डेरी (दुग्ध शाला) खोली गई है। वह आमदनी ७८० हजार रुपया हुई. कहने का मतलब यह है कि ८ परसेंट की आमदनी वहां पर हुई उस ९९ लाख आउट ले (लागत) से जो कि हमारा लगा हुआ है गंगा खादर की स्कीम में हमारा ९० लाख के करीब खर्च हुआ है और उससे १३ लाख की आमदनी अभी तक हुई है। यहां पर जितना रिटर्न (प्रतिफल) हमको नहीं मिल रहा है जितना कि तराई से रिटर्न हमको मिल रहा है। यह हमको तसलीम करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ये आंकड़े इसलिये बतलाये कि इस सिलसिले में तरह तरह की गलत-फहमियां फैली हुई हैं। उनको दूर करने के लिये मैंने ये आंकड़े दिये हैं। इस साल दो स्कीमें वहां पर आबपाशी बढ़ाने के लिये जहां तक कोलोनाइजेशन (उपनिवेशन) का सम्बन्ध है चलाई जायंगी। मनुनगर और अफजलगढ़ में वह स्कीम चलाई जायगी और उनके लिये १५ लाख रूपया जायद खर्च होगा और वही रकम इसमें रखी गयी है। पिछले साल इस खर्च के लिये जो रकम रखी गई थी वह १ करोड़ ८८ लाख ८८ हजार थी और अब इस साल के लिये जो रकम रखी गई है वह २ करोड़ ३ लाख ९४ हजार ३०० रुपया है। वही १५ लाख रुपया जायद रखा गया है जो कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स के लिये मनु नगर और अफजलगढ़ में खर्च होगा। वही खासतौर पर खर्चा इसमें बढ़ाया गया है। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ इस सदन से दरख्वास्त करता हूं कि वह मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)---आदरणीय स्पीकर महोदय,

अध्यक्ष---आप कुछ अधिक समय लेना चाहेंगे?

श्री राजनारायण---जी हां, कुछ थोड़ा सा।

अध्यक्ष---तो आपके लिये १५ मिनट हैं।

श्री राजनारायण---आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२ कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन, लेखा शीर्षक ४०—कृषि, में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन ५०,००० रु० की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभाग के संगठन पर वाद विवाद करना तथा सुझाव प्रस्तुत करना है।

मैं इस अनुदान में कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि ३ दिन या ४ दिन पहले अनुदान का जो विषय सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय उससे पहले क्या कार्यवाहियां हुई हैं उसका लेखा जोखा भी हमें मिलना चाहिये। हमने विधान सभा के सचिव को लिखकर भेजा। उन्होंने कहा कि आप सरकार को लिखिये। चीफ़ व्हिप (प्रधान सचेतक) श्री मंगला प्रसाद जी ने कहा कि जो कुछ भी उनके पास होगा हमारे पास भिजवा देंगे। मगर निहायत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक के आंकड़े और पिछले सालों की कार्यवाहियां हमें नहीं मिलीं। अभी यकायक हमारे मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं उन पर कुछ कहने में दिक्कत होती है। इसलिये मैं डिटेल (विस्तार) में न जाकर सिद्धांत की ही बातें सदन के सामने रखूंगा और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि वे उन सिद्धान्तों को अपने कार्यक्रम में लाने की कोशिश कर सकें तो करें।

कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन में एक लम्बी रक़म मंत्री जी ने मांगी है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसमें यांत्रिक खेती भी है। इसमें पूर्वी जिलों में पक्के कुंवे बनाने और ट्यूबवैल बनाने की भी सहायता है। आदरणीय स्पीकर

महोदय, मैं एक छोटी सी कहानी आपके द्वारा सदन के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। मिर्जापुर जिले में ३ वर्ष पहले एक खेती की योजना चलाई गई। यह योजना कैसे चली यह जानकर सदस्यों को आश्चर्य होगा। किसानों की खेती में (३ एकड़ तक वालों की) जो कि गंगा के किनारे थी, बिना सिंचाई के काफ़ी मात्रा में अन्न पैदा होता था। अगर हिसाब लगाया जाय तो १ एकड़ के पीछे वहां १४ मन से लेकर १६ मन तक पैदा होती थीं। उसे हमारी सरकार ने किसानों से बिना सूचना के छीन लिया और उस पर यांत्रिक खेती की योजना बनाई गई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज तक वहां कितना गल्ला पैदा हुआ है और किसानों के सत्याग्रह के बाद जो वहां जमीन सरकार ने अपने क़ब्जे में रखी उसका मुआविजा भी किसानों को दिया गया या नहीं। योजनायें तो हमारे सामने लम्बी चौड़ी रख दी जाती हैं और कहा जाता है कि यह काम होगा वह काम होगा लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि वह कामयाब नहीं होती हैं। हमको गुमराह करने के लिये आदर्श की बातें की जाती हैं।

जब मैं इस अनुदान पर बोलता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे मुख्य मंत्री की सरकार के समय में हमसे कृषि की उन्नति के लिये अनुदान मांगा जा रहा है जो महात्मा गांधी का 'हम्बिल डिसाइपिल' (विनम्र शिष्य) है। महात्मा जी ने १९३८ में कहा था कि 'बर्न दि फाइल्स' यानी फ़ाइलों को जला डालो। मगर यहां गांधी जी का नाम लेकर कालोनाइजेशन (उपनिवेशन) किया जाता है। फिर भी उसमें तीन कैटेगरी (श्रेणी) रखी जाती हैं। एक को १५ एकड़, दूसरे को ३० एकड़ और तीसरे को ५० एकड़। यह सही है, कभी कभी आंकड़े देते समय हमारे मंत्री महोदय बताते हैं कि 'रिडिस्ट्रीब्यूशन' (बंटवारे) की योजना को सरकार कार्यान्वित नहीं कर सकती। जो ग्रेजुएट हैं, अन्डर-ग्रेजुएट हैं, पोस्ट-ग्रेजुएट हैं उनको यह जमीन दी है। अंडर-ग्रेजुएट्स को १५ एकड़, ग्रेजुएट्स को ३० एकड़ और पोस्ट-ग्रेजुएट्स को ५० एकड़ जमीन बांटी गई है। किस सिद्धान्त के अनुसार यह जमीन दी गई है, गांधी जी के सिद्धान्त के अनुसार या वर्तमान मंत्रिमंडल के सिद्धान्त के अनुसार यह जमीन दी गई है और किस योजना को चलाने के लिये दी गई है? मुझे तो इस कोलोनाइजेशन शब्द से ही चिढ़ हो गई है। क्या उपनिवेश शब्द को बदल कर कोई दूसरा शब्द नहीं काम में लाया जा सकता? इस शब्द में एक बहुत पुरानी गंध आती है इसलिये इसको हटा ही देना चाहिये। दूसरी बात मैं सिद्धान्त के रूप में कह देना चाहता हूं कि अगर सरकार कालोनाइजेशन करना ही चाहती है और उसको सफल ही बनाना चाहती है तो सरकार को चाहिये कि वह राजनैतिक पीड़ितों और पढ़े लिखे लोगों के नाम पर ही खेती को देकर व्यर्थ में योजना और पैसा को बरबाद न करे। मैं किच्छा में गया था। वहां पर बहुत से लैंडलेस लेबरर्स (भूमिहीन मजदूर) हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उनको जमीन क्यों नहीं दी गई। क्या यह जरूरी है कि बनारस, देवरिया और आजमगढ़ के ही पोलीटिकल सफरर्स (राजनीतिक पीड़ित) आयें तो यह काम हो, वर्ना न हो?

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रियों और इस सदन के सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बजट के विवाद के अवसर पर बहुमत ने हमारी ही बात का समर्थन किया है। जो क्रिटिसिज्म (आलोचना) बजट का हुआ है उसमें उधर के सदस्यों ने भी हमारे उद्देश्य का समर्थन किया है। मैंने स्पीकर महोदय से भी निवेदन किया था और माननीय वित्त मंत्री महोदय से भी निवेदन किया था कि कांग्रेस बेंचेज से बोलने वाले सदस्यों ने भी उद्देश्य में और स्वरूप में हमारी ही नीति का समर्थन किया है इसलिये उनको इस बजट को वापिस लेकर दूसरा बजट प्रस्तुत करना चाहिये। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया।

आदरणीय स्पीकर महोदय, एक तरफ तो गवर्नमेंट की ओर से शांति और सर्वोदय की बात कही जाती है लेकिन दूसरी तरफ क्लासीफिकेशन (वर्गीकरण) किया जाता है।

[श्री राजनारायण]

बनारस और देवरिया से ग्रेजुएट्स को बुलाने के बजाय क्या वहां पर कोई गरीब लोग ऐसे नहीं थे जिनके पास खेती नहीं थी? अगर उन बेचारों को खेती मिल जाती तो वे दिन रात एक करके कुछ काम कर सकते और योजना किसी हद तक पूरी हो जाती। स्पीकर महोदय, हमारे सदन के प्रत्येक सदस्य को यह मालूम है कि वहां पर ६७ कोआपरेटिव सासाइटीज बनाई गई थीं लेकिन अगर वहां जाकर देखा जाय तो वहां दूसरी ही हालत है। हो सकता है सरकारी आंकड़ों में सरकारी कर्मचारियों ने कुछ और दिखाया हो मगर यह सच है कि वहां एक भी यूनियन नहीं चल रही है। अखबारों में देखा कि आधे से ज्यादा लोगों ने पोलीटिकल सफरर न होते हुये भी जमीन वहां ले ली। उन्होंने धोखा दिया लेकिन न मालूम उन्होंने वहां से पोलीटिकल सफरर की सनद लेकर जमीन ले ली। यह ज्वलंत प्रमाण है सरकार की स्कीमों के चलने का।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करेंगे मैंने उस समय जो गृह मंत्री थे उनसे यह निवेदन किया था कि यदि हमने अपने देश के लिये कुछ काम किया है तो केवल उसके बदले में हम कुछ लेना हेय समझते हैं। जो मिले वह गरीबी की बिना पर। फिर कांग्रेस पार्टी को यह अधिकार दिया गया था कि उसके जो स्थानीय मंत्री या प्रेसीडेंट हों वे इस बात की पुष्टि करें कि वह शख्स पोलीटिकल सफरर है या नहीं। इसके बाद जिलाधीश उसको सर्टीफाई करता था कि यह राजनीतिक पीड़ित है। कांग्रेस की सनद भी आई और जिलाधीश का समर्थन भी प्राप्त हुआ कि यह व्यक्ति राजनैतिक पीड़ित है तब जाकर उसको जमीन दी गई। अब दो दो तीन तीन साल बाद यह बात कैसे पैदा हो गई कि उनमें से आधे से ज्यादा व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने राजनीतिक पीड़ित न होते हुए भी अनुचित रूप से जमीन हासिल की? इसके बाद आदरणीय स्पीकर महोदय, जहां पर कि यह उपनिवेश बसाने की योजना है, जहां हमारे मंत्री जी ने एक सुखमय संसार बसाने की कल्पना की है वहां और भी बहुत सी खामियां हैं। वहां सब विभाग अलग अलग हैं। कोई डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर हो गया, कोई डाइरेक्टर आफ मेकेनिकल फार्मिंग हो गया, कोई सिंचाई का डाइरेक्टर हो गया, न मालूम पचासों भिन्न भिन्न विभाग बना करके सारी योजना को ही एकदम गर्त में क्यों गिरा दिया! एक काम भी वहां नहीं हो रहा है। जब से सदन की कार्यवाही यहां शुरू हुई है न मालूम कितने तराई से दौड़ दौड़ कर यहां आते हैं और हम लोगों से बातें करके गिड़गिड़ा कर चले जाया करते हैं और इस मंत्रिमंडल के काले कारनामों पर चार आंसू बहा कर चले जाते हैं। हमारे मंत्री जी ने कहा था कि हम ऐसी योजना बना रहे हैं जैसी योजना किसी दूसरे मुल्क में है ही नहीं।

श्री चरण सिंह---दूसरे मुल्क वाले बता दें।

श्री राजनारायण---माफ़ कीजियेगा। आपके बोलने के समय पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है और आपोजीशन पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है, वरना मैं आपको बतलाता और अभी बतला रहा हूं।

जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में आधा एकड़ तक जमीन रखने वाले २६,४३,४११ किसान हैं, एक एकड़ तक जमीन रखने वाले १९,९५,९०० किसान हैं, दो एकड़ तक जमीन रखने वाले २२,०५,५९७ किसान हैं, तीन एकड़ तक जमीन रखने वाले १४,२९,८६७ किसान हैं, चार एकड़ तक जमीन रखने वाले ९,९३,४९६ किसान हैं, पांच एकड़ तक जमीन रखने वाले ७,०३,७७२ किसान हैं, ६ एकड़ तक जमीन रखने वाले ५,१४,६५५ किसान हैं, और सात एकड़ तक जमीन रखने वाले ३,७८,४८० किसान हैं। इस तरह से कुल १,०८,६०,८९१ किसान हैं।

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये एक सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं कि अगर १ करोड़ ८६ लाख किसान हैं तो इस तरह से एक कुटुम्ब में अगर पांच आदमी हों तो कुल किसानों की आबादी ९ करोड़ हो जायगी।

श्री राजनारायण—इसके जवाब देने में जो समय लगे उसे आप कृपया घटा देंगे।

अध्यक्ष—इसके लिये मैं आपको एक मिनट देता हूं।

श्री राजनारायण—बहुत अच्छा, मैं एक मिनट में ही माननीय मंत्री जी को बतला दूं कि एक परिवार में ऐसे भी किसान हैं जो तीन भाई हैं। मैं भी एक किसान हूं और तीनों भाइयों का नाम अलग अलग खाते पर चढ़ा हुआ है। इसलिये माननीय मंत्री जी को अगर कोई बुद्धि विभ्रम हो तो वे अपनी भ्रान्ति को दूर कर लें। एक किसान के कई भाई हैं और बाज जगह खातों पर सब भाइयों का नाम अलग अलग लिखा गया है तो इसलिये उनकी तादाद पांच गुना नहीं हो जायगी।

तो स्पीकर महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ज्ञान-चक्षु को खोलने के लिये यह निवेदन कर रहा था कि जब हमारे सूबे में ७३ फी सदी ऐसे किसान हैं जो दो एकड़ से कम जमीन रखते हैं और एक एकड़ से कम जमीन रखने वालों की तादाद अधिक है तो फिर वे क्यों नहीं ऐसे लोगों को जमीनें देते हैं? हमारे यहां बहुत सी जमीनें पर्तो, ऊसर पड़ी हुई हैं, बहुत सी नौतोड़ जमीनें पड़ी हुई हैं, आप क्यों नहीं ऐसे लोगों को उन जमीनों को देते हैं जो उनमें खेती कर सकें?

मैं आपको एक भुक्तभोगी की कहानी सुना रहा हूं। एक आदमी है जिससे कहा जाता है कि अगर वहां जाकर बसोगे तो एक हजार रुपया मिलेगा। जब वह बेचारा वहां जाकर बसने की कोशिश करता है तो वहां पर जो डिपार्टमेंट वाले हैं वे कहते हैं कि पहले आप खेती का काम शुरू करें तब हम आपको रुपया देंगे। वहां का ट्रैक्टर विभाग कहता है कि हमने एक बार खेत जोत दिया, अब हम फिर खेत जोतने नहीं जायंगे। तब वह लौट कर रोता हुआ चला जाता है। वहां के जितने विभाग हैं सब अपने अपने में पूर्ण हैं और सब विभाग अपने अपने में अपूर्ण भी हैं। माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था कि वे ऐसा नहीं समझते थे कि सोशलिस्ट पार्टी इतना नीचे चली जायगी। आज वे यहां मौजूद हैं। इसलिये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी हर समय हर स्तर पर एक शानदार योजना रखती है वह निम्न स्तर पर कभी नहीं जाती। अगर कोई भी मन्त्री चाहे कि वह कोई व्यवस्थित योजना रख कर सारे मंत्रिमंडल की अव्यवस्थित योजनाओं के अन्दर अपनी कार्यवाही को चला ले तो वह परले दरजे का गया गुजरा हुआ मंत्री होगा।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के सम्बन्ध में जो निवेदन करने के लिये आया हूं वह खास करके सम्बन्ध रखता है कृषि के इंजीनियरिंग विभाग को मदों से। इसके लिये मेरा प्रस्ताव यह है कि इस अनुदान में पांच रुपये की कमी कर दी जाय।

अध्यक्ष—यह वही कट मोशन चल रहा है। आपका भाषण उसी पर होना चाहिये।

श्री रामस्वरूप गुप्त—उसी पर है। जब मैं अपने से पहले के वक्ता के भाषण को सुन रहा था तो मुझे आश्चर्य इस बात पर हो रहा था कि क्या वह इस अनुदान के सम्बन्ध में कुछ कह रहे हैं या बिना आधार के किसी अनुदान की बातें कर रहे हैं। यह अनुदान और इसके सम्बन्ध का कट मोशन तो ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और उपनिवेशन के सम्बन्ध का है किसी और बात की चर्चा इस अनुदान पर नहीं हो सकती। लेकिन हमारे पूर्व वक्ता महोदय बिना इस बात का लिहाज किये हुए जो उनकी तबीयत में आता था वही बातें कह रहे थे। इस अनुदान में कुछ बातों के लिये मैं वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं और वे मदें ये हैं कि जो रकम उन्होंने वेल बोरिंग (कूप-वेधन) के सम्बन्ध में या ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन आदि

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

के सम्बन्ध में रखी है और बढ़ाई है, खेती के लिये ये सारी आवश्यक मदें हैं। खास करके जब उत्तर प्रदेश की बहुत सी भूमि को हम खेती में लाना चाहते हैं। लेकिन खेद का विषय यह है कि इसमें एक जगह तो कमी की गई है तो वह उस जगह की गई है जिसका सम्बन्ध पंचायतों के निर्माण से है और उसका कारण यह बतलाया जाता है कि चूंकि पंचायतों ने इस मद को खर्च करने में उपेक्षा दिखलाई है इसलिये जो रकम गतवर्ष रखी गई थी वह भी सहसा इस साल उड़ा दी गई है। मैं समझता हूं कि यह उपेक्षा पंचायत की तो नहीं होगी लेकिन इंजीनियरिंग विभाग की उपेक्षा है। हमारे गांव वाले और हमारी पंचायतें जानती हैं कि बंधियों की कितनी बड़ी जरूरत है। वहां उन्हें न सरकार से सहायता मिल रही है न किसी विभाग से सहायता मिल रही है। कई जगहों का हाल तो मुझे मालूम है कि गांव के लोगों ने उन्होंने अपनी कोशिशों से बंधिया तैयार की है। उसकी खास वजह है कि यह छोटे छोटे बंध गांव की भूमि में दो तरह से सहायक होते हैं। एक तो जहां ऊसर और बंजर जमीन पड़ी है अगर वहां यह बंध बांध दिये जाते हैं तो वह जमीन रिक्लेमेशन (कृषियोग्यकरण) करने में सहायता करते हैं और जहां उपजाऊ जमीन है वहां यह बंधियां अगर तैयार कर दी जाती हैं तो वह जमीन के स्वायल इरोजन (मिट्टी के कटाव) को रोकने में सहायक होते हैं। इसीलिए इन बंधियों की उपयोगिता गांव वाले खूब समझते हैं।

यह हो ही नहीं सकता कि बंधियों के बारे में हमारे गांव पंचायतों ने उपेक्षा दिखलायी हो। केवल यह हो सकता है कि या तो जिले के पंचायत अधिकारी ने अपने जिले में खास कोशिश नहीं की कि कौन सी जमीन हमारी ऊसर और बंजर पड़ी है जिस को रिक्लेम करने की जरूरत है, कौन सा रकबा ऐसा है जहां स्वायल इरोजन हो रहा है उस को रोकने की जरूरत है या दूसरा कारण यह हो सकता है कि यह योजना एक पंचायत से ताल्लुक नहीं रखती। कई गांवों की पंचायतें मिल कर इस योजना को कार्यान्वित कर सकती हैं इसलिए कई गांवों को मिला कर इस योजना को कार्यान्वित करने की कोशिश नहीं की गयी। केवल इन दो कारणों से इस रकम का उपयोग नहीं हो सका। अगर केवल एक बार पंचायतों से पूछ भी लिया जाय कि आप के यहां बंधियों की आवश्यकता है, आप हमसे जिक्र न कीजिये कि कितना रुपया आप को खर्च करना पड़ेगा और कितना सरकार देगी, तो आपके पास सूची की सूची चली आयेगी जहां लोगों की मांग होगी कि गांव में बंधियों की जरूरत है। आज हम बड़े बड़े बांधों की सोच रहे हैं। सारे प्रदेश में दो चार बड़े बड़े बांधों की बात सोचते हैं। लेकिन उन बड़े बड़े बांधों से उतना लाभ नहीं हो सकता जितना इन छोटी छोटी बंधियों से हो सकता है। इसलिए मैं इस बात का विरोध करता हूं कि कई साल तक बंधियों के लिए जो रुपया बजट में रखा गया है उसको इस साल उड़ा दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि वह रकम रखी जायगी। अगर वह खर्च न होगी तो वह कहीं चली तो जायगी नहीं। आप उसको रखिये। गांव पंचायतों को मौका दीजिये। आप की गांव पंचायतें प्रारम्भिक अवस्था में हैं। इस प्रारम्भिक अवस्था में भी जो उन्होंने काम करके दिखलाया है वह सराहनीय है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन का कुछ खुद तजुरबा है। उससे वह लाभ नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। मैंने स्वयं एक जगह से कोई ट्रैक्टर मंगवाया। मेरे पास तारीखें लिखी हुई हैं। लगभग चार महीने के अरसे में उन्होंने दो सौ एकड़ जमीन तोड़ी यह वेस्ट (बरबादी) है। मैं आशा करता हूं कि प्रादेशिक सरकार जरा ध्यान देगी कि ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन की इस कमजोरी को दूर करे। मैं इस आर्गेनाइजेशन का विरोध नहीं करता हूं। दरअस्ल जमीन तोड़ने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद खेत में काश्त करने के लिए हमारे देश में ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है। हमारे देश में हल और बैल से ही काश्त होगी जिससे जमीन भी उपजेगी और जमीन पर खेती भी होगी।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--मैं प्रस्ताव करता हूं..

अध्यक्ष--मैंने तरीका यह रखा है कि एक ही कट मोशन, चूंकि वह जनरल है, यानी पूरे अनुदान की नीति पर विचार करना है, इसलिए एक ही कट मोशन लिया है।

श्री जयपाल सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ऐग्रिकल्चरल इंजीनियरिंग और कालोनाइजेशन की डिमांड भवन के सामने उपस्थित है। जहां तक मैंने माननीय माल मंत्री के भाषण को सुना और उससे जो मतलब हासिल कर सका वह यह है कि तराई भावर, गंगा खादर आदि के एरिया में जो ट्रैक्टरों के जरिये से जमीन तोड़ी गयी और उसमें लोगों को बसाया गया, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। यह बात सही है कि जहां पर जानवर रहा करते थे, जहां पर पशु-पक्षी रहा करते थे वहां पर आज इन्सान रहने लगे हैं और इनसान इस तरीके से रहने लगे हैं कि कोई बीमारी उनके पास तक नहीं जा पाती। ऐसी दशा में मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे जंगलात को साफ करके उनको आबाद किया और उनमें खेती करने के लिये लोगों को बसाया।

जहां तक ट्यूबवेल्स और इरिगेशन (आबपाशी) के सिलसिले में हमारी सरकार की तरफ से योजनाएं आई और उनको पूरे तरीके से कामयाब बनाया, मैं उसके लिये भी उनको मुबारकवाद देता हूं। उससे हमारे देश की उत्पत्ति बढ़ेगी। इसके अलावा मैं यह कह देना चाहता हूं कि जब जमीन ट्रैक्टर के जरिये तोड़ ली गई और उसके बाद उसको लोगों में बांटा गया, तो यह सोचने की बात है कि अगर ट्रैक्टरों से बोयी जाय, फिर ट्रैक्टरों के द्वारा काटी जाय, गराबी जाय और सब काम किया जाय तो यह हमारे यहां जो इन्सानों की शक्ति इतनी ज्यादा है उसी मनुष्य-शक्ति को क्या हम बेकार नहीं करेंगे और उनमें क्या बेकारी का जजबा पैदा नहीं करेंगे? अगर हमने इस चीज को देखा होता तो हमें सबसे पहले इस बात की जरूरत थी कि यदि हमको ट्रैक्टरों के जरिये से खेती करानी है तो हम दूसरे उद्योग धंधे जो बराबर में हैं उनकी योजनाएं बना-कर लोगों को उनमें लगाते। लेकिन बजाय इसके कि उद्योग धंधों में लोगों को लगाया जाय, ट्रैक्टरों को भी हम चलाते जायं और उनके द्वारा फसल पैदा की जाय यह कहां तक सही है? यह अनुचित ही है।

ऐसी दशा में मैं निवेदन करूंगा कि जहां पर सरकार की पालिसी है कि एक एक योजना जो सैनिक और खेतिहर मजदूरों के पुनर्वास के लिये बनाई गयी फिर भी उसको रिफ्यूजी और दूसरे बड़े लोगों को दिया गया, इसमें सरकार की नीति क्यों बदली इसका क्या कारण था? उनकी नीति क्यों बदली जबकि कल माननीय मुख्य मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि यहां पर लोग आधे पेट रहते हैं, उनको एक वक्त खाना मिलता है किसी को आधी रोटी मिल पाती है किसी को पाव रोटी, पेट भर खाना नहीं मिलता है और कोई चना चबाकर गुजरा करते हैं। जब यह बात मौजूद है तो क्या कारण है कि जिन लोगों को जमीनें दी गयीं उनमें ज्यादा अमीरों को दी गयीं और खेतिहर मजदूरों को सिर्फ ६६३ आदमियों की तादाद में दी गयी, मुझे कोई कारण इसका दिखाई नहीं पड़ता है। तो मुझे यह निवेदन करना है और मैं खेतिहर मजदूरों का सवाल रखता हूं और मैं समझता हूं कि उनके सम्बन्ध में सरकार की एक निश्चित नीति का बदल जाना मुनासिब नहीं है। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि यदि हमें अपने देश से गरीबी को निकालना है तो उन गरीबों को रोटी खिलाने की तरफ ज्यादा तवज्जह दी जाय जिन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता। उनको काम में लगाइये। अगर काम में नहीं लगायेंगे तो उसका नतीजा खराब हो सकता है। उससे वैमनस्य फैल सकता है और

[श्री जगन्नाथ सिंह]

यह भी हो सकता है कि वे चोरी, डकैती करें और उससे हमारे देश पर एक खराब असर हो जिससे दूसरे लोग भी जानें कि ये लोग चोर और डाकू हैं और इनका कोई पेशा नहीं है। यही तमाम कारण है जिनकी वजह से बेरोजगारी, खाना कपड़ा न मिलना और उन को तकलीफों की दिक्कतें होती रहती हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरीके से जो बस्तियां बसाई गई हैं वे अमीर लोगों को ज्यादा फायदा करने के लिये और गरीबों को पीछे हटाने के लिए बसाई गयी हैं। मैं यह मान लेता हूं कि देश का उत्पादन बढ़े लेकिन ट्रैक्टरों के जरिये जो सरकार ने तरीका बना लिया है उससे अमीर ही रह सकते हैं, गरीबों का तो उससे गला घोंट दिया जायगा और उन्हें भूखों मरने दिया जायगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो गरीब हैं वे गरीबी में और रहें। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है उसको खाने देना चाहिये यह डारविन की थ्योरी (सिद्धान्त) यहां पर भी अमल ई (लागू) हो यह वेस्टर्न सिविलेजेशन (पाश्चात्य सभ्यता) का तरीका मुनासिब नहीं है। ऐसी दशा में सरकार गरीब और मजदूरों की तरफ ज्यादा तवज्जह दें क्योंकि वही लोग यहां पर ज्यादा बसे हुए हैं और वही लोग जमीनों को तोड़ते हैं। १ लाख ८० हजार एकड़ जमीन प्राइवेट ट्रैक्टर्स से तोड़ी गयी है। यह प्राइवेट तरीके से जमीन तोड़ने की बात बहुत गलत है। सीधा तरीका यह था कि खेतिहर मजदूरों के नाम से जमीनें तोड़ कर एलाट की जाती जिससे गरीबों और देश का भी भला होता।

श्री फतेसिंह राणा (जिला मेरठ)—श्रीमान्, मैं कृषि मंत्री को इस बात पर बधाई देता हूं कि उन्होंने ट्यूबवेल को कोआपरेटिव सोसाइटी के द्वारा बनाने का प्रबन्ध इस बजट में किया है। पहले से, जैसा कि इस बजट में भी वर्णन किया गया है, बड़े बड़े जमींदारों को तकावी या सबसिडी यानी सहायता दी जाती थी लेकिन इस समय से ट्यूबवेल किसानों की कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा बनाये जायेंगे। मैं इसके लिये बार बार सरकार को और कृषि मंत्री को बधाई देता हूं। ट्यूबवेल्स चाहे प्राइवेट बनाये जायं चाहे कोआपरेटिव सोसाइटी के द्वारा बनाये जायं दो किस्म के होते हैं। एक कवेटी और दूसरे इस्टेनर ट्यूबवेल होते हैं। अब तक आमतौर से यह प्रथा है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्राइवेट फर्मों द्वारा टेंडर काल (आमंत्रण) करके उनको बनाने का कार्य देता है। इसमें बहुत ज्यादा मौका करप्शन (भ्रष्टाचार) का आ जाता है और यही नहीं कि आफिसर्स के लिये मौका आ जाता है बल्कि जो इसका व्यापार करने वाली फर्म्स हैं उनके लिये भी इसका अधिक मौका मिल जाता है कि वे भ्रष्टाचार की बातें करें। इसके साथ साथ एक अच्छा और मजबूत ट्यूबवेल बनाने की जो बात है वह भी एक प्राइवेट फर्म अच्छे तरीके से नहीं कर पाती है इसलिये मैं चाहूंगा कि जितने भी ट्यूबवेल बनाये जायं वे हमारे इस इंजीनियरिंग कृषि विभाग के द्वारा ही बनाये जायं। इस विभाग के पास इस काम के लिए कुछ इमप्लीमेंट्स (औजारों) की आवश्यकता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ऐसे ट्यूबवेलों के लिये पावर रिग्स और बोरिंग सेट्स खरीदने का प्रबन्ध करे। कुछ बोरिंग सेट्स के खरीदने का प्राविजन (उपबन्ध) इस बजट में है परन्तु वह बहुत कम जान पड़ता है। मैं चाहूंगा कि बोरिंग सेट्स और पावर रिग्स काफी संख्या में खरीदे जायं ताकि यह महकमा सुविधा के साथ अपनी निगरानी में ट्यूबवेल्स बना सके। एक और दिक्कत प्राइवेट फर्म्स से होती है। वे चाहेंगी कि कभी भी कवेटी ट्यूबवेल्स न बनाये जायं क्योंकि पाइप से और जाली से उन्हें पैसा अधिक मिलता है। इसलिये प्राइवेट फर्मों के द्वारा न बनवा कर अपने महकमे के द्वारा और इरिगेशन कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा ही ये ट्यूबवेल्स बनवाये जायं।

अब मैं कुछ ट्रैक्टस के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं। जो ट्रैक्टस हमारे देश में आते हैं वे बाहर से इम्पोर्ट (आयात) होते हैं। देश में कोई कारखाना इसका है नहीं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन ट्रैक्टर्स को या तो केन्द्र की सरकार या प्रदेश की सरकार अपने द्वारा दूसरे मुल्कों से खरीदे और अगर सरकार यह उचित नहीं समझती या अपनी ताक़त से बाहर समझती है तो इसका प्रबन्ध बड़ी आसानी से कोआपरेटिव सोसायटीज को दिया जा सकता है। जो स्टेट की कोआपरेटिव सोसायटीज हैं, वे इन्हें खरीद सकती हैं।

जहां तक ट्रैक्टर्स के स्पेयर पार्ट्स और उनके रिपेयर का ताल्लुक़ है उसका इन्तजाम नहीं के बराबर है। कहीं कहीं गवनमेंट वर्कशाप्स (कर्मशालाएं) हैं लेकिन वे सब जगह नहीं हैं। इन गवर्नमेंट वर्कशाप्स में जो चार्जेज लिये जाते हैं वे बहुत अधिक हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि हर जिले में एक ऐसी संस्था स्थापित की जाय जो कि उनके स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर का प्रबन्ध भली भांति कर सके। मेरी राय में इसके लिये सब से उपयुक्त स्थान जिला कोआपरेटिव फेडरेशन्स हैं जो हर जिले में स्थापित कर दिये गये हैं। अगर उनके द्वारा इसका इन्तजाम कराया जाय तो बड़ी सुविधा हो सकती है।

पर्शियन ह्वील्स (रहट) उनके बारे में पहले सरकार सहायता देती रही थी। लेकिन इस समय उसको उड़ा दिया गया है। मैं तो चाहता यही था कि अच्छा होता कि वह सहायता जारी रहती। लेकिन सरकार ने यह उचित समझा तो इसके बारे में मैं ज्यादा अर्ज नहीं करूंगा। जहां तक रहटों के लिये लोहे या टीन का सम्बन्ध है वह उचित मात्रा में ठीक ढंग से किसानों को नहीं मिलता है। पहले कृषि विभाग द्वारा ही उनका वितरण किया जाता था। वह लाइसेन्स किसी प्राइवेट आदमी को दिया जाता था जो अच्छी टीन और अच्छे लोहे को अपने इस्तेमाल में लाता था और खराब रहट बना कर किसानों को देता था। आखिर सरकार को इसका पता लगा और उस प्रथा को उन्होंने खत्म किया।

**श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने हमको कालोनाइजेशन (उपनिवेशन) में जो खर्च हुआ उसके बारे में कुछ आंकड़े दिये। उसमें उन्होंने कहा कि १८ हजार एकड़ जमीन काशीपुर में और २० हजार एकड़ जमीन गंगा खादर में और ३५ हजार एकड़ जमीन तराई में रिक्लेम (कृष्यकरण) की जा चुकी है। जितनी पिछली सूचनायें हमको मिली हैं उनमें २२ हजार एकड़ जमीन काशीपुर में बतायी गयी है। तो चार हजार एकड़ जमीन पहले ही ज्यादा लिखी गयी है। तो कभी कभी आंकड़ों की भूलभुलैया मंत्री जी को भी परेशान कर देती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अधिकारियों को सलाह दें कि वे सही आंकड़े इकट्ठा किया करें।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि तराई और गंगा खादर की स्कीमें मुकम्मिल हो गईं। और हम देखते हैं कि वे स्कीमें कम्पलीट (पूर्ण) होने जा रही हैं तब भी सन् १९५२–५३ में इतना खर्चा रखा गया जितना पहले कभी नहीं रखा गया था। १० लाख ३४ हजार रुपया गंगा खादर के लिये और ३२ लाख ६९ हजार तराई के लिये रखा है। इसी तरह से ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन का हाल है। सन् १९५०–५१ में ५,७२,६६२ रुपये की आमदनी ट्रैक्टरों के किराये से हुई थी। लेकिन इस साल एक पैसे का भी एस्टीमेट (प्राक्कलन) नहीं है। किराये से हमें इस साल एक पैसा भी नहीं मिल रहा है। इस दफा एक पैसे की भी आमदनी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इस बात को देख लें। मैं किछा तराई की बाबत कह रहा हूं।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इसके अलावा जहां तक कोलोनाइजेशन (उपनिवेशन) के बारे में कहा जाता है कि इतनी बंजर जमीन को आबाद किया गया है। नैनीताल में एक डेपुटेशन (शिष्टमंडल) भी आया था कि कोलोनाइजेशन में बहुत से बुकसा ट्राइब के लोगों को बरबाद करके उनकी जमीन को आबाद किया गया है। इस तरह से १३ गांवों में जहां पर बुकसा ट्राइब के लोग आबाद थे उनको उजाड़ करके कोलोनाइजेशन का काम किया गया है और उन गांवों में कुछ का नया नाम रख दिया गया है। मैं उन गांवों के नामों को आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं जहां पर कि खड़ी फसलों को जलता किया गया, उनके घरों में आग लगाई गई। गांवों के नाम यह हैं :—झोगा, भौंसया, ढुलकिया, पिपलिया, भीतरबेडा, उल्हेतापुरा, मोहनपुर, कंटोपा, खानपुर, लोधीपुरा, सैद अलीगंज, धांवनपुरी और कंडरबेडा और शंकर प्रधान का घर भी जलाया गया। इस तरह से यह १३ गांव बरबाद करके जमीन रिक्लेम की गई है। इन्हीं २६४ हलों की जमीन को कोलोनाइजेशन ने जबर्दस्ती ले लिया। एक बात मैं माननीय मंत्री को सूचित कर देना चाहता हूं कि १८ गांवों पर अब भी कोलोनाइजेशन के आफिसर्स की दृष्टि लगी हुई है जो बंजर को फिर आबाद की जायगी।

ऐसी ही मद्दपुर में माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहा गया था और उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था कि वहां ५०० एकड़ से भी बड़े-बड़े फार्म बना लिये गये हैं। वहां के आफिसर्स ने या तो अपने नाम से बड़े बड़े फार्म बना लिये हैं या अपने खास आदमियों के नाम से बना लिये हैं और वहां पर डिप्टी डायरेक्टर का बड़ा भारी बंगला बना है। एक खास बंगला बना है और जनता के खर्चे से बना है जो यहां भी ऐसा बंगला मिलना मुश्किल है। काशीपुर की हालत यह है कि पावर हाउस का उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब किया इससे भी दस महीने पहले से कोलोनाइजेशन के आफिसर्स ने चालू कर लिया और व्यक्तिगत इस्तेमाल में लाते रहे। रात को ११-१२ बजे तक वहां पर बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स होते रहते हैं और सर्चलाइट जलती रहती है। पिछले साल दस हजार रुपया खर्च हुआ। फर्ग्यूसन ट्रैक्टर्स की इस्कोर्ट लिमिटेड ने जो ६७१ एकड़ में फार्म बना लिया है उसने हमारे कोलोनाइजेशन विभाग को १ लाख ५ हजार रुपया दान दिया और उनके फार्म के लिये एक पक्की मोटर सड़क भी बन रही है। माननीय कृषि मंत्री जी तक यह बात नहीं पहुंची है।

**श्री चरण सिंह**—जी नहीं, मैंने देखा है और जो कुछ आप कह रहे हैं वह बिलकुल गलत फरमा रहे हैं।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**—इसके अलावा रोड रोलर्स ३५ रुपये के हिसाब से किराये पर लिये गये हैं और उनको काफी अर्सा हो गया है और प्रगर गवर्नमेंट चाहती तो इसी खर्चे से नये रोलर्स ले सकती थी। यह वहां की हालत है। जो हेमपुर का फार्म है वहां जो मकान बने हैं उनमें से आधे मकान चू रहे हैं। हेमपुर फार्म के अन्दर महुवाडाबरा में मकान बनाये गये हैं उनमें कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। इसका रेकार्ड देख लिया जाय। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि मैं गलत कहता हूं। मैं कहता हूं कि जो बात मैं कहता हूं उसकी जांच कीजिये तो मालूम होगा कि क्या बात है। आपको मालूम होगा कि कोलोनाइजेशन के आफिसर्स ने आज सब को परेशान कर रखा है। शरणार्थी परेशान हैं, राजनीतिक पीड़ित लोग परेशान हैं और भूमिहीन परिवार वाले भी परेशान हैं। भूमिहीन परिवारों का पता नहीं कि उनको कहां बसाया गया है। यह जाल बना कर रखा है कि ६६३ भूमिहीन बसाये गये हैं। उनको नहीं बसाया गया है। शरणार्थियों को भले ही बसाया गया होगा। हमने खुद मंत्री जी से कहा था कि कुमायूं के एक लाख भूमिहीनपरिवारों को कहां बसायेंगे। मुझे

दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सब पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता जो वहां बसे हुये हैं वे सब कोलोनाइजेशन के आफिसर्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं । लेकिन आज तक बावजूद इसके कि सभी मंत्रियों से कहा और मुख्य मंत्री जी से भी कहा, लेकिन कोई इंक्वायरी (जांच) नहीं हुई है। मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री से दरख्वास्त करता हूं कि उनको जो खबर दी गई है वह ग़लत खबर दी गई है। वह इसके लिये इस हाउस की एक इन्क्वायरी कमेटी बिठायें जो वहां जाय और वहां जाकर यह देखे कि जो जंगल आबाद किया गया है वहां पर १३ गांवों को उजाड़ कर बसाया गया है और यही नहीं अभी १८ गांवों को और भी खतरा है कि उनको भी उजाड़ा जायगा। जो आपके कोलोनाइजेशन के अफसर हैं उनसे इन गांवों को बहुत खतरा है और आप इसके लिये इन्क्वायरी कमेटी बिठा सकते हैं और इसकी जांच करा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री मेरी बातों को उतना ग़लत नहीं समझेंगे जितना कि वह समझते हैं और इसकी इन्क्वायरी के लिये एक कमेटी जरूर बिठायेंगे। बस इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(इस समय १ बजकर १९ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

**राजा वीरेन्द्र शाह** (जिला जालौन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि कृषि विभाग में उनको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसमें हम अधिक अन्न उत्पन्न कर सकते हैं और अगर ज़रा सी भी ग़लती हुई तो हमारा वेस्ट (बरबादी) भी बहुत हो सकता है। बंधियों के लिये पिछले साल १ लाख ५० हज़ार रुपया रखा गया था लेकिन मुझे यह देखकर दुख हुआ कि वह केवल इस कारण से इस वर्ष नहीं रखा गया कि लोगों को दिलचस्पी नहीं है। यह आपके सूचना विभाग की और जिले के कर्मचारियों की ग़लती है। इसके अलावा मैं बतलाना चाहता हूं कि इस ग्रांट में बहुत अपव्यय भी हुआ और यदि मैं कहूं कि इसे लोगों ने खाया है तो कोई ग़लती नहीं होगी। मैं बुन्देलखंड में जालौन जिले का रहने वाला हूं और मैं जानता हूं कि जिन काश्तकारों ने बंधियों की दरख्वास्तें दीं उनकी दरख्वास्तें मंजूर हो गईं लेकिन रुपया कोआपरेटिव के सेक्रेटरी साहब खा गये या सलाहकार, जिन्हें नेताजी भी कहा जा सकता है। यह एक चीज है जिससे लोग हतोत्साह होते हैं। इसलिये सरकार को चाहिये कि प्रचार ठीक तरह से कराये ताकि हम ग़रीब किसानों को सूचना मिले और हम उसका फायदा उठा सकें। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप बंधियों के लिये रुपया रखिये और उसे ग्राम सभाओं या डेवेलपमेंट कमेटियों के जरिये काम में लाइये । इससे हमारे यहां बुन्देलखण्ड में जहां पानी नहर से नहीं पहुंचता है, बंधियों से अधिक पैदावार बढ़ सकती है।

दूसरा सजेशन (सुझाव) मैं यह दूंगा कि सरकार जो अधिक रुपया ट्रैक्टरों पर ख़र्च करती है उसका उतना फायदा वह नहीं कर पाती जितना कि उस सूरत से होगा यदि वह उस रुपये को तक़ावी के रूप में किसानों के ट्रैक्टर के लिये दे और वे अपने ट्रैक्टर समझ कर उन्हें चलावें। आप बहुत सा रुपया ट्रैक्टरों की मरम्मत के लिये खर्च करते हैं। यह मरम्मत क्यों होती है। इसका कारण यह है कि ट्रैक्टर चलाने वाले सिफ़ारिशी लोग हैं और वे लापरवाही से काम करते हैं। इससे अपव्यय होता है। इसलिये मैं सिफारिश करूंगा कि सरकार ट्रैक्टरों के लिये कोआपरेटिव ढंग से तक़ावी दे। ज़मींदारी जाने के बाद हम लोगों के लिये खेतीबाड़ी ही करना रह गया है और हम लोगों को आप तक़ावी दीजिये।

**श्री चरण सिंह**--मेरी एक वैधानिक आपत्ति है। मेरे मित्र तक़ावी पर स्पीच दे रहे हैं, जब कि इसका तक़ावी से कोई वास्ता नहीं है ।

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमान् मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें ट्रैक्टरों की योजना है। इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार स्वयं ट्रैक्टर चलाने को हम किसानों को ट्रैक्टर के लिये तक़ावी या सहायता दे तो अधिक अच्छा काम हो। यदि मंत्रीजी को मेरे यह कहने में आपत्ति है तो मैं नहीं कहूंगा।

आपने यहां बतलाया कि आपने इतने एकड़ ज़मीन जोत ली और इतने एकड़ सिंचाई आबपाशी की ज़मीन बांटी। यह बात सुन्दर है, लेकिन यह क़ाफ़ी नहीं है। इसी पर हमें संतोष नहीं होना चाहिये कि हम इतना काम कर चुके हैं और इस विभाग का काम बहुत सुन्दर है। मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि इसका काम बहुत सुन्दर हो सकता है और आप हम किसानों का इसमें सहयोग लें। अब क्या है? जिनकी पहुंच है उन्हें वह चीज़ मिल जाती है और वे उसका अपव्यय करते हैं। वे कृषि विभाग से रुपया लेते हैं और दूसरे तरीकों से उसे ख़राब कर देते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आपको नियंत्रण रखना चाहिये। आप उन लोगों को रुपया दें जो हमारे कृषि विभाग की, जिस विभाग के लिये यह ग्रांट मिली है उस विभाग की, अधिक तरक्की कर सकें।

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आपने जो अपने बजट में रुपया रखा है वह इस काम के लिये पर्याप्त नहीं है। अगर आप अन्न बढ़ाना चाहते हैं तो यह रुपया उससे ज्यादा होना चाहिये। मुझे डर इस बात का भी है कि जो रुपया इसमें रखा गया है उसका ठीक प्रकार से व्यय भी नहीं हो रहा है। बहुत सा रुपया वेस्ट (नष्ट) हो रहा है। अगर आप जनता से सहयोग चाहते हैं तो आपको ज़िलों के अन्दर, अपने कर्मचारियों द्वारा भेदभाव का बर्ताव न करना चाहिये। अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रान्त में अन्न का उत्पादन बढ़े तो जो भी रुपया उसके लिये खर्च किया जाय वह अच्छी प्रकार से खर्च होना चाहिये। इससे ज्यादा मुझे और कुछ अर्ज करना नहीं है।

श्री शिव कुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान कृषि इंजीनियरिंग के संबन्ध में इस सदन के सामने उपस्थित किया गया है उसी पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। श्रीमान्, हमारे प्रदेश मे अधिकतर लोग कृषि संबंधी कामों पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस मद में २ करोड़ ३ लाख रुपये के करीब रखा गया है। निश्चय ही यह बात सही होगी कि हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने इस ग्रान्ट के लिये अधिक रुपया लेने की कोशिश की होगी। लेकिन जहां तक उनकी व्यवस्था का सम्बन्ध है मुझे खेद है कि गवर्नमेंट किसानों के लाभ के लिये और अधिक रुपया नहीं रख सकी। हमारे देश का मुख्य धंधा कृषि ही है इसलिये उसकी उन्नति के लिये अधिक रुपया हमें मिलना ही चाहिये। जिस देश के ७२ प्रतिशत लोग खेती से अपना गुज़ारा करते हों वहां खेती के लिये कुल राजस्व का सिर्फ १५ वां भाग खर्च करना मेरी समझ में बहुत कम है। मुझे आशा है कि अगले वर्ष कृषि मंत्री इस आय में से और अधिक रुपया प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम ऐग्रीकल्चर की तीनों ग्रान्टों को भी ले लें और देखें तो हमको मालूम होगा कि इन मदों पर और देशों में जो खर्च किया जाता है उसके मुकाबले में हमारे देश में बहुत कम खर्चा होता है। अब इस खर्चे को अगले वर्ष बढ़ा लेना चाहिये।

जहां तक सिर्फ कृषि इंजीनियरिंग का सवाल है उस पर ७९ लाख रुपया खर्च होता है लेकिन इस ७९ लाख के खर्चे में अगर हम देखें कि प्रान्त के लोगों का उससे क्या लाभ होता है तो हमको मालूम होगा इस वर्ष किसानों को कोई नई चीज़ प्राप्त नहीं हुई है। यदि हम अन्य देशों की प्रगति को देखें यानी आस्ट्रेलिया, अमेरीका या कनाडा आदि की प्रगति को देखें तो हमें मालूम होगा कि सरकार की तरफ से काफी रुपया इस मद पर व्यय किया जाता है। साथ ही नये हल, हारवेस्टर वगैरह, ट्रेक्टर्स से चलने वाले यंत्र और बैलों से चलने वाले यंत्र तैयार करके किसानों को हर साल वितरण किये जाते हैं। यह एक हमारा कृषि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। यदि इसका दस साल का रेकर्ड देखा जाय तो हमें मालूम होगा कि

इसने कोई भी किसी प्रकार नये कल्टीवेटिंग मशीन्स और हारवेस्टर बना कर नहीं दिये हैं । आज भी अगर हमें हारवेस्टर्स की जरूरत पड़ती है तो हमें कैनाडा, अमेरिका और आस्ट्रेलिया की तरफ देखना पड़ता है । वही पुराने किस्म के हारवेस्टर्स अब भी रायज हैं । इस प्रकार कहा जा सकता है कि नौ लाख रुपया व्यय करने के बाद भी हमारे यहां के किसानों को अच्छे अच्छे इम्प्लीमेंट्स (औज़ार) नसीब नहीं हो रहे हैं । तो इतना रुपया व्यय करने के बाद भी अगर हमारे किसानों को अच्छे हल न मिल सकें, अच्छे कल्टीवेटिंग मशीन्स न मिल सकें, अच्छे हारवेस्टर्स न मिल सकें, अच्छे थ्रेशर्स न मिल सकें तो इसका दोषी कौन है ? मैं निश्चय ही अपने माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि जहां पर नौ लाख रुपया प्रतिवर्ष सार्वजनिक कोष से वे लेते हैं वहां पर उन्हें अपने अधीन अधिकारियों से कहना चाहिये कि उन्हें इतना काम करके देना ही होगा। वे अमेरिका और कैनाडा से माडेल्स मंगा कर उन पर खोज करके नये नये औज़ार बनाएं । ब्रिटिश ब्यूरोक्रैसी (नौकरशाही) के जमाने में हम कहा करते थे कि वे ध्यान नहीं देते हैं । लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी जो कि जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर वही ध्यान नहीं देंगे तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा । हमारे माननीय मंत्री जी को चाहिये कि यही नहीं कि वह सिर्फ अधिक से अधिक रुपया ग्रांट में लेने की कोशिश करें बल्कि यह प्रयत्न होना चाहिए कि अधिक से अधिक रुपया जो ग्रांट में देते हैं उससे अधिक से अधिक इफीशियंसी (कार्यक्षमता) बढ़े ।

सरकार ने जो ४९२ ट्रैक्टर अपने ट्रैक्टर संगठन के अन्तर्गत खरीदे हैं उनमें केवल ६० ट्रैक्टर काम में लगे रहते हैं । शेष ४३२ ट्रैक्टर बेकार रहते हैं । यदि हम ४९२ ट्रैक्टरों की कीमत १५ हजार फी ट्रैक्टर के हिसाब से निकालें तो यह करीब ८० लाख के होती है । इसमें यदि हम २० लाख रुपया वेतन और कंटिंजेंसी (प्रासंगिक व्यय) का और भी शामिल कर दें तो करीब करीब एक करोड़ रुपये के होता है । इसके मानी यह हैं कि एक करोड़ रुपया खर्च करने पर केवल ६० ट्रैक्टर हमारे काम में आते हैं । यह सरकारी इनइफीशयंसी (अदक्षता) की कटु आलोचना है । इस वर्ष का जहां तक सम्बन्ध है तीस लाख रुपया और ट्रैक्टर संगठन की ग्रांट के अन्तर्गत बजट में रखा गया है । इसके मानी यह हो जाते हैं कि एक करोड़ तीस लाख रुपये में केवल ६० ट्रैक्टर काम करते हुए दिखलायी देंगे । क्या यह सरकारी इनएफीशियंसी (अदक्षता) और अकर्मण्यता की पराकाष्ठा नहीं है ? क्या कृषि मंत्री इस तरफ ध्यान देने की कृपा करगे कि क्यों यह राष्ट्रिय क्षति दिन ब दिन उन की आंखों के नीचे हो रही है ?

**श्री मदन मोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस हुकूमत को कम से कम इस चीज के लिए थोड़ी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने तराई भावर की जमीन जहां पर मलेरिया रहता था उसको खुदवाने में उसे आबाद कराने में कुछ कोशिश की और मैं कुछ उन लोगों की तरफ से भी कुछ धन्यवाद देना चाहता हूं जो बेचारे यहां आ नहीं सकते हैं क्योंकि एक बड़ा सुन्दर दृश्य माननीय मंत्री जी ने उस इलाके का रखा कि बिजली चमकती है, रात को, यह होता है वह होता है, वहां के जानवरों की तरफ से भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इन जंगली जानवरों ने बिजली तो देखी उस इलाके के अन्दर। लेकिन जो उस इलाके के आसपास के आदमी थे जिन्हें वह जमीन मिलनी चाहिए थी जिन के पास जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको उस तराई भाबर में एक टुकड़ा भी नहीं दिया गया। आज वर्षों से मलेरिया के डर से वे वहां नहीं रहते थे, उनको जमीनें नहीं दी गयीं। जब मलेरिया हटा तो बाहर से लोग लाकर आज वहां पर बसाये गये हैं ।

मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हमारे बहुत से विस्थापित भाइयों को जमीनें मिलीं, राजनीतिक पीड़ितों को जमीने मिलीं, ग्रेजुएट्स को जमीनें मिलीं या और लोगों को जमीनें मिलीं । मुझे अफसोस तो इस बात का है कि अब हमारी गवर्नमेंट वहां पर एक बड़ा भारी फार्म बनाने जा रही है और वह इस प्रान्त का बड़ा भारी जमींदार स्वयं बनने जा रही है । उसको मेनटेन (रखरखाव) करने के लिये लाखों रुपया खर्च किया जाता है । आज कहा जाता है कि वह स्कीम पूरी हो चुकी है इस साल । अगर कर्मचारियों का वेतन देखा जाय तो वह परसाल ५ लाख ५५ हजार था और इस साल ७ लाख कुछ हजार हो गया है जब कि वह स्कीम खत्म हो चुकी

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

है मैं माननीय मंत्री जी का इस नियत से नहीं, कि कोई विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं, बल्कि इस निगाह से जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं उनका साथ देना चाहता हूं, इस देश को ऊपर उठाना चाहता हूं। जिन सुन्दर शब्दों में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, चढ़ेगा, चलेगा तो मैं भी कहता हूं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, चढ़ेगा। चाहे ही आज लाल टोपी आपको दिखलाई न दे लेकिन आगे कहीं ऐसा न हो कि इस सदन में लाल ही टोपी हो जाय। मुझे खुशी है, क्रेडिट आप ही लीजिये क्योंकि आपकी गवर्नमेंट कायम है, डेढ़ लाख आदमियों को कोलोनाइजेशन स्कीम को मालूम जमीनें जो बेकार पड़ी हुई हैं उन्हें आप क्यों नहीं बांट देते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप हमें ही जमीन दे दीजिये। मेरे पास तो जमीन पूरी है लेकिन लाखों करोड़ रुपया खर्च करके जो कोलोनाइजेशन स्कीम बनायी गयी है और वहां जो परती जमीनें बेकार पड़ी हुई हैं उन्हें आप १० एकड़ के हिसाब से लोगों में बांट दीजिये। मैं उनके लिये कहता हूं जिनके पास १० एकड़ जमीन नहीं है या जो लैंडलेस लेबरर्स (भूमिहीन श्रमिक) हैं उनको आप जमीनें दीजिये। श्री नारायण दत्त जी के पास ५ हजार लोगों की दरख्वास्तें आयी हैं जो कि जमीनें चाहते हैं। वे कहते हैं कि जो जमीनें खाली पड़ी हुई हैं वे हमें दे दी जायं। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे उन जमीनों को बांटने के द्वार भी जरा विचार करें। जिनके पास जमीन नहीं है उनको आप अवश्य जमीन दें।

एक चीज की चर्चा यहां नहीं की गयी है। हमारे यहां अल्मोड़े सेंटोनगिरि इस्टेट है जहां पर कोलोनाइजेशन स्कीम के लिये ६१ हजार रुपया मांगा गया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां के जो ऐडमिनिस्ट्रेटर (प्रशासक) थे उनके लिये गजट में निकला था कि वे सर्विस से अलग हो गये लेकिन उनकी पहुंच शायद यहां किसी मंत्री तक है इसलिये दिन अखबार में पढ़ने को मिला कि वे रख लिये गये। उनका यहां कोई काम नहीं है। न तो वे कोई स्पेशलिस्ट (विशेषज्ञ) हैं, न कोई ऐसी जानकारी रखते हैं जिसके लिये उनकी सर्विस (सेवा) को रिटेन करने (रखने) की जरुरत हो। वहां के ए० डी० ओ० वगैरह वहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) अच्छी तरह चला सकते हैं, फिर उन के ऊपर हजारों रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है?

हमारे यहां हार्टीकल्चर का काम भी अच्छी तरह से हो सकता है क्योंकि पहाड़ी इलाके में फल बहुत ज्यादा होते हैं। वह जगह ऐसी है जहां हम इसकी तरक्की कर सकते हैं। इस समय मुझे समय तो नहीं है लेकिन फिर भी जब कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं माननीय मंत्री जी को सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा और उनके सामने कुछ अपने विचार रखूंगा।

श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट (जिला नैनीताल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जहां तक कालोनाइजेशन का सवाल है जो लोग वहां के रहने वाले हैं वे जानते हैं कि क्या हुआ है। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। जहां भयंकर जंगल था और जहां दिन-दहाड़े शेर दहाड़ा करते थे उसे आज हरी-भरी भूमि के रूप में हम देखते हैं। जिस बात का स्वप्न में भी ध्यान न था वहां आज लहलहाते खेत देखते हैं तो गर्व होता है। इन ४ और ५ वर्षों के अन्दर जो उन्नति हुई है वह उन्नति आगे भी होगी और हमें पूर्ण आशा है कि भविष्य में बहुत उज्जवल दृश्य वहां दिखलाई पड़ेंगे। पर दो बातें ऐसी हैं जिनकी ओर विशेष रूप से मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मानता हूं कि इस उपनिवेशन की योजना में जहां बहुत तेजी और जल्दी से काम हुआ है वहां दुर्भाग्य से कुछ ऐसे अधिकारी भी आगये हैं जो गवर्नमेंट के फेवरिट चाइल्ड (कृपापात्र) बनना चाहते हैं और जल्दी में आ कर इतना काम खराब कर डालते हैं जिससे गवर्नमेंट को भी अपना सिर शर्म से नीचे झुकाना पड़ता है। मुझे अफसोस है कि मुझे मार्च में मजबूर होकर

नैनीताल जिले की ऐसी जगह जाना पड़ा जिसे जसपुर कहते है । वहां गन्ने और गेहूं के खेत खड़े हुये थे । मार्च का महीना था । रुपया लैप्स (व्ययगत) न हो इस लिये उन्होंने खड़े खेतों को बिना कहे ही कटवाकर सड़क निकालनी शुरु कर दी । मैंने देखा और वहां के ऐडमिनिस्ट्रेटर को पत्र लिखा । उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वह इक्जीक्युटिव इंजोनियर महोदय ने जो शायद पीछे अपने महकमे को चले गये, एक न सुनी और बिना लैंड ऐक्विजीशन ऐक्ट को काम में लाये हुये, बिना किसी बात की सूचना दिये हुये, यह कार्य कर डाला, यह कार्य ऐसा है कि जिसके लिये हम लोंगो को कभी-कभी परेशानी उठानी पड़ती है। मैंने यह एक मिसाल दी है। इसके आलवा किछा में भी इसी तरह की बातें हुई हैं । जहां पर काम जल्दी में करते है तो वहां पर खेतों को बरबाद कर दिया जाता है । मैं यह इस लिये कह रहा हूं कि सरकार के जो नियम और उपनियम इस सम्बन्ध मे इस प्रदेश के अन्दर लागू हैं उनका पालन होना चाहिये । कालोनाइजेशन के सम्बन्ध में मैंने सेक्रेटरी महोदय को लिखा और उन्होंने मान लिया है कि उन लोगों को जिनकी जमीनें ली जाती हैं उसका मुआविजा दिया जाय या जिनकी खेती खराब हुई है उनको मुआविजा दिया जाय । मुझे तो यह चोट लगी कि सरकारी अधिकारी कभी कभी ऐसा अनियमित काम कर देते है, मैं उस ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

एक दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे अनियमित कार्य भी हो जाते हैं जो मुझे दौरे के दौरान मे देखने को मिले । बिला गवर्नमेण्ट नोटीफिकेशन (अधिसूचना) की परवाह किये नदी के ऊपर पुल के लिये टैक्स लगाने का हुक्म दे दिया गया और कुछ महीनों तक वह टैक्स वसूल भी हुआ । जब विरोध किया गया तब उनकी आखें खुलीं और उन्होंने हुक्म दे दिया कि पुल को ही तोड़ डालो । फिर इस पुल को दोबारा बनाना पड़ा । इस तरह से गवर्नमेण्ट का जो काम हो रहा था वह भी पुल के टूट जाने की वजह से रुक गया । यह छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर अगर ध्यान रखा जाय तो बहुत सा असंतोष दूर हो सकता है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन बातों पर ध्यान देंगे जिससे यह चीजें भविष्य में न हों ।

इसके अतिरिक्त मैं एक और बात की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कालोनाइजेशन एरिया में जो लोग भूमिधर बन चुके थे ऐसी चर्चा चलती है कि शायद उनके भूमिधरी राइटस (अधिकार) खत्म हो जांय । अभी यह निश्चित नहीं मालूम है, लेकिन शायद क्राउन ग्राण्ट के अंदर ऐसा होने जा रहा है । मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने रुपया जमा करदि या है जिन लोगों ने हाड़ तोड़ कर अपनी जमीन बनाई है वह अगर क्राउन ग्रान्ट के अन्दर बदल दी जायगी तो वह मुनासिब बात नहीं कही जायगी । अभी कोई हुक्म इस सम्बन्ध में जारी नहीं हुआ है लेकिन मुझे खबर मिली थी इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर दूं ।

इसके अतिरिक्त काशीपुर के इलाके में बहुत गांव कालोनाइजेशन में ले लिये गये उन में से कुछ गाँव के जमीदारों को तो मुआविजा मिल गया और बाकी लोग अभी काफी अरसा होने के बाद भी मुन्तजिर हैं कि उनको मुआविजा कब मिलेगा । क्या यह बात ठीक है कि जितने प्रभावशाली व्यक्ति थे उनके हाथ तो मुआविजा पड़ गया और जो साधारण स्थिति के थे वह नहीं पा सकेंगे । मैं चाहता हूं कि अगर इसी तरह से देर में रुपया दिया गया तो उन लोगों की दिक्कत बहुत बढ़ जायंगी और वह परेशानी में भी पड़ जायंगे ।

एक बात और है । लाल रोशनी हो गयी है पर एक बात और कहना चाहता हूं । वह यह कि जो छोटे छोटे काश्तकार थे और वह कालोनाइजेशन (उपनिवेशन) के बीच में आ गये हैं वहां के नये काश्तकार इस किस्म की ज्यादतियां करते हैं कि वे लोग जमीनें छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं ।जसपुर की ऐसी मिसाले मेरे पास हैं । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय कुछ ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) को टाइट (कठोर) करें और उन लोगों को सहायता पहुंचाएं जो छोटे छोटे काश्तकार हैं । मुझे आशा है कि नये बसे हुये काश्तकारों की ज्यादतियों से उनकी रक्षा की जायगी और उनका भय दूर किया जायगा । मुझे पूर्ण आशा है कि जिस सद्भावना के साथ

[ श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट ]

मैंने यह शिकायतें पेश की हैं उनको दूर करने की कोशिश की जायगी और जहां तक भी होगा जल्द से जल्द इन पर कदम उठाया जायगा। धन्यवाद।

श्री चरण सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय लेने का विचार नहीं रखता। बहुत मुख्तसरन जो जो बातें माननीय सदस्यों ने यहां उठाई हैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा।

सब से पहले श्री राजनारायण जी ने आराजी लाइन्स के फार्म का जिक्र किया। उसमें वाकया यह है कि गवर्नमेंट ने कोई डेढ़ हजार एकड़ जमीन अक्वायर (अर्जित) की और उस डेढ़ हजार एकड़ में से ९९५ या १,००० एकड़ जमीन एक मिशन के पास थी। उनको टेनेंसी राइट्स थे और खास किस्म के टेनेंसी राइट्स थे। जमीन की मालिक गवर्नमेंट है लेकिन क्योंकि उनको टेनेंसी राइट्स विशेष थे और गवर्नमेंट उनको बेदखल नहीं कर सकती थी इसलिये वह १,००० एकड़ जमीन तो अपनी ही जमीन में से अक्वायर की गयी। मिशन की जमीन में से ५०० एकड़ जमीन गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने एक प्राइवेट आदमी को एक इंडिविजुअल (व्यक्ति) को दे दी है। वह जमीन गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ने अक्वायर की। इस डेढ़ हजार एकड़ जमीन में ही एक मिकेनाइज्ड (राज्यीय यंत्रीत) फार्म हम वहां कायम करना चाहते थे। जब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यह जमीन अक्वायर कर ली तो समाजवादी पार्टी की ओर से वहां सत्याग्रह का आन्दोलन चलाया गया और तरह तरह की और बहुत सी कार्रवाइयां की गयीं। खैर, गवर्नमेंट ने अन्त में आधी जमीन उन काश्तकारों के लिये, जो कि मिशन की तरफ से बसा दिये गये थे उनके हक में छोड़ने का विचार किया और यह तय हो गया लेकिन इस शर्त पर कि एक कोआपरेटिव फार्म कायम करेंगे वे काश्तकार और किसी को भी १० एकड़ से ज्यादा जमीन न दी जायगी। यह शर्त उसमें तय हो गयी। इसके बाद इस पर भी जब तसल्ली नहीं हुई तो एजीटेशन (आन्दोलन) फिर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी रहा। अन्त में गवर्नमेंट ने परेशान आ कर १८५ बीघे जमीन पर ही बस की और बाकी भी जमीन सारी की सारी छोड़ दी और यह तय पाया कि इस १८५ बीघे जमीन के मुताल्लिक़ वे किसान एक लीज डीड (पट्टा) एग्जिक्यूट कर लें। लेकिन वह लीज डीड भी एग्जिक्यूट नहीं किया गया और वह जो दो शर्तें थीं कि कोआपरेटिव फार्म कायम होगा और दस-दस एकड़ जमीन से ज्यादा किसी को नहीं दी जायगी, वह शर्तें भी पूरी नहीं कीं, बल्कि उलटे मुझे यह मालूम हुआ कि वह जमीन जो उनकी मिशन के पास से एक तरीके से चली गयी और काश्तकारों के कब्जे में पहुंच गयी उसमें कुछ बागात थे और मिशन ने एक ठेकेदार को बागात का ठेका दे दिया। तो अभी ८ जून को हमारे समाजवादी पार्टी के नेता श्री राजनारायण जी गये अपने एक और साथी के वहां पहुंचे और तकरीर की और उसका नतीजा यह हुआ कि मारपीट हुई और पुलिस के इंटरफेयरेंस (हस्तक्षेप) की नौबत आयी। मैं यह समझता हूं कि गवर्नमेंट का हर मेम्बर और जितने हमारे ये मित्र बैठे हैं एक दूसरे से यह उम्मीद करते हैं कि इस तरह का हमारा अमल होगा कि शांति भंग न हो। इस तरह से हम लोग तरतीब देंगे अपने साथियों को और जनता को जिन पर हमारा असर हो कि वह (विधि) को वे अपने हाथ में न लें। मेरी इत्तिला यह है कि श्री राजनारायण जी ने जब देखा कि फौजदारी हो गई और उनकी स्पीच के नतीजे पर हो गयी तो रात में खिसक आये। उसका यह जिक्र किया गया गोकि उसका इस अनुदान से ताल्लुक़ नहीं था। मेरा ख़याल है कि उनके मन के किसी कोने में यह बात पड़ी थी कि गलती उनसे हुई है। तो उन्होंने बिला जरूरत, बेमौका और बेमहल उस बात को एक शिकायत के तौर पर यहां रख दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि उनका क्या मतलब था यहां जिक्र करने का। अब गवर्नमेंट इस बात पर विचार कर रही है कि जिन शर्तों पर जमीन छोड़ी गयी थी, चूंकि वे शर्तें पूरी नहीं की गयीं, तो आया उस जमीन को वापस ले या न ले। यह एक छोटी सी बात थी, फिर भी हमारे दो मिनट इस पर सर्फ हो गये।

कहा यह गया कि साहब यहां एलाटमेंट ५० एकड़, ३० एकड़, १५ एकड़ का किया जा रहा है, तो क्यों नहीं एक सी जमीन सब को दी जाती है । मैं यह समझता हूं कि सब को जमीन एक सी दी जाय, यह तो शायद समाजवादी पार्टी का भी कहना नहीं है । उनका कहना केवल यही है कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन किसी को न दी जाय यह नहीं है कि ईक्वेलाइज्ड लैंड डिस्ट्रिब्यूशन (भूमि का समान वितरण) कर दिया जाय। कम से कम जहां तक मैंने उनका साहित्य पढ़ा है यह नहीं है, तो फिर अगर ५० एकड़, ३० एकड़ या १५ एकड़ जमीन किसी को काबिलियत के मुताबिक दी जाती है तो इसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये । जो ५ साल लगातार ऐग्रीकल्चर कालेज, कानपुर, में पढ़ता है उसको ३० एकड़ जमीन दी जाती है । पोस्ट–ग्रेजुएट को भी ३० एकड़ जमीन दी जाती है । इस तरह जो ५० एकड़ की बात थी वह खत्म हो गयी । जो डिप्लोमेड (उपाधिधारी) हैं, जिन्होंने बुलन्दशहर और गोरखपुर से पास किया है, उनको साढ़े बारह एकड़ जमीन दी जाती है ।

यह बात भी कही गयी कि पोलिटिकल सफरर्स (राजनीतिक पीड़ितों) को क्यों जमींन दी जाती है और भूमिहीन लोगों को ही क्यों नहीं सारी जमीन दे दी जाती है । जहां तक पोलिटिकल सफरर्स की बात है, मेरी समझ में नहीं आया कि इसकी क्यों कर शिकायत हो सकती है । दुनिया भर में वे लोग जो किसी क्रांति में या स्वतंत्रता के आन्दोलन में हिस्सा लेते हैं, अपनी गवर्नमेंट से विशेष बरताव के मुस्तहक होते हैं। इसी बिना पर दुनिया भर में जितने भी सैनिक हैं, उन सब के साथ हर कानून में विशेष रियायत की जाती है । जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट में हमने रियायत की और उससे पहले टेनेंसी ऐक्ट में भी हमने उनके साथ रियात की । मैं दावा करता हूं कि दुनिया भर में जितने भी कानून बनते हैं, उनमें सैनिकों के साथ रिआयत की जाती है । जो मामूली सैनिक होते हैं वे देश की रक्षा करते हैं और जो राजनीतिक सैनिक होते हैं वे देश की आजादी वापस लेने में सहायता करते हैं । सैनिकों के लिये हमने भी रिआयत रखी है, लेकिन चाइना लैंड रिआर्गेनाइजेशन स्कीम में तो यह रखा गया है कि जो कम्युनिस्ट थे, जो उनकी लिबरेशन आर्मी के सैनिक थे, वे अपनी जमीन को काश्त पर यानी लगान पर उठा सकते हैं । हमने इस तरह की कोई रिआयत नहीं रखी है । लाखों की तादाद में राजनीतिक पीड़ित इस सूबे में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ९९ फीसदी की वही दशा है जो पहले थी। अगर ऐसे लोगों को जमीन देने की बात हम करते हैं तो इसमें किसी भाई के अखरने की क्या बात है । मेरी समझ में नहीं आता है कि इसका क्या जवाब दिया जाय । ऐसा एतराज तो महज एतराज के ख़ातिर किया जाता है ।

१४६ लाख काश्तकारों की बात कही गयी। १४६ लाख काश्तकार किसी हिसाब से बैठते नहीं। कहीं से ग़लत आंकड़े उन्होंने पढ़ लिये हैं। यह तो होता नहीं है कि एक खान्दान के तीन भाई हों और सभी का नाम एंटर (प्रविष्ट) हो। किसी खाते में एक का नाम होता है किसी में तीनों का नाम होता है । इस तरीके से अगर इनको एडल्ट (वयस्क) मान लिया जाय तो १४६ लाख एडल्ट्स यानी बालिग़ किसान फेमिलीज़ में नहीं हो सकते हैं । यह ग़ैर मुताल्लिक़ बात है और यह आंकड़े ऐसे हैं कि इनसे न कोई नतीजा निकालने की जरूरत है और न विचार करने की जरूरत है ।

श्री राम स्वरूप जी गुप्त ने बंधियों के बारे में कहा कि पिछले साल जो डेढ़ लाख रुपया बंधियों के लिये रखा गया था वह इस साल नहीं रखा गया है ।वह यह चाहते हैं कि यह रुपया रखा जाय । मैं उनकी इत्तिला के लिये यह बतलाना चाहत हूं कि पिछले साल जो डेढ़ लाख रुपया रखा गया था उसमें कुछ ख़र्च नहीं हुआ। हमारे चीफ़ इंजीनियर ने इस मामले में कोशिश भी की और गांव वालों से सम्पर्क क़ायम किया और उनसे कहा कि जो भी थोड़ी बहुत ग्रांट इस सिलसिले में रखी गयी है उसका इस्तेमाल करें, लेकिन कोई प्रेरणा उनमें नहीं पायी गयी और उन्होंने कोई बन्धियां तैयार नहीं कीं। इसलिये अब की बार यह रुपया नहीं रखा

[श्री चरण सिंह

गया। वैसे ग्रांट नम्बर ५१ में ३ लाख रुपया रखा गया है जो लोन (ऋण) के रूप में दिया जायगा कि जो किसान बंधियां बनाना चाहें वे रुपया ले सकते हैं। इसी तरीके से ग्रांट नम्बर ८८ में एक मद रखी गयी है जो गवर्नमेंट की तरफ से बंधियां बनाने में खर्च की जायगी। तो यह बात नहीं है कि बंधियां नजरअन्दाज की गयी हैं। लेकिन बंधियों के बारे में जो उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई, इसलिये इस बार वह रुपया नहीं रखा गया है।

फिर एक बात इन्होंने यह भी कही कि ट्रैक्टर्स हमारे देश के लिये उपयोगी नहीं हैं। मैं उनसे सहमत हूं कि हमारी जो खेती है वह छोटे पैमाने पर होती है और ट्रैक्टर्स ठीक नहीं होंगे। लेकिन नई जमीन तोड़ने के लिये और लम्बी जड़ वाली घास को उखाड़ने के लिये, जैसे कांस वगैरह, यह काम ट्रैक्टर्स के ही द्वारा हो सकता है और जो हमारे यहां के पुराने हल हैं उनसे नई जमीन और कांस को उखाड़ा नहीं जा सकता है। तो ट्रैक्टर्स कालोनाइजेशन (उपनिवेशन) के लिये और कांस इरेडिकेशन (उत्पाटन) के लिये इस्तेमाल में लाये जाते हैं और इस बात का कोई प्रचार गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि हमारे देश की सारी काश्त ट्रैक्टर्स के जरिये होनी चाहिये।

मेरे मित्र श्री फतेह सिंह राणा ने एक सुझाव यह दिया कि गवर्नमेंट को चाहिये कि अपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ओर से ही सब प्राइवेट और कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स का सिंकिंग कराये और ठेकेदारों से नहीं। बात उनकी बहुत हद तक सही है और हम चाहते भी ऐसा थे। लेकिन हमारे पास तीन पावर रिग्स थे और दो के लिये कई महीनों से आर्डर दिया है लेकिन वे प्रदेश से अभी तक आये नहीं हैं। अब की इरीगेशन विभाग में चार पावर रिग्स खरीदे जायंगे। तो इस तरह से सात, आठ पावर रिग्स हमारे पास हो जायंगे और हम उम्मीद करते हैं कि.....

उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री अब समाप्त करने की कृपा करें।

श्री चरण सिंह---दो मिनट अगर और दे दिये जायं तो कृपा होगी या खत्म कर दूं?

उपाध्यक्ष---अच्छा दो मिनट और बोल लीजिये।

श्री चरण सिंह---श्री नारायण दत्त जी ने यह कहा कि बहुत से अफसरों को पांच-पांच सौ एकड़ जमीन दे दी गयी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---दे नहीं दी गयी। मैंने कहा था कि उन्होंने इस तरीके से मैनेज किया कि उन्होंने कालोनाइजेशन के बगल में जमीन ले ली।

श्री चरण सिंह---कालोनाइजेशन एरिया में किसी गवर्नमेंट आफिसर को जमीन नहीं दी गई और जो स्काटस फार्म का जिक्र किया गया उसका भी कालोनाइजेशन से कोई वास्ता नहीं है। हमने १७ हजार एकड़ जमीन राजा काशीपुर की ली और दो हजार एकड़ जमीन राजा काशी पुर को दी और उन्होंने एक ..... (व्यवधान)

क्योंकि वक्त की कमी है इसलिये मैं ईल्ड (झुकने) करने के लिये तैयार नहीं हूं।

कुछ सदस्यों ने कहा कि गांव उजाड़े गये। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिन लोगों की पहले से वहां काश्त थी उनको किसी को बेदखल नहीं किया गया। या तो वहां जमीन छोड़ी गयी और अगर वहां जमीन न दी जा सकी तो दूसरी जगह रिक्लेम करके दी गयी। हमने तो यहां तक किया कि अगर पहले किसी के पास पांच एकड़ जमीन थी तो पांच एकड़ वह और पांच एकड़ और यानी दस एकड़ जमीन उनको दी। लिहाजा कोई किसान जो वाकई काश्त कर रहा था बेदखल नहीं किया गया। रहा यह कि मकान जलाये गये, यह बात गलत

है। लेकिन अगर किसी माननीय सदस्य को मालूम है और उनको यकीन है तो मुझे बतलायें और मैं देखूंगा कि जिस आदमी ने इस तरह की गलती की है उसको सजा मिले।

जहां तक औजारों का संबंध है कि वे यहां नहीं बनते हैं और सरकार की ओर से कोई इसका इंतजाम नहीं हुआ यह बात कुछ हद तक ठीक हो सकती है। लेकिन बिलकुल यह कहना कि किसानों की कोई मदद हल वगैरह बना कर नहीं की, यह बात गलत है। मस्लन गूजर हल और कल्टीवेटर्स प्लाऊ जो किसानों में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं और किसान उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यह हमारे एग्रीकल्चर के इंजीनियरिंग विभाग से ही निकले हैं। कहने को तो अभी बहुत सी बातें हैं लेकिन अब समय नहीं है। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं दरख्वास्त करता हूं इस अनुदान को मंजूर किया जाय।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**---मेरे बारे में जो कहा गया है. . . .

**उपाध्यक्ष**---आपने जो प्रश्न उठाया था उसका उत्तर मिल चुका है। उत्तर देने का कोई नियम नहीं है।

( कुछ ठहर कर )

जिस समय उत्तर देने का समय था उस समय श्री राज नारायण जी उपस्थित नहीं थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

**श्री राजनारायण**---मैं पर्सनल एक्सप्लनेशन (वैयक्तिक स्पष्टीकरण) के लिये खड़ा हुआ हूं।

**उपाध्यक्ष**---जब उत्तर देने का समय था तो उस समय माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे। अब मैं मंत्री जी को मौका दे चुका हूं। अब तो अनुदान को भवन के सामने रखने का समय आ गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपना प्रस्ताव वापिस ले लें तो अच्छा है।

**श्री राजनारायण**---मैं उत्तर दूंगा।

**उपाध्यक्ष**---जी नहीं, उत्तर देने का तो समय नहीं है, लेकिन आप यदि कुछ कहना चाहते हैं तो दो तीन मिनट में कह दें।

**श्री राजनारायण**---आदरणीय स्पीकर महोदय, मैंने मिकैनाइज्ड फार्म के बारे में जब आराजी लाइन्स के फ़ार्म का वर्णन किया था तो माननीय मंत्री जी ने उसके संबंध में कुछ कहा था। उनकी बातों को सुनकर मैं दौड़ा हुआ आया। मैंने कहा था कि जिस वक्त किसानों की जमीनें छीनी गई थीं तो वह जमाना सन् १९४७-४८ का था। माननीय मंत्री जी ने तो यह कह दिया कि राजनारायण जी के भाषण से उत्तेजित होकर जनता ने आपस में मार पीट शुरू कर दी और शायद फिर वहां से राजनारायण जी चले गये। आदरणीय स्पीकर महोदय तो जहां तक मंत्री जी का यह चार्ज है मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि मैं भागने वाला नहीं हूं।

**उपाध्यक्ष**---मैं माननीय सदस्य से कह देना चाहता हूं कि अनुदान का समय हो चुका है।

**श्री राजनारायण**---इसलिये अब मैं अपनी जगह पर आना चाहता हूं। इस बात की सफाई देने के बाद आदरणीय मंत्री महोदय से मैं कहता हूं कि आपकी यह कोलोनाइजेशन की स्कीम बिलकुल निकम्मी और थोथी है। इसमें कोई योजना होनी चाहिये, उनको बना लेना चाहिये कि इतनी जमीन बेसिक होल्डिंग (आधारभूत खाते) के मुताबिक लैंडलेस लेबरस को मिलनी चाहिये। राजनीतिक पीड़ितों के लिये भी वही नियम लागू होना चाहिये, चाहे

[श्री राजनारायण]

मैं हूं चाहे कोई भी हो। अगर वह राजनीतिक पीड़ित है और घर की प्रापर्टी से [सम्पत्ति] जीवन निर्वाह करता है और दरख्वास्त दे तो उसको जरूरी नहीं है कि जमीन मिल जाय। एक योजना जिसे प्लान कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं तो आदरणीय मंत्री महोदय आयंदा गौर करेंगे और उस में उन व्यक्तियों को ही जमीन देंगे जो सचमुच में बिना खेती के हों या जिनके पास जमीन कम हो और वह खेती करके उत्पादन में बढ़ावा कर सकते हों।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन ५०,००० रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२, कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन लेखा शीर्षक ४०-कृषि के अन्तर्गत २,०३,९४,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ३५-लेखा शीर्षक ५४-दुर्भिक्ष सहायता

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५-दुर्भिक्ष सहायता, लेखा शीर्षक ५४-दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि से संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत १७,४६,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह रकम दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष पीड़ित इलाकों की सहायता के लिये है। यों तो हर साल कुछ न कुछ रुपया रखा जाता है और जहां तक इस अनुदान का ताल्लुक है उतना ही रुपया जितना कि आमतौर पर रखा जाता है उतने की ही मैंने इसमें मांग की है लेकिन इस वर्ष विशेष परिस्थिति हमारे सूबे में है और उसमें कुछ रुपया खर्च हो चुका है और जहां आवश्यकता होगी और खर्च किया जायगा। तो जहां तक इस अनुदान का संबंध है उसका ब्योरा माननीय सदस्य वाल्यूम ४ के पृष्ठ २९७ पर देखें। टेस्ट वर्क एंड रिलीफ के लिये १,००,००० रुपये, टूल्स (उपकरण) और प्लांट्स (स्थिर यंत्र) के लिये १७,००० रुपये तथा निर्मूलन सहायता के लिये ७,००,००० रुपये रखे गये हैं। सूखी घास का इंतजाम करने के लिये और उसको कम खर्चे पर जहां जरूरी हो भेजने के लिये ३,१९,४०० रुपये की रकम रखी गई है। इसमें रेलवे वगैरह में किराये में जो रियायत होगी उसको पूरा करने के लिये और अस्तर्फा अखराजात मीट करने के लिये भी यही रकम है। टिड्डियों के आक्रमण से बचने के लिये भी रकम इसी में सम्मिलित है। अब एक महीने के बाद हमारे सूबे में टिड्डयों का आक्रमण होने वाला है। कहीं बाढ़ आ जाय तो बाढ़-पीड़ित जो गांव-वासी होंगे उनको दूसरी जगह बसाना हो वह रकम भी इसी मद में आती है। ९,७०० रुपये की रकम सेलरीज एंड एस्टेबलिशमेंट में रखी गई है। इस तरीके से कुल रकम १७,४६,१०० रुपये की होती है। लेकिन जितना खर्चा वहां हो रहा है उसका इस ग्रांट विशेष से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें वह रकम नहीं आ सकी। ज्यादातर वह रकम तकावी वगैरह की है जिसका इस ग्रांट से विशेष ताल्लुक नहीं है लेकिन इस वास्ते की माननीय सदस्यों के सामने पूरी तस्वीर आ जाय मैं उन दूसरी ग्रांट्स के मातहत जो रकम खर्च हो रही है दुर्भिक्ष बाढ़ अभाव ग्रस्त इलाके में, उसका भी यहां कुछ जिक्र कर देना चाहता हूं।

१४ लाख ४२ हजार रुपया इस मौजूदा बजट में टेस्ट वर्क के लिये मंजूर किया जा चुका है और उन जिलों को दिया जा चुका है। १७ लाख ९९ हजार रुपया पी० डब्लू० डी० को रिलीफ वर्क के लिये दिया जा चुका है। २ लाख रूपया ग्रेचुटस रिलीफ (अनुग्रह सहायता) के लिये दिया जा चुका है। इसी तरीके से ३४ लाख ८७ हजार रुपया कच्चे कुवें, बीज और बैल खरीदने के लिये दिया जा चुका है और इसके साथ ही १० लाख रुपये की माल गुजारी

में छूट दी जा चुकी है और ३२ १/२ रुपये की रेंट में इसी वर्ष छूट दी जा चुकी है। और सूखी घास जंगलों में मुहैया करने की कोशिश की जा रही है और जो जंगल उन इलाकों के नजदीक हैं उनमें उन मवेशियों को मुफ्त चरने की इजाजत दी गई है। उनके लिये चावल का बीज भी मुहैया किया गया है। या तो वह तकावी से खरीदा है या सवाई पर कोआपरेटिव स्टोर से या एग्रीकलचरल गोदामों से लिया गया है। यह तो आम बातें हैं जो मैंने आपको बतलाई। जहां तक तफसील की बात होगी तो वक्त पर मैं उसका जवाब दूंगा।

जहां तक मिर्जापुर का ताल्लुक है वहां तो और भी बहुत सी बातें तकावी और मालगुजारी में छट के अलावा की गई हैं और उनको सहूलियतें दी गई हैं। महुवे का फल मुफ्त इकट्ठा करने की इजाजत दी गई है। हड़, बहेड़ा को मुफ्त इकट्ठा करने की इजाजत दी गई है और कुछ पत्तों को इकट्ठा करने की इजाजत दी गई है जिससे बीड़ी बनती है। इससे हजारों आदमियों को रोजगार मिला है और हजारों आदमियों का आमदनी का जरिया बना है। इसके अलावा वहां कपड़ा मुहैया करने के लिये १६ हजार गज कपड़ा कानपुर के कारखाने दारों ने दिया है और उसको वहां पर तकसीम किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सा काम किया गया है जिसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता।

हमारे पूर्व के जिलों में जो करीब ८,१० हैं वहां पर आजकल कुछ कमी की अवस्था है जिसका कारण प्रकृतिजन्य अवस्थायें हैं। गवर्नमेंट कोई जिम्मेदार नहीं है और न गवर्नमेंट की कोई किसी तरह की गलती है। हमारे जो पूर्वी जिले हैं उनमें आमतौर पर बर्षा ज्यादा होती है। पश्चिमी जिलों के मुकाबिले में दुगुनी और तिगुनी ज्यादा वर्षा होती है, वहां पर जो पानी की सतह है वह बनिस्बत सूबे के दूसरे जिलों के ऊंची रहती है। इस कारण से वहां पर नहरें खोदना जरूरी नहीं समझा गया और न नहरें खोदने की जरूरत ही थी क्योंकि अगर खोदी जाती तो जैसा दूसरी जगहों का तजुर्बा है, कि जहां पर वर्षा ज्यादा होती है और वहां पर नहरें खोदी जाती है तो वहां पर पानी का लेविल और ऊंचा हो जाता है। इसके साथ साथ वहां एक मुसीबत यह भी रहती है कि पानी की सतह ऊंची होने से और पानी ज्यादा पड़ने से वहां पर पानी धीमे धीमे बहता है जिसका नतीजा यह होता है कि वहां पर बढ़ा बहुत आती हैं और वह इलाके बाढ़ के शिकार रहते हैं। एक तरफ वर्षा ज्यादा और दूसरी बाढ़ की मुसीबत यह समस्यायें वहां थीं। अभी सन् १८४८ में जो वहां पर बढ़ा आई थी गोंडा और बहराइच में तो उस वक्त गवर्नमेन्ट को काफी इमदाद करनी पड़ी थी। सन् १९५० ई० के अगस्त में बाढ़ आई थी खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी गाँव बह गये थे और खरीफ की फसल नष्ट हुई तो रबी की फसल बोई नहीं जा सकी। सन् १९५१ में फिर सूखा पड़ गया। एक तरफ बाढ़ आयी और अगले साल फिर पानी नहीं बरसा तो सन् १९५१ में बहुत कमी हुई। सन् १८७५ ७६ में इस तरह का सूखा पड़ा था और उसके ठीक ७५ वर्ष बाद यह पिछले साल सूखा वहां पूर्वी जिलों में पड़ा था। सब लोगों का ध्यान वैसे ही जाना चाहिये था और आबपाशी के जरिये वहां मुहैया होने चाहियें थे। दो सालों के सूखा और अनावृष्टि के कारण जायज मतालबा है पूर्व के जिलों की ओर से कि वहां सिंचाई के साधन जुटावे जायं। गवर्नमेंट इसे जायज मानती है। इसमें कोई शक नहीं कि ज्यादा, बारिश फिर बाढ़ और उसकी वजह से जलवायु खराब होने से बीमारियों का भी प्रकोप होता है। आबादी का ज्यादा होना और जमीन का निस्बतन कम होना ये सारी समस्यायें वहां एकदम इकट्ठी हो गयीं और चूंकि फिर बारिश नहीं हुई इसलिये वह समस्या और भी उग्र रूप में हमारे सामने आई। इसके लिये हमें प्रबन्ध करना है और मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि १९.९ यानी करीब १/५ इस बजट का सिंचाई के लिये रखा गया है।

६५ करोड़ के बजट में १३ करोड़ रुपया सिंचाई के लिये रखा गया है और अगर आप तफसील देखेंगे तो उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा, शायद सारा ही, पूर्व के जिलों पर खर्च किया

[ श्री चरण सिंह ]

जाने वाला है। बल्कि पश्चिम के लोगों को यह शिकायत है कि उनके लिये रुपया नहीं रखा गया। वे कहते हैं कि वे एक कोने से दूसरे कोने तक बजट को उठाकर देखते हैं तो उनके जिलों का नाम इसमें नहीं मिलता है। खैर, उनका नाम मिले या न मिले, लेकिन इस समय जरूरत पूर्वी जिलों की ज्यादा है। जैसा मैंने अर्ज किया, सिंचाई के साधन पूरे तौर पर जुटाये जावेंगे। लेकिन वह १ या २ साल में तमाम नहीं हो सकता।

जहां तक नहरों का संबंध है वह एक दम नहीं बन सकती हैं और २—४ मील के लिये नहीं बन सकती हैं। जहां नहर का बनना मुमकिन है वहां नहर बनाई जायगी। लेकिन मेरी समझ में ज्यादातर मसला हल होगा ट्यूबवेल्स से। उससे सब सायल वाटर को लेविल (अधोभूमि जल की सतह) पर सींचा जायगा जो कि वहां की फर्टिलिटी (उरवर्ता) के लिये मुफीद होगा। नहरों से सब-सायल वाटर की सतह ऊंची जायगी जिससे जमीन खराब होगी। नहरों के दोनों तरफ मीलों को लम्बाई में २-२ फर्लांग की चौड़ाई तक पानी के लेविल की वजह से सफेद मिट्टी सी रेह जम जाती है। पूर्व के लोग मुझसे और दूसरों से यह तकाजा करते हैं रात ही मैंने एक सदस्य से पीछा छुड़ाया जो बराबर यही कहते रहे कि पूर्व के लिये यह हो और वह हो। वे सभी बातें हमें दीखती हैं लेकिन इसमें समय लगेगा। जब वहां के लोगों की स्थिति स्वभावतः खराब होनी थी, तो आन दी स्पाट जो कुछ हो सकता है वह करने की कोशिश की जा रही है। उसकी कुछ तफसील मैंने आपके बयान कर दी।

मैं जानता हूं कि उस सिलसिले में शिकायतें हैं, कुछ सही और कुछ गलत और बढ़ी हुई कुछ शिकायतें इस ख्याल से की जाती हैं की वे दूर हो जावें और ऐसी भी होती हैं कि जो लोग वहां के रहने वाले हैं उनके सामने दिन रात की वह तकलीफ है और उन्हें वह बहुत बढ़ी हुई मालूम होती है। ऐसा भी मालूम होता है कि जैसे अतिशयोक्ति से काम लिया जा रहा है। कहा जाता है कि आदमी भूखे मर गये। हमारे पास अभी गाजीपुर से खत आया, बलिया के किसी गांव से खत आया। कल ही अखबार वालों को बतलाया गया कि वहां ७ दिन तक खाना नहीं मिला। लेकिन आम तौर से आदमी ३० दिन से पहले भूख से नहीं मर सकता। जब आदमी अनशन करता है, इरादा करता है, वह ५० दिन तक नहीं मरता है। जिसको बिलकुल खाना नहीं मिले तो वह ३० दिन तक नहीं मरेगा। मान लीजिये किसी को बिलकुल भी खाने को न मिले तो भी ३ महीने में आदमी मर सकता है। जब १० दिन तक उसको खाना नहीं मिला तब तक तो किसी को खबर नहीं हुई लेकिन जब वह मर जाता है तब बताया जाता है कि वह आदमी मर गया। मैं माननीय अध्यक्ष के जरिये से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर किसी को बिलकुल भी अनाज न मिलता हो तो भी वह आदमी ३० दिन में ही मरेगा। जिन्दगी की एक हद है। ३० दिन तक स्टारवेशन (क्षुधामृत्यु) का प्रोसेस (प्रकार) चलता है। जो लोग मरना चाहते हैं वे भी इतनी जल्दी नहीं मर जाते। अब जब यह स्टारवेशन का प्रोसेस चलता है तो उस बीच में न तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को खबर की जाती है और न गवर्नमेंट को ही इसकी इत्तिला होती है लेकिन जब ११ दिन ६ घंटे में कोई मर जाता है तो कहा जाता है कि फलां शख्स मर गया। ऐसा कोई मरने वाला भूख से नहीं मरता, बीमारी से मरता है, लेकिन जैसा कहा जाता है और जिस तरीके से कहा जाता है भूख से उसकी ग्रेजुअली डेथ (क्रमिक मृत्यु) नहीं होती। मैं मानता हूं कि देवरिया, गाजीपुर, मेरठ और देहरादून में मौतें होती हैं। ऐसी मौतें सब जगह होती हैं और होती रहेंगी लेकिन स्टारवेशन से कोई मौत नहीं हुई। मैंने माननीय स्पीकर से कह कर इसके लिये ज्यादा समय लिया क्योंकि हम कोई बात किसी से छिपाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो कुछ हमने किया है वह पब्लिक के सामने आये और उसमें जो कमियां हों वह हमें मालूम हो जायं ताकि हम उन कमियों को दूर कर सकें। जहां तक उन कमियों को दूर करने की संभावना हो। गवर्नमेंट अपनी कमियों का स्वागत करती है और यथाशक्ति और यथासंभव उनको मिटाना भी चाहती

है। इसलिये मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से कह कर इसका अधिक समय कराया। इन शब्दों के साथ मैं इस सदन से दरख्वास्त करता हूं कि वह इस अनुदान को स्वीकार करे।

**श्री जगन्नाथ मल्ल** (जिला देवरिया)--उपाध्याय महोदय, चूंकि इसी किस्म का एक कटौती का प्रस्ताव हमारे साथी श्री गेंदा सिंह का है इसलिये मैं उसको प्रेस (अनुरोध) करना नहीं चाहता। माननीय गेंदा सिंह जी जो प्रस्ताव उपस्थित करेंगे मैं उसी पर बोल लूंगा।

**श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मेरा कट मोशन यह है कि संम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य सामान्य विवाद द्वारा दुर्भिक्ष सहायता निधि की कमियों को बताना है।

इस संबंध में कुछ निवेदन करने से पूर्व मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं क्योंकि उन्होंने भी कल अकाल के सिलसिले में कुछ कहा था और खास तौर से मेरे लिये बहुत ऊंचा ख्याल जाहिर किया था इसलिये मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने ऐसी आशा प्रकट की थी कि "गेंदा सिंह के देवरिया में रहते हुये कोई आदमी भूखों नहीं मर सकता"। मैं पूरे-तौर से तो उनकी आशा को पूरा नहीं कर सकता लेकिन जैसा कि गृह मंत्री ने हमको बुजुर्गाना ढंग से बताया कि हम लागों की खातिरदारी का इन्तजाम माकूल हो चुका है तो उस खातिर-दारी को कबूल न करने की गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता और अगर देवरिया की यही हालत रही तो उनको खातिरदारी हमें अवश्य कबूल करनी होगी और हम अपने सामने किसी को भूखों नहीं मरने देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह गुस्ताखी की बात हो सकती है, लेकिन मुझे उसके कहने की जरूरत मालूम होती है। कानून जो सरकार बनाती है उन पर ठीक तरह से अमल नहीं करती। एक कानून की किताब मेरे सामने मौजूद है। वह बहुत पुरानी किताब है लेकिन उसी पर इस समय अमल किया जा रहा है। वह है मैनुअल आफ फ़ैमिन ऐडमिनिस्ट्रेशन (दुर्भिक्ष प्रशासन नियमावली)। मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ इसी पर अमल किया जाय तो जिस तरह से माननीय चरण सिंह जी ने कहा है उससे उल्टी हालत होगी। सिर्फ देवरिया ही नहीं बल्कि पूर्वी जिले जो अनइरीगेटेड (असिंचित) हैं उनकी जो हालत है वह कुछ कहने लायक नहीं है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यह फ़ैमिन ऐडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल बतलाता है कि रबी और खरीफ दोनों फसलें अगर एक साथ मुतवातिर खराब हों तो किसी भी हालत में उसे फ़ैमिन मानना चाहिये, वह फ़ैमिन होगा। जो कुछ इसमें दिया हुआ है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस समय यह होता है कि कोई तहसीलदार कानाफूसी तक नहीं कर सकता है कि किस जगह पर अकाल पड़ा है। जब ऊपर से इशारा मिलता है तब व कहीं इस बात को कबूल करते है कि कहां पर अकाल है और कहां पर आदमी मरते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि आदमी मरते हैं और कोई देखने वाला नहीं होता है। जो हालत है अगर उसे देखने की कोशिश की जाती तो यह चीज मालूम हो सकती थी।

मुझे अफ़सोस है कि आज माननीय चरण सिंह जैसे रियलिस्ट (वस्तुवादी) आदमी को भी यह स्वप्न की बात मालूम होती है कि आदमी भूखों मर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वे इस बात की कोशिश करते और हमारे साथ चलने की मेहरबानी करते तो मैं उनको किसी खास गांव में नहीं लिवा जाता बल्कि वे एटरेण्डम (बिना लक्ष्य) के किसी भी गांव में चलकर देख लेते कि उस गांव में भूख से कितने आदमी मरते हैं। यह कहा जाता है कि जब एक आदमी सात सात दिनों तक भूखों रहेगा तो क्या उसे कोई भी खाने के लिए नहीं पूछेगा? भला वह

[श्री गेंदा सिंह]

कैसे मर सकता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि क्या आप बंगाल का अकाल भूल गये है! क्या वहां माताएं अपने बच्चों को नहीं बेचा करती थीं? बंगाल के अकाल में क्या माताएं अपने लड़कों और बच्चों को छोड़ कर दूसरी जगह नहीं चली जाती थीं? तो परिस्थिति ऐसी है जो मनुष्य को मजबूर करती है कि लोग मरते हैं और चाहते हुये भी उनकी मदद नहीं कर सकता है। जहां १०० घरों में से ७५ घरों में फाका होता हो वहां ७५ घर वाले कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? जब १०० घरों में से एक दो घर में फाका होता है तब तो दो एक दूसरे को मदद कर सकते है लेकिन ऐसी हालत में किसी की मदद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह जिन्दगी का सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। पूर्वी जिलों के साथ जैसा खिलवाड़ किया जा रहा है उस खिलवाड़ के लिये मैं क्या कहूं, ऐसा बदला हो सकता है जैसे बदले की मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि समय है कि इस पर सोचा जाए। हमने देखा है कि दुर्भिक्ष सहायता के नाम पर पारसाल के बजट में जो रकम रखी गयी थी वह रकम भी इस साल खत्म कर दी गयी है। इस बात को मैंने माना कि अपाहिजों की सहायता के लिये कुछ रकम बढ़ा दी गई है लेकिन यह रकम तो समुद्र में पानी की एक बूंद के बराबर है। फैमिन कोड मेमिरेन्डम में यह कहा गया है कि लगान माफ होना चाहिये, तकावी बहुत उदारता पूर्वक दी जानी चाहिये लेकिन यहां हो क्या रहा है। अगर पिछले साल के बजट को देखा जाय तो मालूम होगा और मैं माननीय चरण सिंह से भी पिछले दो तीन वर्ष का बजट पढ़ने के लिये आग्रह करूंगा। माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि पूर्वी जिलों में कई लाख टन अनाज का नुकसान हुआ है। कई लाख टन अनाज नुकसान होना कोई मामूली माने नहीं रखता।

इसके अतिरिक्त कई वर्षों से फसलें मारी जा रही हैं। ४९ में सरकार ने यह जवाब दिया था कि १० मन की एकड़ पैदावार देवरिया जिले में हुई और आज सिर्फ ६ मन की एकड़ इस वर्ष पैदा हुई है। सोजन ऐंड क्राप रिपोर्ट अगर पढ़ी जाय तो मैं आपसे निवेदन करूं कि मुतवातिर १० वर्ष तक दो फसलें बर्बाद होती हैं। यही नहीं खाली देवरिया जिले की बल्कि जितने बिला सिंचाई वाले जिले हैं, पूर्वी जिले सब। मुझे खुशी है कि माननीय चरण सिंह जी ने इस बात को माना है कि वहां पर आबादी बहुत घनी है और इस हद तक घनी है कि वहां आधे एकड़ के १ लाख ५९ हजार खाते है और आधे एकड़ से १ एकड़ तक १ लाख ६२ हजार खाते हैं? अब इनमें से १० लाख खाते ऐसे निकलें तो फिर क्या हालत होगी।

मैं जो सरकारी आंकड़े इकट्ठा करने वाला विभाग है और उसकी जो रिपोर्ट पूर्वी जिलों के लिये है उससे यह बताऊं कि पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों में कितना फर्क है। मैं पश्चिमी जिलों का कोई रायवल (प्रतिद्वंदी) नहीं हूं कि पश्चिमी जिलों में जो समृद्धि है उसको लूटकर पूर्वी जिलों में ले आया जाय लेकिन जो सरकारी रिपोर्ट है उसकी बिना पर मैं कहना चाहता हूं कि जहां कि ४२ रुपये सालाना आमदनी पश्चिमी जिलों में एग्रीकल्चरल लेबर की बतलाई जाती है वहां सिर्फ ३५ रुपये पूर्वी जिले में एग्रीकल्चरल लेबर की बतलाई जाती है। जहां पश्चिमी जिलों में ९ महीने तक काम मिलता है खेतिहर मजदूरों को तो पूर्वी जिलों के खेतिहर मजदूरों को सिर्फ तीन महीने तक ही काम मिल पाता है। फिर वैसे उनका काम चलेगा। यह आधे एकड़ और एक एकड़ और दो एकड़ वाले लेबर के क्लास में आते हैं तो फिर इस एग्रीकल्चरल लेबर की क्या हालत होगी?

मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और वह फैसला यहां इस हाउस में नहीं हो सकता। मैं माननीय चरण सिंह जी को नहीं मना सकता, मैं माननीय पंत जी को नहीं मना सकता, मनाने का एक तरीका होगा और वह तरीका है जैसा मैंने पिछली मर्तबे भी कहा था कि

एक कमेटी मुकर्रर कीजाय, मुझे कोई जिद नहीं है कि जो मैं कहूं वही कमेटी मुकर्रर की जाय लेकिन उस कमेटी में एक जज जरूर रहे और दो आदमी उसमें और हों। सिर्फ तीन आदमियों की कमेटी हो, कोई लम्बी चौड़ी कमेटी की जरूरत नहीं है। उस कमेटी को मुकर्रर कीजिये और उसके सामने गवर्नमेंट भी फैक्ट्स (तथ्य) और फोगर्स (आंकड़े) रखे और हम भी फैक्ट्स और फोगर्स रखें और मैं बड़ी खुशी मानूंगा जिस दिन मुझे गवर्नमेंट झूठा पाकर मेरे ऊपर मुकदमा चलाये। मुझे विश्वास है कि तब फैसला होगा और तब माननीय चरण सिंह जी को विश्वास होगा और अगर माननीय चरण सिंह जो मेरे साथ चलने को तैयार हों तो मैं सिद्ध करूंगा कि उनके जो खयालात हैं वह गलत हैं। लेकिन वह इस बात को कबूल नहीं कर सकते। मैं उम्मीद नहीं करता कि वह ऐसी बात को भी कबूल करेंगे। अगर ऐसी बात होती तो मैं समझता हूं कि मामला हल हो जाय। अगर एक मर्तबा खयाल बन जाय कि लोग भूख से मरते हैं तो फिर बात बनने लग जाय।

•

यह कोई प्रचार की बात नहीं है जिसके लिये उन्होंने चैलेंज ललकारा था कि तुमने अगर सत्याग्रह का नाम लिया तो रगड़ दिये जाओगे। हम आप से कहना चाहते हैं कि शायद अगर उनको सही हाल मालूम हो जाये तो वह हमको रगड़ने की बात नहीं कहते और शायद उसके बाद अगर माननीय चरण सिंह जो रगड़ने की बात करेंगे तो हम उनको तलवार का स्वागत करेंगे। उनके पास अगर तलवार है, उनके पास अगर हमारी खातिरदारी करने के लिये जेलखाने हैं तो हमारा शरीर भी तैयार है उनकी खातिरदारी को पूरा करने के लिये। हम भी उनके साथ रहे हैं हमने भी कुछ सीखा है और हमको भी सिखाया है उस महान विभूति ने जो आज इस देश में नहीं है जो जुल्म के सामने सिर झुकाना नहीं जानता था न चाहता था कि लोग झुकावें। अगर माननीय चरण सिंह जो अपनी तलवार चमका कर धमकाना चाहते हैं डराना चाहते हैं तो हम हाउस के सामने कहना चाहते हैं कि उनकी तलवार के सामने हम झुक नहीं सकते।

अगर अकाल पड़े और अकाल की हालत जो आज मौजूद है उससे वह आंख मूंदना चाहते हैं तो हमारा क्या अख्तियार है। लेकिन इस आंख मूंदने का क्या परिणाम होगा, इस पर भी मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं केवल पूर्वी जिलों की बात नहीं कहता हूं। मैं तो कहता हूं कि ललकारा पंत जी ने कि गेंदा सिंह की मौजूदगी में कोई भूख से नहीं मर सकता है। लेकिन कुमायूं की क्या हालत है? कुमायूं की हालत को जानते हुये और पूर्वी जिलों की हालत को जानने की कोशिश की जाय वरना, एक मुसीबत आएगी और वह मुसीबत जिस की तरफ नेशनल हेराल्ड (के संपादकीय लेख) में आज कुछ इशारा किया गया है। मैं नहीं चाहता कि इस तरह के अवसरवादी नारे लगाऊं कभी कभी आदमी आग से खिलवाड़ करता है। हम आग से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। वह इस पार्टी की हुकूमत करना चाहती है। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि वे आग से खिलवाड़ न करें। अगर वह पूर्वी जिलों और कुमायूं की जो हालत है उसको नेगलेक्ट (उपेक्षा) करती है तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत को एक बड़ा सबक सीखना पड़ेगा जिसकी उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अपने बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करता हूं। मैं नहीं चाहता कि उनकी शान के खिलाफ बातें कही जाय। लेकिन मैं चाहता हूं कि वस्तु स्थिति को देख कर काम किया जाय। प्रतिकार के लिये हम नहीं कह रहे हैं। माननीय चरण सिंह जी की उस धमकी उस चुनौती को अगर हम स्वीकार न करते तो क्या करते? फिर भी आज हम इस बात के लिये तैयार हैं कि हमको जेलखाने में स्थान मिलने के बजाय हमारे लिये जो स्थान मिला

[श्री गेंदा सिंह]

है वह भी "स्वागत्" है। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला है। जनता हमसे जब सवाल करती है तो हम को जवाब देना लाजिमी हो जाता है।

**श्री जयपाल सिंह** (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्षम होदय, इस समय जो ग्रांट भवन के सामने है उस पर मैं अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक मान्य मंत्री जी का संबंध है उन्होंने इस संबंध में तो काफी बता दिया है। मैं सिर्फ यह कह देना चाहता हूं कि जब हम पांच लाख शरणार्थियों के आ जाने पर उनको खिला सकते हैं तो क्या वजह है कि हम अपने गांवों में इस तरह के अगर कोई मामले पेश हो जायं उनको हम पूरा न कर सकें मैं यह दावे के साथ भी कहता हूं कि हमारे यहां यह परम्परा रही है कि कोई भी मुसीबत हो उसमें लोगों की सहायता की जाय यह कोई नयी परम्परा नहीं है, पुरानी है, यह हमारी पुरानी सभ्यता है। नौजवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते है, बूढ़े मर जाते हैं। अगर कोई दवा के वगैर मर जाता है उसको भी कहा जा सकता है कि भूखों मर गया है। तो अब सवाल यह है कि अगर इस तरह की मौतें बराबर इसी प्रकार से होती रही हैं तो यह समझ लेना कि यह भुखमरी का मसला है और अगर कोई एक्स्ट्राआर्डिनरी (असाधारण) बात पैदा हो जाय तो समझा जा सकता है कि एक संकट पैदा हो गया है। तो ऐसी हालत में मैं नहीं समझता हूं कि वह स्थिति पैदा हो गयी है जो फेमिन डेक्लेरेशन दुर्भिक्ष घोषणकी बात हो।

मंत्री महोदय ने १७ लाख, ४६ हजार सौ रुपया इस ग्रांट में मंजूर होने के लिये रखा है। मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पानी कम पड़ने की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से भुखमरी हो, पैदावार न हो या ज्यादा पानी पड़ने की वजह से, फ्लड्स (बाढ़) आ जाती हों तो वहां जितना नुक्सान होता है उसके लिये दूसरे तरीके से सहायता पहुंचाई जाय। वहां भी नुक्सान होता है जहां लोग आग से जल जाते हैं। गांव के गांव स्वाहा हो जाते हैं और लोगों के पास एक पैसा भी नहीं रह जाता। बाज दफा औरतें, मर्द सभी स्वाहा हो जाते हैं और पशु भी भुन जाते हैं आग की वजह से। तो ऐसी अवस्था में हमारे पश्चिमी जिलों में, सभी जगह की बाबत तो मैं नहीं कह सकता, घाड़ के इलाके में जहां पानी भी नहीं मिल पाता है और फूंस के छप्पर होते हैं, फूंस की दीवारें होती हैं तो ऐसी अवस्था में सब कुछ स्वाहा हो जाता है। तो ऐसे वक्त पर उन लोगों के लिये भी इस तरीके से सहायता की ग्रांट दी जाय तो बहुत बेहतर होगा। उनमें मैं यह नहीं कहता कि हरिजन नहीं होते हैं। अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। पैसे वाले, बे पैसे वाले सभी होते हैं और सभी का स्वाहा हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि ऐसे वक्त में उनकी सहायता दी जाय। जब उनके पास कुछ नहीं रह पाता है तो उनको सरकारी तरीके से सहायता दी जाय और खास तौर से ऐसे मौकों पर दी जाय कि धन के रूप में, टीन, लकड़ी व तकावी के रूप में और कुछ ऐसे तरीके से दी जाय कि वह हमेशा के लिये जो तरीका है छप्पर का वह खत्म हो जाय। मुझे आशा है कि इस ग्रांट पर मंत्री महोदय कुछ अपनी तरफ से इस ओर भी देखें और पश्चिमी जिलों में जो लोगों के मकान जल जाते हैं उनकी मदद के लिये कोशिश करें। मुझे इतना ही कहना है।

**श्री राम सुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता के लिये जो हमारे साथी गेंदा सिंह ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उस संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमन्, बाढ़ और दुर्भिक्ष सहायता संबंधी शीर्षक में वित्तमंत्री ने कहा है कि सन् १९४८ में पूर्वी जिलों में बहुत जोरों में बाढ़ आई। सन् १९५० में साधारण वर्षा हुई और सन् १९५१ में वर्षा बिलकुल हुई ही नहीं। इस लिये पूर्वी जिलों की हालत दुर्भिक्षमय हो गयी है। मैं इस संबंध में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, श्रीमन्, कि सरकार के ही कहने में विभिन्न मत है। माननीय चौधरी चरण सिंह जी कहते हैं कि अकाल नहीं है और

वित्त मंत्री की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि दुर्भिक्ष है । तो दोनों बातों में सत्य कौन है । सही बात यह है कि दुर्भिक्ष उसे कहते हैं जहां दोनों फसलें मारी जाती हैं, जहां के लोगों को काम न मिलता हो और अपने घर द्वार छोड़ कर बाहर के इलाकों में, जिलों में काम करने के लिये चले जाते हों, जहां के हजारों की तादाद में लोग अपने घर द्वार छोड़ कर भिखमंगों का रूप धारण कर लेते हैं। वहीं पर अकाल की जो रूप रेखा है वह मालूम पड़ती है ? पूर्वी जिलों की हालत आज ठीक वही है । हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बात को मानें या न मानें कि पूर्वी जिलों में लोग मर रहे हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से कहता हूं कि सरकार की ही रिपोर्ट से , सरकार के ही आदमी जो गांवों में फैले हुये हैं उन्हीं की रिपोर्ट से साबित होता है कि आजमगढ़ जिले में भी मौतें हुई हैं। सदर तहसील में, सिधौली गांव के सिधई चमार की मौत खाना न मिलने की वजह से हुई । कचरापुर थाने में भी यह रिपोर्ट है कि सिधई चमार लगातार आठ दिन खाना न मिलने की वजह से मरा । ग्राम पंचायत की भी यही रिपोर्ट है । .फिर भी सरकार ने कह दिया है कि कोई दुर्भिक्ष से मरा नहीं है । तो मैं क्या यह समझूं कि जो आपका विभाग गांवों में फैल हुआ है वह झूठ बोलता है या सरकार के लोग ही झूठ बोलते हैं ? दोनों में एक ही बात सत्य हो सकती है, दोनों बातें सत्य नहीं हो सकतीं और न झूंठी ही हो सकती हैं।

श्रीमान्, आजमगढ़ जिला बिलकुल ऊसर याला जिला है । उनमें चार तहसीलें बिलकुल ऊसर हैं । अगर उनमें वर्षा न हो तो एक पौधा भी नहीं उग सकता है । दो तहसीलें घोसी और सगड़ी ऐसी हैं जो घाघरा के किनारे हैं और बाढ़ से पीड़ित रहती हैं । आजमगढ़ जिले में गल्ले की बहुत कमी है । यह सरकार की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है । सरकार की ओर से वहां रिलीफ शाप्स (सहायता दुकानें) खोली गयी हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जो दूकानें खोली गयी हैं वे उन लोगों को दी गयी हैं जो या तो कांग्रेसी हैं या वे हैं जो ब्लैकमार्केट में ग़ल्ला बेचते हैं। बीसों दूकानदार वहां पकड़े गये हैं लेकिन सरकार की ओर से किसी को सजा नहीं दी गयी है ।

हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह जी कहते हैं कि कौन ऐसा आदमी होगा जो भूख से मर सकता है । एक देहाती कहावत है कि 'जिस के पैर न फटे बेवाई , वह क्या जाने पीर पराई'। हमारे माननीय चरण सिंह ऐसे खानदान के हैं और ऐसी जगह उनका पालन पोषण हुआ है जहां कभी उपवास हुआ ही नहीं। पूर्वी जिलों में सरकार के लोग नहीं जाते हैं और यदि जाते भी हैं तो बड़े आदमियों के यहां दावत खाते हैं, कलेक्टर के बंगले में ठहरते हैं। अगर उन चमारों की झोपड़ी में जाते, जो चैत के महीने में भी गोबरहा खाते हैं, तो मंत्रिमंडल के सदस्यों को पता चलता कि आज पूर्वी जिलों के लोगों में भुखमरी है या नहीं है, दुर्भिक्ष है या नहीं है । यहां दो तरह की बातें कही जाती हैं । एक तरफ यह कहा जाता है कि कोई गाँव ऐसा नहीं होगा जिसके लोग किसी को भूखों मरने देंगे । मुझे इस पर हंसी आती है । अभी परसों ही अखबार में निकला है कि यहां लखनऊ में एक व्यक्ति, जो तपेदिक से पीड़ित था, भूख से हाय हाय करके मर गया । वह अस्पताल में गया लेकिन वहां भी कोई पूछ नहीं हुई । यहीं आप के नीचे जहां मंत्रिमंडल के लोग रहते हैं एक आदमी मरता है, फिर भी आप कहते हैं कि कोई मरता नहीं है । दिन में उजाला है, कड़कड़ाती धूप है, लेकिन आपने अपनी आंखें मूंद ली हैं, इसलिये आपको यह सब नहीं मालूम होता है । आप नहीं चाहते हैं कि आप देखें कि कौन मर रहा है और कौन जिन्दा हो रहा है । सोते हुये आदमी को जगाया जा सकता है लेकिन जागते हुये आदमी को नहीं जगाया जा सकता है । कलेक्टर की जो रिपोर्ट है या पटवारी की जो रिपोर्ट है वही सही है और सब की रिपोर्ट ग़लत है ।

जिस प्रकार यहां हमारे माननीय सदस्य बालिग़ मताधिकार से चुन कर आये हैं, उसी प्रकार चुने हुये आजमगढ़ जिला बोर्ड के सदस्यों ने यह फैसला किया था कि आजमगढ़ अकाल पीड़ित

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

क्षेत्र माना जाय। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं। उनके सभापतित्व में आजमगढ़ जिला विकास सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास हुआ था कि आजमगढ़ जिला दुर्भिक्ष का जिला माना जाय। यहां इस सदन के माननीय सदस्य श्री स्वामी सत्यानन्द जी, श्री तेज बहादुर जी, श्री बजबिहारी मिश्र, श्री रघुनाथ सिंह आदि जो आजमगढ़ जिले के हैं और सरकार के साथ रहने वाले आदमी हैं, उन लोगों की उपस्थिति में यह प्रस्ताव पास हुआ था, फिर भी सरकार के लोग न मानें और यह कहें कि साहब दुर्भिक्ष नहीं है, तो क्या कहा जा सकता है ?

श्रीमन्, सरकार यह कहती है कि कुएं बनवाये जा रहे हैं। मैं कुओं के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। आजमगढ़ जिले में १८ सौ कुएं बनने थे लेकिन १५५ ही बने हैं। कहा यह जाता है कि सीमेंट नहीं है, लोहा नहीं है, ओ० टी० रेलवे पर हमारी सरकार का कब्जा नहीं है। ओ० टी० रेलवे पर आपका कब्जा नहीं है, लोहा नहीं है, सीमेंट नहीं है, तो फिर दोष किसका है ? क्या जनता का दोष है ? माननीय माल मंत्री ने कहा है कि प्रकृति जिम्मेदार है। प्रकृति जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हैं। यह सरकार का काम हुआ करता है कि वह दुर्भिक्ष को रोके। इसके लिये प्रकृति जिम्मेदार नहीं हुआ करती है।

श्री ब्रजभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से आपके आदेशानुसार अनुदान संख्या ३५, लेखा शीर्षक ५४ के ऊपर मैं भी अपना विचार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें पूर्वी जिलों के बारे में आपके समक्ष यहां पर रखीं। मैं इत्तफाक से गोंडा जिले का निवासी हूं और उसी क्षेत्र में से मेरा निर्वाचन हुआ है जहां पर कि दो सालों से लगातार फ़सलें नहीं हुई हैं। वह क्षेत्र गोंडा जिले में राप्ती नदी के उत्तर वाला क्षेत्र है जिसे उतरौला नार्थ कहा करते हैं। मैं अपने तजुर्बे और जानकारी से इस काम के संबंध में जो वहां पर रिलीफ वर्क हो रहा है उसके बारे में अपने विचार आप के समक्ष और सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। यों तो जो कुछ काम वहां पर पिछले चार पांच महीनों से हुआ है और जो प्रान्तीय सरकार की आज्ञा से हुआ है वह सराहनीय है, लेकिन फिर भी कुछ क़ानून की दिक्क़तें ऐसी वहां पर शुरू में हम लोगों के सामने आयीं और प्रबंध में जो वहां के जिला अधिकारी थे उन्होंने ऐसी अड़चनें डालीं कि जिससे हमारे यहां की जनता को परेशानी उठानी पड़ी। हमारे जिले की हालत, जैसा कि और लोगों ने कहा था मेरे साथी माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने देवरिया के बारे में बताया है कुछ कमोबेश अधिकांश भाग की वैसी ही हालत है। लेकिन सरकार के सुप्रबंध से वहां जितनी रक़म भेजी गयी और जो कुछ काम काज वहां पर हुआ उससे वहां की जनता को काफ़ी संतोष रहा है। सदन के सम्मुख यह बता देना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूं कि २०,२२ हजार मजदूर रोजाना वहां पर पिछले पांच महीनों से काम काज करते रहे हैं। मेरा अन्दाजा है, जहां तक मैंने पता लगाया, लगभग दस बारह लाख रुपये टेस्ट वर्क में वहां पर खर्च हुये हैं। तो इसके लिये तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और हमारे यहां की जनता प्रान्तीय सरकार की आभारी है कि सरकार की ओर से इस भयंकर स्थिति में सहायता दी गयी।

एक बात मुझे और अर्ज करनी है और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय और सरकार उसके ऊपर विशेष ध्यान दे। जहां तक हमने पता लगाया यह सारा काम काज जो चल रहा है दुर्भिक्ष के संबंध में वह कोई क़ानून सन् १९१२ ई० में बना था उसी के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था है। उसके अन्तर्गत यह है कि जो लोग वहां पर काम करें उनको मामूली मजदूरी ५,७,८ या ९ आने की दी जाय। आप समझते हैं कि ऐसी दशा में जब कि गल्ले का मिलना वहां मुश्किल है और जो ग़ल्ला कहीं बाहर से वहां जाता है वह भी मंहगा बिके तो ५,७,८ या ९ आने की मजदूरी लेकर अपने कुटुम्ब की परवरिश कोई कैसे कर सकेगा ? एक यह सवाल

है जिसे मैं चाहता हूं कि प्रान्तीय सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और ऐसा लैजिस्लेशन (विधान) बनाये कि जिससे यह व्यवस्था हो जाय और भविष्य के लिये, अब जो हम लोग झेल चुके वह तो झेल चुके, देखना यह है कि अगर कहीं पर ऐसी स्थिति है तो महीना, दो महीना, तीन महीना, तक परीक्षा करके वहां के लोगों के लिये विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान की जाय। हमें एक बात के लिये दुःख है कि पिछले पांच छः महीनों से लगातार वहां पर काम हुआ लेकिन फिर भी सरकार ने न मालूम किस नीति के अन्तर्गत आज तक उसको अकाल-ग्रसित क्षेत्र ऐलान नहीं किया। इसका फल यह हो रहा है कि लोग लगातार परेशान रहे। हमारे यहां कहावत मशहूर है, "सावन भादों में सुग्गा उपवास करता है"। अब सावन का महीना आ गया है। इस समय यदि विशेष प्रबंध नहीं किया गया और बाढ़ आ गई तो ज्यादा परेशानी होगी हमारे यहां के लोगों की, इस क्षेत्र के लोगों की, पूर्वी जिलों के लोगों की जिनकी ऐसी स्थिति हो गई उनकी क्या दशा होगी।

एक बात मैं और आप के सामने कह देना चाहता हूं हालांकि ऐसी दशा थी फिर भी हमारे यहां एक भी आदमी भूख से मृत्यु का शिकार नहीं हुआ। मुमकिन है दूसरे जिले में हुये हों। हम खंडन करने के लिये खड़े नहीं हुये हैं। हम अपने क्षेत्र की बात कहना चाहते हैं जहां की आबादी ४ लाख की है और लोग इतने परेशान रहे और हम लगातार शिकायत करते रहे कि और अधिक आदमी लगाये जांय। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो सकी और ज्यादा आदमी सुपरवाइज़ (निरीक्षण) करने के लिये ओवरसीयर्स और तहसीलदार वगैरा न रखे जा सके। फिर भी वहां जो काम हुआ है वह यह कि ७०,७५ मील सड़क पर मिट्टी डाली गयी है। इसके अलावा ८०,९० तालाब खुदवाये गये हैं। कुछ बंधों की भी मरम्मत हुई है।

एक और खुशी की बात है कि सरकार की ओर से कुछ लोग हमारे जिले में ठहरे हुये हैं और वे देख रहे हैं कि कौन कौन से बंधे ऐसे मुकाम पर बनाये जायँ या कौन सी व्यवस्था की जाय जो हमारे जिले के लिए मौजूं हो। मुमकिन है ऐसी व्यवस्था सरकार ने दूसरे जिलों में भी की हो लेकिन हम अपने तजुर्बे आपके सामने रखना चाहते हैं। एक बात मैं यहां अवश्य कह देना चाहता हूं कि सरकार ने जो आदमी रखे उनमें से कुछ का कार्य अच्छा नहीं रहा। बराबर हम लोगों ने उनकी शिकायतें कीं और प्लानिंग कमेटी में भी मजदूरों को महीने में एक दो दिन की तनख्वाहें नहीं मिलती हैं।

इसके अलावा और भी बहुत सी शिकायतें हैं। इन लोगों में कुछ भ्रष्टाचारी लोग भी मौजूद थे जिन्होंने रुपया तो ड्रा कर लिया लेकिन छट्टी का ऐलान करके मजदूरों को रुपया नहीं दिया। पता नहीं वह रुपया कहां गया। हमने प्लानिंग कमेटी में ऐसी तारीखें बतलाई हैं। तरह तरह की शिकायतें लोगों के बारे में रही हैं जिसकी जांच होनी चाहिये। आज आपकी कृपा से हमें अवसर मिला है कि इसके बारे में हम प्रकाश डालें।

**श्री चरण सिंह**---उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री गेंदा सिंह जी ने जो कुछ कहा वह ज्यादातर जजबात से ताल्लुक़ रखता था न कि वाकयात से, जो सेंटीमेंट्स (भावनाओं) से वास्ता रखता था न कि तथ्य से। जो बात मैंने उनके सामने रखी उनमें से किसी एक भी आंकड़े की तरदीद उन्होंने नहीं की बल्कि कहने को उन्होंने यह कहा कि भूख से भी आदमी मर सकते हैं और बंगाल में मर गये थे और क्योंकि वहां मर गये थे, लिहाजा यहां भी भूख से आदमी मर सकते हैं और क्योंकि मर सकते हैं इसलिये मर रहे हैं। मैंने यह कहा था कि भूख से मरने वाले आदमी को मरने में देर लगती है। महीना बीस दिन लगेंगे। मगर जब आदमी मर रहा हो और कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी के जनसेवक मौजूद हों और भी पार्टीज के लोग मौजूद हों तो जिस वक्त आदमी भूख से तडप रहा हो तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारी को दी जा सकती है और जब देनी चाहिये जब कि मदद करने का कोई उपाय न सूझता हो।

[श्री चरण सिंह]

मान लीजिये गेंदा सिंह जी के गांव में कोई आदमी भूखा मर रहा हो । गेंदा सिंह जी सब तरह की कोशिश करेंगे कि उस आदमी को भोजन मिल जाय बजाय इसके कि वह आदमी महीने भर तक भूखा मरता रहे । गेंदा सिंह जी, राज नारायण जी, या और कोई मित्र किसी आदमी को अपने गांव में भूखा मरते देखें और जब मर जाय तो अखबारों में वह निकालें कि फलां आदमी भूखा मर गया यह बात मेरी समझ में नहीं आती। चाहे मेरे मित्र विरोधी दल की बेंचेज पर बैठे हों, उनमें इन्सानियत की इतनी कमी नहीं है कि फलां आदमी मर रहा हो तो उसे मरने दें । वह पूरी कोशिश करेंगे कि वह आदमी न मरे । अगर उनकी शक्ति से बाहर है तो संबंधित अधिकारियों को इत्तिला करेंगे । मेरे कहने का मतलब उपाध्यक्ष जी यह है कि पिछले साल से जब कि इलेक्शन हो रहे थे यह प्रोपेगेंडा हो रहा है और अब आज भी यह बातें हो रही हैं । जिनकी खबरें आती हैं वे मरने के बाद आती हैं कि फलां आदमी भूख से मर गया । आप कहते हैं बकरी तीन टांग की है और हम कहते हैं कि नहीं चार टांग की है ।

कहा गया कि भूख से बंगाल में मर गये । इसलिये मर गये थे जैसा मैंने कल कहा था कि डेफिसिट कण्ट्री (अभावग्रस्त देश) होते हुये भी एक्सपोर्ट (निर्यात) किया गया। दूसरे लड़ाई का जमाना था । जापान बर्मा की सीमा पर आ गया था। अंग्रेज लोगों ने वहां के गरीब लोगों की नाव और दूसरे साधन छीन लिये थे । फिर मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री थी । राशन और कंट्रोल आदि की व्यवस्था नहीं थी । मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री के ऊपर विदेशी सरकार थी । आज न तो हम इस सूबे से कहीं बाहर अन्न भेज रहे हैं, बल्कि बाहर से मंगा ही रहे हैं। आठ महीने का स्टाक हमारे गोदामों में भरा हुआ है । न कोई गनीम उत्तर प्रदेश की सीमा पर खड़ा हुआ है । आज ऐसी मिनिस्ट्री मौजूद नहीं जिसने सेवा न की हो या जो कम्युनल फेनेटिज्म (साम्प्रदायिक मतान्धता) को बढ़ा कर आई हो। आज उन लोगों की मिनिस्ट्री मौजूद है जिन्होंने सारी जिन्दगी गांव वालों में रह कर उनकी सेवा की है । अगर गांव में किसी को तकलीफ होती है तो हमको भी तकलीफ होती है । हमारे यहां बैठे रहने पर भी अगर देवरिया में किसी गांव वाले को कांटे की चुभन होती है तो उसकी चुभन हमको भी होती है । यह बात मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री में नहीं की जा सकती थी । उस जमाने में जबकि यहां ब्रिटिश राज्य था उसमें और आज में फर्क है । लिहाजा यह कहना कि लोग भूखे मर रहे हैं बे मतलब है, बेसूद है । इससे कोई नतीजा नहीं निकल सकता है ।

मेरे मित्र ने यह भी कहा कि मिनिस्टर्स को तो जो आफिसर्स बतला दें उसी को मान लेते हैं वे तो कोठियों में बैठे रहते हैं। उनको क्या मालूम कि गांव वालों की हालत क्या है, गरीबों की झोपड़ी की हालत उनको क्या मालूम । मैं अपने मित्र को यह बतलाये देता हूं कि गरीबों का दुःख उन्हीं को मालूम नहीं है । यहां हाउस में ९९ फीसदी लोगों को मालूम है । जो दावा गरीबों की सेवा का वह करते हैं वही हम में से हर एक करता है । अगर उनका हृदय गरीब की हालत देख कर द्रवित होता है तो हमारा हृदय भी द्रवित होता है । यह कहना कि कोठियों में बैठकर हम आफिसर्स के बहकाने में आ जाते हैं गलत है । आफिसर्स डिस्ट्रेस्टेड (निरपेक्ष) लोग हैं। वह गवर्नमेंट की नीति का हर मुमकिन तरीके से पालन करते हैं । ह्यूमेन एरर्स (मानवीय त्रुटियां) होती हैं, उसको छोड़ कर ईमानदारी से वे कोशिश करते हैं कि हमारी नीति पर अमल करें । आपकी तरफ से एजीटेशन होता है, तरह तरह के इल्जामात लगाये जाते हैं उसकी बाबत यही नहीं कि आफिसर्स की रिपोर्ट पर विश्वास कर लेते हैं, हमने इसके लिये डिप्टी सेक्रेटरी स्केयरसिटी मुकर्रर किया है। हर जिले की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है जहां डिप्टी सेक्रेटरी स्केयरसिटी मौके पर गये हैं जो स्वयं आफिसर्स से मिले हैं, गांव में गये हैं। आफिसर्स और उनकी रिपोर्ट दोनों को हम चेक करते हैं। आफिसर्स की जो रिपोर्ट है उसको चेक किया जाय और जो वहां के कांग्रेसी मेम्बरान हैं उनकी रिपोर्ट को चेक किया जाय या आपके इल्जामात को देखा जाय ? मसलन् आप यह कहते हैं

कि वहां पर टेस्ट वर्क चालू नहीं किया गया। देवरिया का मैजिस्ट्रेट यह कहता है कि टेस्ट वर्क से पूरी वेजेज नहीं मिलेगी, पूरी मजदूरी नहीं मिलेगी । सिर्फ उनको १० आना रोज मिलेगा । तो आपकी बात पर यकीन किया जाय या अपने आफिसर की बात पर यकीन किया जाय ? देवरिया के मैजिस्ट्रेट २० जून को जनाब को दावत देते हैं कि आइये और हमको मशविरा दीजिये कि क्या और यहां हो सकता है लेकिन जनाब तशरीफ नहीं ले जाते हैं। देवरिया के समाजवादी चारों मेम्बर जो यहां देवरिया से तशरीफ लाते हैं उस मीटिंग में नहीं जाते हैं । जो वहां पर कांग्रेस के मेम्बर हैं वह उस मीटिंग में जाते हैं । उस मीटिंग में कुछ बातें तय होती हैं और यह भी तय होता है कि जो कुछ हो रहा है वह काफी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है । एक बात यह भी तय हुई कि ५ लाख आदमियों को और राशनकार्ड दे दिया जाय।

श्री गेंदासिंह—यह मीटिंग किस तारीख को हुई थी ?

श्री चरण सिंह —२० जून, सन् १९५२ ई० को । यह भी गालबन मुझे ठीक याद नहीं है। मैंने अपनी चिट्ठी में गेंदा सिंह जी को लिखा था क्योंकि उसकी कोई तरदीद नहीं की गई। उस मीटिंग की जो कार्यवाही है उसमें यह भी तय हुआ था कि तीन बीघे के किसान जो थे उनको राशन कार्ड दिया गया था लेकिन अब ५ बीघे के जो किसान हैं उनको भी राशन कार्ड दे दिया जाय और आस्टेरिटी प्राविजनिंग स्कीम (मिताहार योजना) के मुताबिक ७ लाख ५९ हजार आदमियों को ग़ल्ला मिलता था और देवरिया जिले की कुल आबादी २२ लाख है और उसमें से ७ लाख ५९ हजार आदमियों को ३०८ दुकानों से ३१ मई को राशन मिलता था । मेरे कहने का मतलब यह है कि जिले की कुल आबादी के तिहाई हिस्से को यह राशन मिलता था और अब यह स्कीम है कि ५ लाख आदमियों को और राशन कार्ड दे दिया जाय उस पर विचार किया जा रहा है । दूसरी बात यह तय हुई कि इस स्कीम के मुताबिक पंचायती अदालतों के क्षेत्रों में भी यह दुकानें खोल दी जायं । तीसरी बात यह तय हुई कि बारिश हो जाने के बाद जो गल्ले के पहुंचाने में ट्रान्सपोर्ट की कठिनाई होगी उसको अभी से ध्यान में रखा जाय।

फिर इसके बाद सोचा गया कि क्या अब भी टेस्ट वर्क की जरूरत रह जाती है तो फिर सभी ने कहा कि किसी टेस्ट वर्क के खोलने की जरूरत नहीं है । मैं यह किसी तरह से मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि चाहे वह सफेद टोपी वाला हो या लाल टोपी वाला हो कि सफेद टोपी वालों के दिल में गरीबों की तक़लीफ़ का दुख कम है और उनको अपने गरीब भाइयों की तकलीफ नहीं है । देवरिया में कांग्रेस के मेम्बर्स थे उन्होंने उस मीटिंग को अटेंड किया और दूसरे भाइयों ने उसको अटेंड नहीं किया और उसमें यह तय हुआ कि टेस्ट वर्क की जरूरत नहीं है । इसलिये आपकी जो बातें हैं और आप के जो इल्जाम हैं उन पर यक़ीन किया जाय या जो आफिसर्स हैं उनकी रिपोर्ट पर यक़ीन किया जाय ।

इसके बाद अब आप के जिले में जैसा कि मैं बतला चुका हूं कि ७ लाख ५९ हजार आदमियों को गल्ला मिलता था और उनको २ लाख ८१ हजार मन गल्ला तकसीम हो चुका है और ८ लाख रुपये की सबसीडी (राज्य सहायत) ३१ मई को सरकार अपने पास से केवल देवरिया जिले पर खर्च कर चुकी है जहां तक कि गल्ले का ताल्लुक़ है । तक़ावी ६ लाख ३६ हजार रुपये दी जा चुकी है आप के जिले में मार्च सन् १९५१ तक ८ लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के डिसपोजल पर रख दिया गया तीन महीने के लिये, अप्रैल, मई और जून में। जो तक़ावी पिछले साल की बक़ाया थी उसको वसूलयाबी स्थगित कर दी गयी । ग्रैचुइट्स रिलीफ (अनुग्रह धन) अर्थात् ऐसा रिलीफ जो किसी अपाहज, बुड्ढे या अनाथ को या ऐसे लोगों को जिनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यह समझता है कि वह कमाने के लायक़ नहीं है, इसके लिये २० हजार रुपया हमने उसे दिया । हमने ५ हजार रुपया केवल पहले रखा था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नें ज्यादा जरूरी नहीं समझा था। लेकिन हमने हेडक्वार्टर्स से टेलीग्राफ़ीकली, बिना उसके मांगे, २० हजार रुपया उसके डिसपोजल पर रख दिया । वह रुपया सारा मौजूद है खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि जरूरत नहीं थी । फिर रेंट और रेवे न्यूकलेक्शन्स (लगान तथा मालगुजारी की वसूली )

[श्री चरण सिंह]

है। १ लाख ७५ हजार रुपये का रेंट रैमिट हुआ केवल खरीफ़ की फ़सल में और ६२ हजार रुपया रैबिन्यू में। जहां तक रबी की फ़सल का ताल्लुक़ है उस पर ग़ौर हो रहा है। गौरी-बाजार उदयपुर रोड़ के लिये हमने १ लाख २० हजार रुपया मंजूर किया। अभी हमारे डिप्टी सेक्रेटरी स्केयरसिटी की उदयपुर की रिपोर्ट से यह मालूम हुआ है कि उन्होंने अभी काम शुरू नहीं किया। तो हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछा है और उनको यहां १४ तारीख़ को बुलाया है बातें करने के लिये कि हुकुम की तामील क्यों नहीं हुई। २८ ट्यूबवेल आप के जिले में पिछले साल बन चुके थे। १०० ट्यूबवेल्स ज्यादा आप के हिस्से में आये हैं।

(इस समय ४ बज कर १५ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जहां तक गन्ने का संबंध है, आपके जिले में १४ कारखाने हैं। हमारे सूबे में किसी जिले में इतने कारखाने नहीं हैं जितने देवरिया में हैं। वहां जितना गन्ना इस साल पेला गया है कभी उतना नहीं पेला गया। बातों में और नोटिसेज में शिकायत यह की गयी कि गन्ने का रुपया नहीं दिया गया। आप के यहां ४ करोड़ ४६ लाख रूपये का गन्ना फ़ैक्टरियों ने खरीदा गया, जिसमें ४ करोड़ ४ लाख रुपया अदा कर दिया गया है और ४२ लाख रुपया अभी फ़ैक्टरियों के पास बाकी हैं। लेकिन वाक़या यह है कि २६ लाख मन के क़रीब शुगर बनी, जिसमें से अभी मिल वाले आधी ही बेच पाये हैं और बाक़ी चीनी वहां मौजूद है। लेकिन यह तय है कि ९० फीसदी रूपया गन्ने का पहुंच चुका है। फिर इसी तरह ६,७ लाख रुपया हर फ़ैक्टरी में मजदूरों को मिलता है और वह सारा मजदूर देवरिया का था। तो इस तरह १ करोड़ रुपया मजदूरी में उन लोगों के पास पहुंचा है। साथ ही हमारी रिपोर्ट यह भी है कि खुले बाजार में गल्ले के दाम वही हैं जो पिछले साल थे और वही हैं जो आस पास के जिलों में हैं। कल ही जो माननीय सदस्य देवरिया से तशरीफ़ लाये हैं मैंने यह प्रश्न उनसे किया। अजखुद उन्होंने कहा कि ग़ल्ले के दाम आस पास के जिलों से कुछ कम हैं या बराबर से ही हैं, लेकिन ज्यादा हरगिज नहीं है।

ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको बतलाई। जहां तक दूसरे सवालों का संबंध है, मैं इस वक्त जिक्र करना भूल गया था। बाणगंगा प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है। २४ लाख रुपया उस पर लगेगा और ९०,००० एकड़ जमीन पर वह पानी देगा। नहर को बहुत इंजीनियर सर्वे (परिवेक्षण) कर रहे हैं।

माननीय गौंदा सिंह जी ने फरमाया कि तलवार दिखाई जाती है। तलवार का जिक्र किया। इतनी पैनी चीज का, धारवाली चीज का जिक्र किया और फिर यह कि उससे हम डरेंगे नहीं! वाह वाह लुट गई और ताली पिट गई। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि तलवार दिखाई किसने। वह तो अभी दिखाई भी नहीं और उसका तो जिक्र भी नहीं किया। दिखाना तो दिखाना लेकिन उसका जिक्र भी नहीं किया। केवल इतना कहा गया कि आप सत्याग्रह की जो धमकी देते हैं वह सत्याग्रह विद्रोह है, स्वेच्छाचारिता है और निरंकुशता है। प्रजातंत्र में कोई भी गवर्नमेंट स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता को सहन नहीं कर सकती। अगर आप कोई भी ग़लत चीज शक्ति से मनवाने का प्रयत्न करें और बात बात पर सत्याग्रह की धमकी दें तो आपकी यह धमकी उचित नहीं है, गैर मुनासिब है। अगर आप देवरिया के इलाके की सेवा ही करना चाहते हैं तो उसके दूसरे भी रास्ते हैं और वे सब खुले पड़े हैं यह मैंने तहरीरी जवाब आपको दिया है। जब मुझ से प्रेस के लोगों ने यह सवाल किया कि अगर सत्याग्रह किया गया और गोदामों को लूटने की कोशिश की गई तो क्या होगा। इसके मेरे पास दो ही जवाब हो सकते थे एक तो यह कि हम उनको लूट लेने देंगे गोदामों के फाटक खोल देंगे और निश्चेष्ट होकर बैठे रहेंगे या यह कहते कि उनकी रक्षा करेंगे। मैंने प्रेस वालों से यही कहा कि हम गोदामों की रक्षा करेंगे और श्री गौंदा सिंह जी

को मशविरा दिया कि आपको जनता की सेवा करने के मार्ग खुले पड़े हैं। सत्याग्रह का मार्ग जनतन्त्र में उचित मार्ग नहीं है। इस पर आप कहते हैं कि हमने आपको तलवार दिखाई हम डरने वाले नहीं हैं। मैं कह सकता हूं कि यह ग़लत बयानी है आप जोश से मुतास्सिब हो गये हैं। तलवार हम किसको दिखायेंगे? हम आपको अपने से अलग नहीं समझते। बहुत से सोशलिस्ट्स जैसे अपनी पार्टी छोड़ कर कांग्रेस में आ मिले हैं। अभी क्या पता है कि आपके मन में क्या है। फिर कैसे मैं आपको तलवार दिखाऊं? तलवार दिखाने का तो सवाल ही नहीं। मैं जानता हूं कि आपको अपने जिलों वालों से मुहब्बत है, सही बात है मुहब्बत होनी भी चाहिये। लेकिन उस मुहब्बत का इजहार, वक्त बेवक्त हो रहा है, पोलीटिकल रीजन्स (राजनैतिक कारणों) से हो रहा है। जनता आपको प्यारी है, हमको भी प्यारी है आपसे ज्यादा नहीं तो आपसे कम भी नहीं। भूख से कोई मरा नहीं है और भूख से मरने भी न देंगे। हम आशा करते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब पूर्वी जिलों की वही हालत होगी जो पश्चिमी जिलों की है और तब हमारा सूबा भारत के और सब सूबों से आगे होगा।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं उम्मीद करता था माननीय चरण सिंह जी ने वही उत्तर दिया। मुझे खुशी है कि जो उन्होंने भाषण दिया उसमें उन्होंने यह कहा कि उन्होंने तलवार नहीं दिखाई। कोई आदमी भी यह जानकर खुश हो सकता है क्योंकि किसी भी आदमी को तलवार से मुहब्बत नहीं होती। लेकिन मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी बात मैंने कही थी उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। अगर उसकी चर्चा उन्होंने की होती तो जिन वाक़आत से आंखें मींचने का दोष उन्होंने मुझ पर लगाया वैसा वाक़यात से आंखें मींचने का दोष मैं उन पर न लगा पाता।

भूख से मरने वाली बात का फैसला यहां नहीं हो सकता। हम मानते हैं कि आदमी मरे लेकिन आप उसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। दलीलें बहुत हो सकती हैं और बेकार भी हो सकतीं हैं और उनसे हाउस का समय भी बरबाद होता है। मैंने कहा था कि दो तीन आदमी की एक कमेटी मुकर्रिर की दी जाय। वाक़यात आप भी पेश करें और हम भी करें फिर उसका फैसला हो जाय और हमेशा के लिये हो जाय कि कोई मरा या नहीं मरा। अगर आपने इसका जवाब दे दिया होता तो बड़ी मेहरबानी होती। मैंने कहा कि हमारे साथ ही चले चलिये। मेरे साथ अगर आप न जा सकते हों तो आप जैसे जाना चाहें जाकर वहां देखिये। आपको कम से कम असलियत तो मालूम हो जायगी और जो आफीसरान ने आपकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, जिनके ऊपर आपको पूरा विश्वास है, उनके बारे में भी आपको मालूम हो जायगा। लेकिन इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

मुझे अफसोस है कि मुझे जजबात पर बोलने का दोषी ठहराया गया है। मैं क्या करूं? जजबात उभरते हैं और वे तब उभरते हैं जब लोगों के मरने की खबर सुनने को मिलती है। जो आदमी वहां से प्रतिनिधि चुन कर आया हो और उसके चुनने वाले ही भूख से मरें तो उसके बाद वह क्या करेगा? उसको तो कहना ही पड़ेगा। तो इसलिये मैंने आपसे अर्ज किया और आपने मेरे ऊपर एक दोष यह लगाया और हमारे साथियों पर भी लगाया कि २० जून की मीटिंग में हम लोग जिलाधीश के यहां नहीं गये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग वहां जानबूझ कर नहीं गये। उनको लिख दिया गया था कि हम लोग नहीं आवेंगे। उसके पहले एक और भी मीटिंग २६ अप्रैल को हो चुकी थी जिसमें जिले भर के सभी सदस्य पार्लियामेंट के और विधान सभा के भी अलावा एक के हाजिर थे, चाहे और उस वक्त कुछ फैसले हुये थे। मैं चाहूंगा कि माननीय चरण सिंह जी उस चिट्ठी को भी इस हाउस के सामने रखते कि उस मीटिंग में क्या फैसले हुये। केवल मैं ही नहीं कहता हूं कि वहां भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ गयी है बल्कि कांग्रेस के लोग जो कि वहां के चुने हुये

[श्री गेंदा सिंह]

प्रतिनिधि हैं वे भी यही कहते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि पूर्वी जिलों का कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं है जो माननीय चरण सिंह जी से इत्तफाक करता हो। मैं कहता हूं कि माननीय चरण सिंह जी और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी चाहे जो कुछ भी कहा करें लेकिन पूर्वी जिले के माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा उसे उन्होंने भी सुना होगा। मुझे बड़ा संतोष है कि पं० देवनन्दन शुक्ल और माननीय रामजी सहाय जी ने जो अपने ख्याल का इजहार किया उसे माननीय चरण सिंह जी भूले नहीं होंगे। जैसा कि शुक्ल जी ने और माननीय रामजी सहाय जी ने कहा कि उनसे रिश्वत ली गयी।

मैं राशनिंग के बारे में भी दो तीन बातें कहना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी अनाज देवरिया जिले में बांटा गया है, मैं दावे के साथ कहने के लिये तैयार हूं उसका एक तिहाई, एक चौथाई तक भी कार्ड होल्डर्स के पास नहीं पहुंचा है। उन बेचारों ने एक मर्तबा नहीं बल्कि दसों मर्तबा राशनिंग आफिस में शिकायतें कीं लेकिन उनकी कौन सुनता है? जब शिकायत की जाती है तो आप कहते हैं कि हम सत्याग्रह करने की धमकी देते हैं। हम आपसे कैसे कहें कि हम आपको धमकी नहीं देते हैं। हमने एक मेमोरेंडम (स्मृति पत्र) माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज देने के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास बहुत अदब के साथ दिया जैसा कि डेमोक्रेटिक राइट (लोकतांत्रिक अधिकार) है। उसके मुताबिक हमने काम किया और उनसे अर्ज किया कि हमारे इस (स्मृति) पत्र को माननीय मुख्य मंत्री के पास भेज दिया जाय। २६ जून को हमने सत्याग्रह करने के लिये ९ जून को फैसला किया तो क्या इस बीच में बातचीत करने का मौका नहीं था। हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं था इसलिये मजबूरी की हालत में हमें ९ जून के फैसले के मुताबिक सत्याग्रह करना पड़ा। यह कोई धमकी नहीं थी। आप राशनिंग का प्रबन्ध देख लीजिये, तकाबी का प्रबन्ध देख लीजिये, इसके बाद जब हम इसको ठीक करने के लिये स्मृति पत्र देते हैं उस शिकायत को दूर करनेकी बात करते हैं तो उसे धमकी समझ लिया जाता है। १७,६५,९८९ रुपया देवरिया जिले के किसानों का सरकार ने कोआपरेटिव बैंक में जमा कर दिया। सन् १९४८-४९ में जब सत्याग्रह हुआ था देवरिया जिले में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका वक्त खराब करना नहीं चाहता लेकिन जब एक ऐसा मामला सामने है तो मैं थोड़ा वक्त और चाहूंगा। अगर आप समय नहीं देंगे तो मैं अपना भाषण खत्म कर दूंगा।

अध्यक्ष—आपके अनुदान जो है उसमें कुछ समय कम कर दूंगा। आप कुछ मिनट और ले सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह—तो मैं १७ लाख के सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्या वह १७ लाख ६५ हजार दिये नहीं जा सकते थे और क्यों नहीं दिये गये। माननीय चरण सिंह जी के कानों में क्या यह आवाज नहीं पड़ी होगी? हजारों आदमियों की दरख्वास्तें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार और हाकिम परगना के पास गईं एक दो आदमी की नहीं, हजारों आदमी की दरख्वास्तें लेकिन वे दरख्वास्तें रद्दी की टोकरी मे फेंक दी गईं। उसके अलावा जो धमकी की बात है वह सत्याग्रह सन् १९४९ में हुआ और उसके लिये जो हुकूमत को करना था वह उसने किया। लेकिन उसके बाद सन् १९५० भी गया, १९५१ भी गया और १९५२ भी जा रहा है। इन तीन वर्षों के बाद भी उसको क्यों नहीं वापस किया गया? हमारी उस सत्याग्रह की मांगों में से एक मांग यह भी थी कि वह पैसा वापस कर दिया जाय। क्या उस पर गौर करने की फुरसत हुकूमत को नहीं मिली? और वह १७ लाख रुपया किसका था मांगने वाले रोते रहे और वह रुपया सरकारी खजाने में पड़ा रहा और उनको न दिया इसका क्या जवाब है?

यही बातें नहीं हैं बहुत सी बातें हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जो राय होती है वह सही मानी जाती है। मैं माननीय चरणसिंह से कहता हूं कि मानिये लेकिन दूसरे की बात भी सुनने की

कोशिश कीजिये उसको सुननेकी मेहरबानी करिये। मैं कुछ नहीं कहता हूं कांग्रेस वाले आज क्या कहते हैं आपकी जिला कांग्रेस कमेटी क्या कहती है। वह क्या प्रस्ताव पास करती है सरकार की उदासीनता के संबंध में उसने क्या प्रसस्ताव पास किया है और सात असेम्बली के सदस्यों ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद उनको क्या धमकी दी गई। एक पार्लियामेंट के सदस्य भी उसमें थे उन्होंने कहा कि काफी चीजों को लेकर देवरिया के साथ ज्यादती हो रही है। देवरिया की जनता को तकलीफ दी जा रही है उसकी सुनवाई नहीं है। तो कोई हम नहीं कहते हैं। अकेले सोशलिस्ट पार्टी के लोग नहीं कहते। अगर सिर्फ हमीं लोग कहते तो मैं मान लेता। लेकिन हम ही तो नहीं कहते हैं उनके साथ बैठने वाले भी कहते हैं तो फिर हम क्या करें? सत्याग्रह की बात कहते हैं लेकिन वह धमकी नहीं है। हमारी सत्याग्रह की धमकी कैसे हो सकती है? मैं बहुत अदब के साथ अपने माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि २० तारीख की मीटिंग में हम लोग जान बूझ कर नहीं गये। हमने कहा कि हमारा जाना बेकार है। हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को खत लिखा कि कोई बात भी अगर २६ अप्रैल की मीटिंग में तय हुई होती, एक भी जगह उसके मुताबिक काम किया गया होता, एक रत्ती भी आप उसके आगे गये होते, तो हम आपकी मीटिंग में आते, आपका वक्त खराब करते और अपना वक्त भी खराब करते, लेकिन आपने उलटा काम किया। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने माननीय चरण सिंह को खबर नहीं दी है तो वह पूछें कि क्या यह चिट्ठी हमारी आयी थी कि नहीं आयी थी।

पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बातें होती हैं कि वहां पर तो बहुत कुछ किया जा रहा है। वहां पर मजदूरों के पास काम है और टेस्ट वर्क की क्या जरूरत है। देवरिया ७० मील के फासले का जिला है। एक मजदूर खड्डा में जो ५० मील दूर है, रहता है वहां से मजदूर टेस्ट वर्क के लिये देवरिया आयेगा। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं? मैंने कई बार जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा तो उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और मैं समझ रहा था कि शायद झूठ बोल रहे हैं लेकिन जब माननीय चरण सिंह के मुंह से वह बात सुनी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने जाकर पता लगाया। मैंने खुद पी० डबल्यू० डी० के डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर को खत लिखा कि कितने मजदूरों की जरूरत है। कितने सौ मजदूरों की जरूरत है। कितना महीना आप देंगे, कहां उनको ठहरायेंगे और उनके खाने का क्या बंदोबस्त करेंगे। मैंने खुद इंतिजाम किया था कि हजारों मजदूरों को ले आ कर लगा दूं लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि ८ रोज में एक रोज मजदूरी मिलेगी यानी ८ दिन काम करने के बाद मजदूरी मिला करेगी। अब ५० मील से आदमी चल कर आवे और ८ रोज के बाद उसको मजदूरी मिले जब उसके पास खाने के लिये नहीं है और टेस्ट वर्क में वह काम करने आवे तो ८ दिन तक उसको खाना कहां मिलेगा? मालूम कीजिये मेरे पास प्रमाण मौजूद है कि मैंने इंजीनियर को पत्र भेजा था या नहीं। मैं उसे आपके सामने पेश करने के लिये तैयार हूं। मैं सोच रहा था कि किसी से मिलूं या न मिलूं, किसी से बात करूं या न करूं लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० के संबंध में मैं चौधरी गिरधारी लाल जी से कुछ कहना चाहता हूं जो देवरिया में स्कैंडल (निन्दनीय कार्य) हो रहा है।

मैं इतना कह कर माननीय चरण सिंह जी और मंत्रिमंडल के और सदस्यों से कहना चाहता हूं कि सत्याग्रह को धमकी न समझें। सत्याग्रह में धमकी की बू कहां से आयी? वह धमकी बिलकुल नहीं है मजबूर हो कर हमें करना पड़ता है, जब हमारे लिये कोई और रास्ता नहीं रह जाता है। सत्याग्रह हमारा आखिरी अस्त्र है। हमने इसी लिये २६ जून को सत्याग्रह स्थगित कर दिया और सारे हाउस के सामने रख रहा हूं। इस पर बिचार कीजिये। सत्याग्रह आखिरी हथियार है।

**अध्यक्ष**—क्या माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं?

श्री गेंदा सिंह---इस मद में मैं बढ़ाना चहता था लेकिन चूंकि बढ़ाने का मौका नहीं मिल सका है तो कम से कम कमी तो नहीं करना चाहता। इसलिये मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५, दुर्भिक्ष सहायता, लेखा शीर्षक ५४---दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि से संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत १७,४६,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ४४-लेखा शीर्षक ७१---कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत

मान मंत्री (श्री चरण सिंह)---मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४---कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत लेखा शीर्षक ७१---कृषि सुधार और खेत की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत २,२४,००,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जो रुपया बीज और खाद के लिये खर्च होता है उसका हिसाब अलहदा रहता है और जो आमदनी होती है उसका हिसाब अलहदा रहता है कैपिटल आउटले में। दरअस्ल जो रुपया थोड़ा है जो करीब एक लाख के होता है।

"The net estimate for the current financial year is 1,00,000 as against the previous years net estimate of 25,00,000,"

[गत वर्ष के शुद्ध प्राक्कलन २५,००,००० की अपेक्षा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष का शुद्ध प्राक्कलन १,००,००० है।]

जो बैसे उसके लिये रुपया बहुत खर्च होता है आमदनी होती ह। लेकिन उसका हिसाब बिलकुल अलहदा रखा जाता है और वास्तविक जो खर्चा है वह एक लाख रुपये के करीब है। एक टेकनिकल सी बात है उसमें मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान पर १०० रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं कि इसपर और बातें सुनने के बाद जो और लोग इसपर कहने वाले हैं, फिर अन्त में जब मुझे अध्यक्ष जी मौका देंगे, अपनी बातें कहूं।

अध्यक्ष---क्या आप कटौती मूव नहीं करना चाहते ?

श्री गेंदा सिंह---मूव तो मैंने किया है। नारायण दत्त जी इसपर कुछ कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष---ठीक है, आप उनको मौका देना चाहते हैं।

श्री फतेह सिंह राणा (जिला मेरठ) श्रीमन्, गल्ले के गोदाम के संबंध में मुझे कुछ अर्ज करना है। जहां तक सरकारी गोदामों का ताल्लुक है वह हमारे प्रदेश में बिलकुल नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि बात पर अच्छा बीज मिल सके जिसका आजकल बिलकुल अभाव है उसका गोदाम वगैरह बनाये हुये ठीक समस्या का हल नहीं हो सकता है और सरकार गल्ला गोदाम प्रदेश में अपने खर्चे से बनाये यह भी असंभव मालूम होता है, इसी विचार को लेते हुये सरकार ने कुछ ग्रांट कोआपरेटिव को दी है और जिसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। ग्रांट नम्बर २४ में कोआपरेटिव के सीड स्टोर बनाने के लिये कुछ सहायता दी गयी है। मेरा मतलब है कि वह सहायता बहुत थोड़ी है और इस मद में जहां तक गोदाम बनाने का संबंध है वह मामूली तरीके के गोदाम से हमारी समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि वेयर हाउसेज जो आज कल नमूना माने गये हैं उसी ढंग के गोदाम अगर उत्तर प्रदेश में बनाये जायं तो हमारी समस्या का बहुत कुछ हल हो सकता है और उसके लिये मेरा सुझाव यह है कि जैसे यह सबसिडी ५० हजार की दी है इसको

बहुत अधिक किया जाय और उसके साथ ही साथ कोआपरेटिव्स को तकावी भी दी जाय, जैसे दूसरे प्रदेशों में हमारे भारतवर्ष के, मद्रास और बम्बई में काफी से ज्यादा सहायता और तकावी वेयर हाउसेज बनाने के लिये दी जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की ओर से कोआपरेटिव्स को और अधिक सहायता दी जाय और तकावी भी उसके साथ दी जाय।

जहां तक गल्ला वसूली का ताल्लुक है वह सवाई की एक प्रथा चली आती है। वह सवाई की प्रथा बहुत पुरानी है। अगर हिसाब लगाया जाय तो कम से कम ५० प्रति सैकड़ा सूद पड़ जाता है सवाई के हिसाब से। तो उसकी वसूली में भी दिक्कत होती है और जो बीज के लेने वाले अच्छे काश्तकार हैं वह उसे लेना भी पसन्द नहीं करते, क्योंकि सवाई में उन्हें बहुत अधिक दाम देने पड़ते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह प्रथा खत्म की जाय और इसके बजाय नकदी का रिवाज हमारे सरकारी गोदामों से या कोआपरेटिव्स से बीज देने का अख्तियार किया जाय। आज कल की प्रथा में यह है कि गल्ला जब खरीदा जाता है बीज के लिये, उसमें किसान जो बीज का गल्ला पैदा करता है, उसको प्रीमियम दिया जाता है। उस प्रीमियम में साढ़े १२ फीसदी अधिक बाजार की कीमत से उसको दिया जाता है लेकिन आज कल बाजार की कीमत में और कंट्रोल प्राइस में बहुत अंतर है। कायदा यह होना चाहिये था कि जो बाजार की कीमत है उसी के हिसाब से साढे १२ फीसदी की प्रीमियम उन किसानों को मिलती लेकिन सरकार ने यह किया है कि कंट्रोल की कीमत का साढे १२ फीसदी प्रीमियम उनको दिया है, जिससे किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक किसानों का संबंध है, उनको अच्छी कीमतें दी जायं और वह यही है कि साढे १२ फीसदी जो प्रीमियम है वह बाजार की कीमत के अनुपात से उनको मिलनी चाहिये।

जहां तक पाइप के खरीदने का संबंध है, मैं समझता हूं कि अब तो वह काफी ज्यादा इस महकमा के स्टाक में जमा हैं लेकिन इससे पहले उनकी बहुत कमी थी। अब भी जो स्टाक में पाइप जमा हैं वे देहातों में नहीं जा पाते हैं। सरकारी हेडक्वार्टर पर, जिला के केन्द्र पर वह सब पाइप रखे हुये है। लेकिन न जनता को उनका इल्म रहता है और न वे जनता के पास पहुंचाये जाते हैं। मेरा ख्याल है कि जितने गल्ला गोदाम हैं, चाहे वे कोआपरेटिव के हों, चाहे कृषि विभाग के हों, उन्हीं पर इन पाइप्स को भेज देना चाहिये ताकि किसान उनको खरीदने में सुविधा महसूस करे। उनको यह बता भी दिया जाय कि वहां पर पाइप्स उनके गांवों में बोरिंग (वेधन) करने के लिये मौजूद हैं।

**श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)----आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जब माननीय कृषि मन्त्री जी तराई और भावर एरिया के दौरे में गये थे, तो हल्दूचौड़ में भावर एरिया के काश्तकारों की तरफ से वहां के बीज गोदामों के बीज के कुछ नमूने उनको पेश किये गये थे। मुझे भी उस मीटिंग में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त था। किस प्रकार का बीज सीधा स्टोर्स से किसानों को मिल रहा है, उसकी एक पुड़िया बनाकर माननीय मंत्री जी को दी गयी थी। बहुत से जिलों में बीज गोदामों के बारे में मैंने पूछा लेकिन सभी जगह मुझे एक सी ही हालत मिली। हर जगह बीज की क्वालिटी इतनी खराब है कि जैसा अभी मेरे एक माननीय साथी ने कहा कि कोई भी उस बीज को लेना पसन्द नहीं करता और अच्छे काश्तकार तो किसी हालत में उस बीज को लेना नहीं चाहते।

इसके अलावा जब बीज की आवश्यकता होती है, जैसे आजकल धान के बीज की आवश्यकता थी, सैकड़ों काश्तकार सीड स्टोर्स पर गये, लेकिन यह कहा गया कि अब आ रहा है, अब आ रहा है, इस तरह बीज का कोई इन्तजाम नहीं है। जब बोने का समय चला जाता है तब यह कहा जाता है कि अब बीज आ गया है। कम्पोस्ट खाद के बारे में फर्टिलाइजर (उर्वरक) का जिक्र आया है। एक रिपोर्ट हमारे सामने है सन् १९४९-५० की, उसमें लिखा है कि शहरों में दस लाख, १६ हजार ६० टन कम्पोस्ट खाद बनी और गांवों में ४० लाख टन कम्पोस्ट खाद बनी। अब मैं आपसे क्या कहूं। शायद माननीय मंत्री जी जानते होंगे और इस भवन के सभी सदस्य जानते

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

होते कि कम्पोस्ट खाद किस प्रकार कागजों में बना दी जाती है। मुझे खुद मालूम है कि हमारी पट्टियों में तमाम जगह रिपोर्ट दी गयी कि गांवों में दस गड्ढे हैं १५ गड्ढे लेकिन कहीं भी आप चले जाइये आप को कम्पोस्ट खाद का एक गड्ढा भी नहीं मिलेगा।

ऐसे ही फर्टिलाइजर की बात है। मैंने सीड स्टोर्स के जरिये बहुत जगह पता लगाया कि अगर उनको फर्टिलाइजर्स दिये गये हैं तो कितने दिये गये हैं। जो फर्टिलाइजर्स दिये जाते हैं उनके संबंध में यह पता लगा कि जो एक्सपर्टस कहे जाते हैं उनको भी यह पता नहीं रहता है कि किस जमीन में कौन फर्टिलाइजर काम करेगा। कहीं कहीं अमोनियम सल्फेट दी गयी। तो जो तर जमीन थी वहां के लिये दी गयी। तो यह तो उनको पता ही नहीं कि कौन सी खाद कहां के लिये दी जानी चाहिये। इसलिये मैं आदरणीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह यह देखें कि आगा बीज गोदामों से जो बीज दिया जा रहा है वह ठीक समय पर दिया जा रहा है या नहीं और वह किस क्वालिटी का बीज दिया जा रहा है। मेरे सामने एक रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है। "pure seed to be supplied by the Agriculturi Department for replacement of the impure seed supplied by the co-operative department

(सहकारी विभाग द्वारा दिये गये अशुद्ध बीज की प्रतिस्थापना के लिये कृषि विभाग द्वारा शुद्ध बीज दिया जायगा]

तो इसमें यह मान लिया गया है कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की ओर से इम्प्योर बीज लोगों को दिया गया। इसके अलावा सन् १९५१-५२ में हम यह देखते हैं कि कागजों में तो ४० हजार मन प्योर क्वालिटी सीड लिखा है लेकिन सन् १९५२-५३ में २ लाख ४० हजार मन बतला दिया गया है। लेकिन जब बीज गोदामों का सवाल आता है तो हम यह देखते हैं कि कहीं पर भी अच्छे बीज का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। जब सन् १९३७ में पहले पहल हमारे यहाँ जब स्काटलैंड का आलू का बीज आया था तो बीज गोदामों में भीड़ लगी रहती थी। लेकिन आज सारे गोदामों में आलू के बीज की यह हालत है कि कोई आलू का बीज लेना पसन्द नहीं करता। जो बीज गोदाम सन् १९३७ में इतने पापुलर (लोकप्रिय) थे वे आज कितने अनपापुलर (अप्रिय) होगये हैं।

इसके अलावा एक बात भ्रष्टाचार के बारे में कह देना चाहता हूं जो आज ऐग्रीकल्चर सीड स्टोर्स में हो रहा है। हमारे यहां कुमायूं डिवीजन में पिछले तीन सालों से लगातार आलू के बीज के नाम पर और गेहूं के बीज के नाम पर हजारों रुपये का गबन हुआ। काश्तकार के नाम पांच मन इश्यू (निर्गत) किया और पांच मन लिखा लेकिन बाद में पांच के पहले एक और बढा दिया और कहा कि लाओ १५ मन का सवैया। जब उन्होंने कहा कि हमने तो लिया ही नहीं, आप हमारे दस्तखत दिखाइये तो यहां तक हुआ कि लोगों के जाली दस्तखत तक बना लिये गये। इस प्रकार १ लाख ६० हजार रुपये का गबन हुआ है और अब वह मामला पुलिस के यहां है लेकिन मालूम नहीं कि उसमें क्या हुआ। मैंने बार बार सबसे कहा कि इसके बारे में इन्क्वायरी (परिप्रश्न) कराइये, यह हजारों लाखों आदमियों का सवाल है लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

इसके अलावा जहां तक डिपार्टमेंट का सवाल है इसमें केवल कामदार और सुपरवाइजर ही नहीं हैं बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चरल आफिसर्स हैं उनका भी इसमें हाथ है। मैं तो अपने जिले की बात जानता हूं कि वहां यहां तक हुआ कि वहां जो आडिटर (लेखा परीक्षक) लोग आये उन पर भी दबाव डाला गया कि जो आप आडिटिंग (लेखा परिक्षण) करते हैं वह गलत कीजिये। यहां तक हुआ कि पटवारियों से कहा गया कि पांच मन से ज्यादा अगर कोई बीज ले तो इसकी शिनाख्त करें कि इसके पास आवश्यक जमीन है या नहीं। एक जगह पर ऐसा हुआ कि इस पट्टी के काश्तकार ने बीज लिया और दूसरी पट्टी के पटवारी ने शिनाख्त किया कि यह काश्तकार उस पट्टी का रहने वाला है। तो मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा। मैं समझता हूं कि यह केवल हमारे ही यहां का क़िस्सा नहीं है बल्कि जैसा कि मेरे एक साथी ने कहा और और लोगों ने भी कहा, यह सारे प्रांत की कहानी है। मुझे आशा है कि अगर इस ओर

मंत्री जी का ध्यान गया तो आइन्दा वर्ष में शायद हालत सुधर जाय अन्यथा ये सीड स्टोर्स सीड स्टोर्स नहीं रह जायेंगे बल्कि किसानों को लूटने वाले स्टोर्स बन जायेंगे ।

**अध्यक्ष**——अब मैं समझता हूं समय समाप्त हो रहा है तो माननीय कृषि मंत्री अगर कुछ कहना चाहें तो कह लें।

**श्री चरण सिंह**——मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। एक तो श्री फतेहसिंह राणा ने जहां इस बात के लिये बधाई दी कि ५० हजार रुपया तकावी के लिये रखा गया वहां उन्होंने यह शिकायत भी की कि यह ५० हजार की रकम कम है। तो यह पहला साल है कि जब कि इस तरह की रकम रखी गयी है। अगर तजुर्बे से यह साबित हुआ कि ज्यादा रुपये की जरूरत है तो सप्लीमेंटरी (अनुपूरक) में भी इस पर विचार किया जा सकता है नहीं तो अगले साल इसमें ज्यादा रकम रखी जायगी। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि पाइप्स गोदामों में रक्खें तो रहते हैं मगर लोगों को पता नहीं होता। तो अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे मुझसे बात कर लें और अगर इस तरह की कोई शिकायत होगी तो मैं हत्तुलइमकान उसको दूर करने की कोशिश करूंगा।

नैनीताल से जो साहब तशरीफ लाये हैं उन्होंने अपने यहां के बीज गोदामों की शिकायत की और यह भी उलाहना दिया कि मैं उस समय वहां मौजूद था और शिकायत मेरे नोटिस में लाई गई और कहा लेकिन बावजूद इसके वह दूर नहीं हुई। बात यह है कि बीज गोदामों की आमतौर पर दो ही शिकायतें हुआ करती हैं। एक तो यह कि फलां किस्म का बीज नहीं मिला और दूसरी यह कि जितनी जरूरत थी उतना मिला नहीं। असलियत यह है कि हमारे यहां बीज गोदाम ऐसे हैं जहां खास किस्म के ही बीज मिल सकते हैं। हर किस्म के बीज नहीं मिल सकते हैं। मस्लन हलद्वानी के बीज गोदाम में जिसकी शिकायत है जिस तरह का बीज वह सज्जन चाहते थे उस किस्म का बीज वहां नहीं रखा जाता था। हर गोदाम में जो सूबे के अन्दर हैं हर कस्म के बीज नहीं रखे जाते इसके लिये एरिया मुकर्रर हैं। तो यह बेकार की शिकायत होती है। इनमें कोई तथ्य नहीं होता है। जितना हम बीज चाहते थे उतना बीज हमको नहीं मिला इसमें मुश्किल यह है कि नार्मल ईयर (सामान्य वर्ष) में मस्लन १८ लाख मन बीज मिल सकता है। लेकिन जरूरत है ४० लाख मन की तो फिर ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या करे? उस वक्त जैसा बीज मिलता है वह नैपाल और पटना वगैरा से खरीद कर दे दिया जाता है और इसकी कोई गारंटी नहीं की जा सकती है। इत्मीनान से जो खरीदा जाता है तो वह इत्मीनान से दिया भी जा सकता है लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं की जा सकती है। इन दो बातों को तो मैं मानता हूं और शिकायतें भी हो सकती हैं उनके लिये मैं यह नहीं कहता कि वह सब नावाजिब हैं। कुछ वाजिब भी होंगी। कल भी माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा। बजाय इसके कि सदन का समय नष्ट किया जाय मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो स्पेसिफिक ग्रीवेन्सेज (विशिष्ट शिकायतें) हों उनको माननीय सदस्य मेरे नोटिस में लायें तो मैं उनका बड़ा अनुगृहीत हूंगा क्योंकि मुझे अपने डिपार्टमेंट का सुधार करने में इससे सहायता मिलेगी। यहां जो बात कही जाती है वह आधी मेरे पल्ले पड़ती है और बाद में चौथाई याद रहती है। फिर भी मैं दोनों मित्रों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कुछ बातें मेरे नोटिस में लाईं। इन शब्दों के साथ मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरा अनुदान स्वीकार किया जाय।

**श्री गेंदा सिंह**——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अगर माननीय कृषि मंत्री जी पसन्द करें तो कुछ सुझाव देने के लिये यहां आया हूं। पहली बात तो यह है कि मंत्रिमंडल

[ श्री गेंदा सिंह ]

यदि यह सच्चे कि कृषि और सिंचाई दोनों एक जगह रहें तो शायद अधिक लाभ हो। यह मैं नहीं कह सकता कि सिंचाई किस के पास रहे और कृषि किसके पास रहे लेकिन दोनों यदि एक साथ हों तो कोआर्डिनेशन (सहयोग) के जरिये काम में मदद मिलेगी और मंत्रियों को भी सहूलियत होगी।

दूसरी बात यह है कि जहां तक मेरी जानकारी है सभी डिपार्टमेंटस का कोई न कोई मैन्युअल (नियमावली) है लेकिन इस डिपार्टमेंट का कोई भी नहीं है। इसमें दिक्कत पड़ती है और काम करने की विधि मालूम नहीं होती। इसलिये इसमें गड़बड़ी होने की गुंजाइश रहती है। यदि आदमी नियमों से बंधा रहे तो अच्छा है। मैं उम्मीद करूंगा कि सम्मान मंत्री जी मैन्युअल तैयार कराने में जल्दी करेंगे।

तीसरी बात यह है कि कम्पोस्ट (मिश्रित खाद) की जो योजना है उसके बारे में यदि जल्दी करके उसको सारे देश में चालू कर दिया गया तो उससे अन्न की कमी किसी हद तक हम पूरा कर सकते हैं। इसमें गांव सभाओं के जितने भी डेवलेपमेंट (विकास) काम करने वाले हैं उनको शामिल करना चाहिये। कम्पोस्ट का काम शहरों में तो हो रहा है और शहरों के काम से शायद कुछ अच्छा नतीजा भी निकला है। पंचमढ़ी के पास एक टाउन है वहां की म्यूनिसिपैलिटी सोशलिस्टों के हाथ में है उन्होंने ६ महीने के भीतर ५० हजार रुपये का कम्पोस्ट तैयार किया।

श्री चरण सिंह---मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बीज में कम्पोस्ट मिला दिया जाय तो बीज भी बेकार हो जायगा और कम्पोस्ट भी बेकार हो जायगी। कम्पोस्ट की बात कल हो गई, आज बीज का मामला है।

श्री गेंदा सिंह---खाद और बीज के खरीदने के लिये काफी रुपया रखा गया है। माननीय चरण सिंह जी से मैं यह उम्मीद नहीं करता था कि कम्पोस्ट के वह यह मानी समझेंगे। अब मैं समझता हूं कि कम्पोस्ट खाद ही समझी जायगी। अगर गांव में गांव सभाओं को लेकर कम्पोस्ट तैयार कराई जाय तो हजारों लाखों रुपये की खाद तैयार हो सकती है। अगर आज फी एकड़ एक मन की पैदावार बढ़ जाय तो जो अभाव हम महसूस कर रहे हैं वह दूर हो जायगा। मद्रास में जब एग्रीकल्चरिक कान्फ्रेंस (आर्थिक सम्मेलन) हुई थी तो उसके सदर आज के राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जी थे। उन्होंने कहा था कि एक्सटेंसिव (विस्तीर्ण) खेती के बजाय अगर गहरी खेती में खाद के जरिये हम कमी को पूरा कर सकते हैं, और पैदावार बढ़ा सकते हैं। इसलिये हमें कम्पोस्ट की तरफ ध्यान देना चाहिये। गांव में बहुत सी चीजें ऐसी हैं। उसे ईंधन का रास्ता है। हजारों मन साल में बरबाद होता है। इसको अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाय तो काश्तकार की उपज बढ़ सकती है और मुसीबत दूर की जा सकती है।

बीज वाले मामले पर भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बीज जब पहुंचता है जब बुवाई खेत में हो जाती है। यह दोष क्यों है? इसको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये। जूट का बीज पिछले साल गया था। वह यों तो बहुत अच्छा था लेकिन वह तब पहुंचा जिस वक्त कि जूट खेतों में बोया जा चुका था, दो तीन फुट जूट का पौधा खेतों में हो चुका था। अगर यह बीज तकसीम न हो तो इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर की तनख्वाह में से उसके दाम काट लिये जाते हैं। इसलिये सुपरवाइजर को झूठ लिखना पड़ता है कि मैंने तकसीम कर दिया। धान का भी बीज गया था। वह भी देर में पहुंचा था। इसके सिलसिले में माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कर देना चाहता हूं कि हर जमीन पर हर धान नहीं पैदा होता। बिहार में कोई धान खरीद

लिया गया और सारे सूबे के लिये वह धान बाट दिया गया, इससे नुकसान हो सकता है। कोशिश यह होनी चाहिये, माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, वक्त निकाल कर माननीय कृषि मंत्री को उनसे पूछना चाहिये कि तुम्हारे यहां कौन सा धान पैदा होता है, किस धान के बीज की जरूरत पड़ सकती है। उसी धान के बीज को इकट्ठा किया जाय और उसी को उस जिले में भेजा जाय। इसी तरह से खेती की उपज बढ़ सकती है। लेकिन अगर बीज इस तरह से भेजा गया कि वह बजाय बोने के खाने के काम में आया तो पैदावार बढ़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

**श्री चरण सिंह**—मेरे माननीय मित्र ने यह बात कही कि मेम्बर्स से यह बात पूछ ली जाय तो उस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि मेरा यह इरादा है कि ३,४ रोज के बाद हर जिले से जितने भी सदस्य यहां पर आये हुये हैं उनसे अपने मुहकमे के मुताल्लिक बात करूं और उसमें मैं उनको २, २ घंटे का समय दूं ताकि वे जो कुछ भी सुझाव और शिकायत देना चाहें दे सकें।

**श्री गेंदा सिंह**—मुझे बड़ी खुशी है कि आपने यह बात कही। मुझे मालूम नहीं था नहीं तो मैं इसके मुताल्लिक कुछ न कहता। अब लाल रोशनी भी हो गई है और मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आशा करता हूं कि आगे का साल हमारे माननीय कृषि मंत्री की मौजूदगी में कुछ दूसरी तरह का होगा। मैं अपने प्रस्ताव को इस बदइन्तजामी को देखते हुये प्रेस करता हूं कि इस पर वोट ले लिया जाय।

**अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ ई० के लिये आय-व्ययक में अनुदान संख्या ४४—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत) पर २,२४,००,००० रुपया की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ६ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
११ जुलाई, १९५२।

## नत्थी 'क'

( देखिये ११ जुलाई, १९५२ के तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०९ पर )

**Rules for the appointment of examiners for the Board's examination (corrected up to November, 1948)**

---

*I—Eligibility*

1. No one, who has not served as a teacher for at least three years, should be appointed an examiner except for reasons to be specified in each case.

2. Head or deputy head examiners in the Board's examinations should, as a rule, be appointed from amongst those who have at least five years' teaching experience and three years' experience as examiner in the Board's examinations.

*II—Registration*

1. A register of persons, eligible for examinership under these rules, should be maintained by the Secretary of the Board in each subject separately for the High School and Intermediate Examinations.

2. Applications for enrolment in the register should be made in the prescribed form to the Secretary of the Board. No person, who has applied once, need apply again within three years.

*III—Selection*

1 The Committees of Courses shall ordinarily recommend names of persons for examinership from the register, but may, in special cases, recommend names of persons having expert knowledge or possessing experience of long standing.

2. The Examination's Committee should ordinarily accept the recommendations made by the Committees of Courses for examinership except (1) in cases where a recommendation for examinership has been made in more than one subject or (2) where the recommendation is not in accordance with the rules governing the appointment of examiners or (3) in cases of emergency.

3. (*a*) No examiner should ordinarily continue as such, if he has worked as an examiner for four years in all, and no one should cease to be an examiner before four years, unless his work is found unsatisfactory.

(*b*) The four year's period as an examiner should include services as an examiner in different subjects and in different examinations, after which there must be a break of at least two years.

4. In case of technical and specialized subjects, qualified persons unconnected with the educational institutions may be appointed as examiners.

5. If an examiner commits three mistakes or more he shall not be eligible for re-appointment before three years have elapsed from the date of the removal of his name from the list.

6. Other things being equal, preference should be given to the senior man over the junior in appointment as examiner.

7. Examinership should be so allotted as to ensure that all sections and interests are adequately represented: provided that suitable examiners are forthcoming from sections concerned.

8. Every examiner shall, at the conclusion of the examination, be required to furnish a certificate to the effect that he has not within the period allowed for the maraing of answer-books been expeced to examine more than one thousand onswer-books of all kinds. He shall definitely state, while accepting the examinership, that he shall not mark more than one thousand answer-books.

"नत्थी"

Enrolment No.———— Subject————

**BOARD OF HIGH SCHOOL AND INTERMEDIATE EDUCATION, U. P. ALLAHABAD**

Tele. address

"INTERMEDIATE ALLAHABAD"

**Application Form for Examinership**

(*To be submitted between July* 15*th and September* 30*th at the latest*)

(An application should be made separately for each subject and each examination. An application holds good for three years.)

1. Full name———— (in BLOCK CAPITAL letters.)
2. Present designation ———— and address————
3. Name { Examination———— of Subject ————, Paper————

*4. (*a*) Whether you applied for examinership in this subject. If so, when ————

(*b*) Whether applied for any subject other than that mentioned under item 3. If so, the subject and examination to be specified here————

5. Educational qualifications—

| | Year | University | Subject |
|---|---|---|---|
| B. A./B. Sc./B. Com. | .. | .. | .. |
| M. A./M. Sc./M. Com. | .. | .. | .. |
| Training .. | .. | .. | .. |
| Any others .. | .. | .. | .. |

6. Present age———— and pay————
7. Teaching experience—

| | Subjects | Years |
|---|---|---|
| IX | .. | |
| X | .. | |
| XI | .. | |
| XII | .. | |

Degree classes

8. Relative seniority among the teachers of the same subject and class in the institution——

9. Experience as an examiner in any of the Board's Examinations :

| Name of examination | Subject and paper | Detail of year |
|---|---|---|
| | | |

10. Whether you can mark answers written in Hindi and Urdu——

*Dated* ——————————195 .

*Signature.*

11. Forwarding note by the Head of the institution (or the Head of the Department, in the case of a university).

Office seal *Signature*

*1. The receipt of the application form will not be acknowledged and no correspondence in this connexion will be attended to.

2. No person, who has applied once, need apply again within three years.

3. Applications, which do not furnish full information on all points, will not be considered.